खण्ड-344, अंक-3
मंगलवार, 17 आषाढ़, शक संवत् 1902
(8 जुलाई, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 344 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	151–154
प्रश्नोत्तर	155–159
झांसी नगर में हो रहे पुलिस एव कुख्यात लोगों की मिली जुली साजिश से उत्पन्न अराजक स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	159–160
नियम 301 की सूचनाओं को लिए जाने पर आपत्ति	160–161
प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार एवं उत्पीड़न की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	161
आगरा जनपद के अकोला ब्लाक के कतिपय ग्रामों में हैजे से मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	162
जनपद बाँदा के कर्वी थानान्तर्गत ग्राम कोरिना में हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार तथा लूट पाट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	162–163
देवरिया जिले के हाटा थानान्तर्गत, श्रीमती आरती देवी के साथ बलात्कार व हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	163
नियम 301 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .	163–164
विधान सभा अध्यक्ष का पद रिक्त रहने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	165–167
स्वायत्त शासन मन्त्री श्री राम सिंह खन्ना के विरुद्ध उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	167–168
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं तथा बागपत काण्ड से सम्बन्धित सत्याग्रहियों पर कथित लाठी चार्ज के सम्बन्ध में चर्चा की माँग	168–176
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	176–188
अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों के नाम निर्देशन की सूचना ..	188
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	189–224
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	225
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) बिधेयक, 1980 (पारित) ..	225–227

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 8 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—335

अकबाल हुसैन, श्री (गोण्डा)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खाँ, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अम्बा प्रसाद, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलू अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्र प्रताप सिंह (लल्लू), श्री (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोण्डा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशी नाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा० (आगरा)
केदार, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रकाश, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रौंगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गेन्दा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बाँदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)

चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोण्डा)
दीपू, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
घनीराम वर्मा, श्री (इटावा)
घनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहाँपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परवीन कुमार, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आय, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोण्डा)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर, श्री (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवान दीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)

भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंडलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, (उर्फ शबरोज) श्री (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोण्डा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)

यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)

रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जुदेव, श्री (झांसी)
रतीराम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपती देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
रामकृष्ण, श्री (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप, श्री (सहारनपुर)

राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बाँदा)
रिजवानुर्रहमान, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहाँपुर)
रुलहा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोक मणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह राना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नरायन, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बाँदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बाँदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बाँदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमाँश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरबंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बाँदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)

नोट—मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 8 जुलाई, 1980

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री उदित नारायण शर्मा, भूतपूर्व मंत्री की हत्या

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या गृह मन्त्री को इसकी जानकारी है कि गत विधान सभा मतदान के एक या दो दिन पूर्व फतेहपुर जिले में जनता (जे0 पी0) के उम्मीदवार एवं भूतपूर्व मन्त्री श्री उदित नारायण शर्मा की हत्या कर दी गयी ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है और इस बारे में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

जी हाँ। प्रथम सूचना के अनुसार दिनांक 29–5–80 को स्वर्गीय श्री उदित नारायण शर्मा सर्वश्री शिव शंकर, मेवालाल, हरदेव सिंह, गोरे लाल सिंह तथा बाबू सिंह आदि अपने कुछ साथियों के साथ गाड़ी से चुनाव प्रचार करते हुए रात को लगभग 9 बजे ग्राम आबाजीपुर से ग्राम गौरी जा रहे थे। रास्ते में 5–6 व्यक्तियों ने उनकी गाड़ी रोकने का संकेत दिया एवं पीछा किया व टार्च की रोशनी डाली। गाड़ी में बैठे लोगों ने गाड़ी नहीं रोकी और वे सभी गौरी चले गये जहाँ आधा घंटे प्रचार करने के बाद वे अमौली की तरफ रवाना हुए। जब नौन नदी पार कर गाड़ी ऊपर चढ़ रही थी, वहाँ कुछ धीमी हो गई थी। उसी समय 5–6 व्यक्ति सामने आये तथा उन्होंने गाड़ी रोकने को कहा। उस समय दो फायर हुए जिससे श्री शर्मा घायल हो कर लुढ़क गये। शिव शंकर तथा ड्राइवर इस्माइल को भी चोटें आईं। श्री शर्मा की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। गाड़ी रुकने पर अपराधी वहाँ आये और गाड़ी में बैठे लोगों के सामान, नगदी तथा घड़ियाँ लेकर चले गये।

इस सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। अब तक की जाँच से घटना लूट के उद्देश्य से की गई प्रतीत होती है। घटना के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस घटना के थोड़े दिन पहले, श्री उदित नारायण शर्मा जी ने शासन को इस बात की सूचना दी थी कि उनकी जान का खतरा है, कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुये हैं ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा उनकी सुरक्षा हेतु क्या किया गया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

एक अंगरक्षक दिया गया था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं दो बातें जानना चाहता हूं, एक तो उस दिन अंगरक्षक उनके साथ था या नहीं, दूसरी बात क्या श्री उदित नारायण शर्मा जी के परिवार वालों की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को इस आशय का मिला है कि मामले की जाँच ठीक से नहीं हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही शासन द्वारा की जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

उस दिन अंगरक्षक उनके साथ नहीं था। मेरी सूचना के अनुसार जाँच, जैसा बता रहा हूं, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा हो रही है और पूरी हिदायत है कि पूरी चुस्ती से जाँच करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

उनके परिवार का कोई पत्र माननीय मुख्य मंत्री या शासन को मिला है ? यदि हां, तो उसमें क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, उस पत्र के बारे में तत्काल मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने अभी कहा कि पहले भी कुछ आदमियों ने कार को रोकना चाहा और नहीं रुकी, दुबारा फिर रोकने का प्रयास किया और यह लूट का मामला जान पड़ता है, तो श्रीमन्, यह लूट का मामला नहीं जान पड़ता है, यह राजनीतिक हत्या का मामला जान पड़ता है, क्या इस पर, इस आधार पर देखने की कृपा करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

इसकी पूरी गहराई से विवेचना हो रही है, अगर इस तरह की कोई बात होगी तो उसकी भी जाँच होगी ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभियुक्त गोपाल है उसके पिता जो अभी चुनाव हुए हैं, इस चुनाव के किसी प्रत्याशी के घर पर नौकर हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

ऐसी कोई वर्तमान सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पकड़े गये अभियुक्त गोपाल के घर पर हत्या के एक रात पहले एक साथ बैठकर साजिश की गयी, जिसको उसने अपने बयान में स्वीकार किया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसकी विवेचना अभी चल रही है, जब तक पूरी रिपोर्ट विवेचना की नहीं आती तब तक अंशरूप में कुछ भी प्रकट करना मैं समझता हूं उचित नहीं है।

श्री भीखालाल--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया श्रीमन्, कि कार दो जगह रोकी गयी। क्या अभी यह विवेचना के अनुसार यह पता चल सका है कि दो स्थानों पर जो कार रोकी गयी, क्या वे दोनों एकही अभियुक्त थे अथवा पहले किसी और ने और दूसरी जगह किसी और लोगों ने रोका ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, इस तथ्य को कन्फर्म करा लिया जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी यह कृपया बतायें कि जो 5 अभियुक्त पकड़े गये हैं, उन अभियुक्तों ने जो बयान दिये हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा है ? उसे कृपया बतायें। इससे मान्यवर, साफ पता चल जायेगा कि यह मामला हत्या का है, या डकैती का या लूटपाट का। क्योंकि यहाँ तथ्य को तोड़ मरोड़ कर मामले को दूसरा रूप दिया जा रहा है। इसलिए मान्यवर, अभियुक्तों के बयान से पता चल जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

इस पर आप लोग जितना महत्त्व दे रहे हैं उसे देखते हुये अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जो विवेचना हो रही है, उसके सामने इस तरह के तथ्य न लाये जायं, जिससे समुचित रूप से विवेचना होने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो सके। अगर इस वक्त सारी बातें आपके सामने आ जायें . . . . .

(शोर)

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मुख्य मंत्री जी आज जरूरत इस बात को देखने की है कि प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर जो घटनाएं और कत्ल व हत्याएं हो रही हैं, उस सिलसिले में अभियुक्तों के जो बयान हुए हैं और चाहे मुल्जिम के पिता के जो बयान हुए हों या किसी भी प्रत्यक्षदर्शी के बयान हों। इससे पहले कि विवेचना आगे बढ़े इन बयानों के प्रति निश्चय करेंगे कि कौन सी लाईन को इन्क्वायरी चलाई जाय, जिससे किसी प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा न हो ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों की राय से सहमति प्रकट करता हूं। यह बहुत ही जघन्य घटना है। सरकार इस घटना की पूरी जानकारी कर उचित कार्यवाही करेगी और इस सम्बन्ध में एक सूचना देना चाहता हूं कि स्थानीय पुलिस इसकी विवेचना नहीं कर रही है, बल्कि सी0 आई0 डी0 इसकी विवेचना कर रही है। इसलिए इस पर किसी प्रकार की आशंकाएं करना निर्मूल है।

श्री मुख्तार अनीस—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि श्री शर्मा जी की मृत्यु के पीछे कोई राजनीतिक कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर आ चुका है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

जब सी0 आई0 डी0 को विवेचना दे दी गयी तो 5 मुल्जिम जो हैं, उनकी विवेचना जो हो रही है वह लूट-पाट की या राजनीतिक आधार पर हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, विवेचना हो रही है, विवेचना करने वालों के सामने स्पष्ट हो चुका है घटना कैसे घटी, इसकी वास्तविकता जानने के लिए ही विवेचना कर रहे हैं।

श्री भीखा लाल—

माननीय मुख्य मंत्री जी के मूल उत्तर से संबंधित है, पूरे मामले की विवेचना सी0 आई0 डी0 कर रही है। यह तथ्य पकड़ना है कि यह राहजनी है, लूट-पाट है या राजनीतिक है। किस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि यह लूट पाट है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

यह केवल प्राथमिक असेसमेन्ट है और वह इस आधार पर है कि जो माल बरामद हुआ है उसी के अन्दर एक घड़ी एच0 एम0 टी0, रीको घड़ी, 1220 रुपये हैं। इस आधार पर यह प्रिलिमिनरी असेसमेंट है, जहां तक राजनीतिक पक्ष की बात है इस पर भी गहराई से विवेचना हो रही है।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई जानकारी है कि इसमें आर0 एस0 एस0 या जनसंघ का हाथ है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[× × × ×]

श्री राम आसरे वर्मा—

[× × × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इन दोनों प्रश्नों में से किसी को आज्ञा नहीं दी है।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस बात से आप सहमत होंगे कि इस तरह की बातों को आप कार्यवाही से निकाल दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसकी इजाजत नहीं दी है।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कभी कोई अभियुक्त गिरफ्तार होता है, पुलिस रिमाण्ड पर लेती है और जानकारी करती है, तो पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय उदित नारायण शर्मा जी की हत्या के बाद क्या किसी पुलिस अधिकारी ने अभियुक्तों से कोई छान-बीन, जाँच-पड़ताल की, दूसरे अभियुक्तों को कितने दिन तक रिमाण्ड पर रखा गया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर. यह मैंने कह दिया है कि पुलिस जाँच नहीं कर रही है। सी0 आई0 डी0 कर रही है । प्रथम अंश का उत्तर हो जाता है । जहाँ तक उनके पकड़े जाने और छूटने, रिमाण्ड की बात है, मेरे पास जो सूचना है वह यह है कि 5 अभियुक्तों में से अभियुक्त जगमोहन 31-5-80 को गिरफ्तार हुआ और दिनाँक 2-6 को जेल दाखिल हुआ। अभियुक्त सियाराम 1-6-80 को गिरफ्तार हुआ और 3-6-80 को जेल भेजा गया। भैयादीन 3-6-80 को गिरफ्तार हुआ और 4-6-80 को जेल भेजा गया। अभियुक्त बाबू 21-6-80 को गिरफ्तार हुआ और 22-6-80 को जेल दाखिल हुआ। अभियुक्त छेदा लाल 23-6-80 को गिरफ्तार हुआ और 24-6-80 को जेल भेजा गया। किन दिनों यह रिमान्ड में रहे, यह सूचना मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

केवल 10 मिनट का समय एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के लिए है और इसमें 15 मिनट हो गये। अब अगला प्रश्न लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपने यह कहा कि केवल 20 मिनट प्रश्नोत्तर काल के लिए हैं। हमेशा की परम्परा 1 घण्टे या 60 मिनट की रही है, आज क्या बात हो गयी ?

श्री अध्यक्ष--

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के लिए केवल 20 मिनट हैं। दो प्रश्न है, 15 मिनट हो गये।

थानाध्यक्ष, कैसरबाग , लखनऊ द्वारा हैण्डग्रिनेड की बरामदगी

**2--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि दिनाँक 24 जून, 1980 को थानाध्यक्ष कैसरबाग, लखनऊ ने कोई मिलेट्री का हैन्ड ग्रिनेड बम बरामद किया है जो किसी व्यक्ति को मारने हेतु प्रयोग होने वाला था ? यदि हाँ, तो असलियत क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

दिनाँक 24 जून, 1980 को थाना कैसरबाग, लखनऊ की पुलिस द्वारा मजीद खां पुत्र साजिद अली खां निवासी मुरादअली लेन, थाना हुसैनगंज, लखनऊ से एक हैन्ड ग्रिनेड बरामद किया गया है। इसके फलस्वरूप मुकदमा अपराध संख्या 803 धारा 5 एक्सप्लोसिव ऐक्ट के अधीन पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त मजीद खां के कथनानुसार यह ग्रिनेड उनके साथी राजू, जो मौके पर भागने में सफल हुआ, द्वारा अपने भाई को मारने हेतु लाया व दिया गया था। इसके अतिरिक्त इस संबंध में कोई अन्य विशिष्ट साक्ष्य उपलब्ध न हो सका।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह हैण्ड ग्रिनेड बम किस फैक्ट्री का बना है और यह अभियुक्त को कैसे प्राप्त हुआ ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, इसका पता लगाने के लिए 24-8-80 को मिलेट्री अधिकारी थाना कैसरबाग को यह हैण्ड ग्रिनेड दिया गया, जिसमें फ्यूज निकाल कर उन्होंने उसे अपने पास ले लिया। हैण्ड ग्रिनेड 29-8-80 को वापस मिल गया लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है कि वह कहाँ का बना हुआ है।

श्री हरिवंश सहाय—

हैण्ड ग्रिनेड जो इतना बड़ा इक्सप्लोसिव था, जो पुलिस वालों ने बरामद किया, जिन अधिकारियों ने बरामद किया उन्हें क्या कोई पुरस्कार दिया गया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

उप अधीक्षक शिवनाथ, मुख्य आरक्षी व और पुलिस कर्मचारी इनके साथ थे जिन्होंने बरामद किया अभी कोई पुरस्कार इन्हें नहीं दिया गया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस बम की बात कही गयी है, वह उसके भाई के मारने में प्रयोग होने वाला था। क्या सरकार ने उनके बचाव के लिए काई आदेश पुलिस को दिया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, हर नागरिक की सुरक्षा के लिए पुलिस तत्पर रहती है। विशेष आग्रह होगा उनके भाई का तो उस पर जरूर विचार किया जायेगा।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में डकैतियाँ और अन्य अपराध जो हो रहे हैं उनमें बहुत से ऐसे सामान जो सरकारी क्षेत्र से भेजे जा रहें हैं, इन की रोकथाम के बारे में क्या सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह आपका अलग से प्रश्न है।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, क्या मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि बहुत से मिलिटरी के लोगों के द्वारा डकैतों को बम इत्यादि दिये जा रहे हैं ? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि ऐसे असलहे दिये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बिल्कुल भिन्न प्रश्न है। इस प्रश्न का इससे संबंध नहीं है।

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं नियम 301 की जो सूचनायें प्राप्त हुयी हैं उनको ले रहा हूं। इनमें से 5 सूचनायें स्वीकृत हुयी हैं।

झांसी नगर में हो रहे पुलिस एवं कुख्यात लोगों की मिली जुली साजिश से उत्पन्न अराजक स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान झांसी नगर में हो रहें पुलिस एवं कुख्यात लोगों की मिली जुली साजिश से उत्पन्न अराजक स्थिति पर आकर्षित करना चाहता हूं। नगर में बम विस्फोट हुये। पहले विस्फोट बापू के मकान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री]

में, दुसरा विस्फोट सीपरी बाजार में दिनाँक 19 जून, 1980 को हुआ। जिसमें शातिर बदमाश शेर खों, जिस पर कई हत्याओं, लूट पाट एवं राहजनी के लगभग 60 केस हैं. को मौके पर भागते हुये गिरफ्तार किया गया। ऐसे शातिर बदमाश को सी0 ओ0 सिटी रनजीत सिंह, सी0 आई0 डी0 इन्सपेक्टर श्री ललित कुमार त्रिपाठी की कोशिश पर सिविल अस्पताल में रखा गया और यह दोनों अधिकारी दिनाँक 27 जून, 1980 की रात्रि को अस्पताल में इस कुख्यात बदमाश से मिलने गये। वहाँ पर सम्पूर्ण मार्गों की व्यूह रचना कर वापिस लौट आये। तत्पश्चात् यह बदमाश अस्पताल से हथकड़ी से विमुक्त होकर भाग गया। जिससे जनजीवन असुरक्षित हो गया क्योंकि इसने बहुत से संभ्रान्त नागरिकों को जान से मार डालने की धमकी दी है। दिनाँक 29 जून, 1980 को मेरी सी0 ओ0 सिटी झांसी से हुई मुलाकात में क्रोधित होकर मुझे भी जान से मरवाने की धमकी दी और अपशब्दों का प्रयोग करके कई लोगों के सामने अपमानित किया। यह बदमाश उक्त अधिकारियों को धनोपार्जन भी कराया करता है।

अतः आपसे निवेदन है कि वहाँ के दोनों अधिकारियों को स्थानान्तरित एवं जाँच करवा कर जनता एवं जन प्रतिनिधियों की जान-माल की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने तथा इस सम्पूर्ण कार्य की जानकारी को अविलम्ब सदन के पटल पर प्रस्तुत करने के निमित्त मुख्य मंत्री को आदेश दें।

नियम 301 की सूचनाओं को लिए जाने पर आपत्ति

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, आपकी आज्ञा से आदरणीय सदन तथा मुख्य मंत्री के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि आज इस शासन में महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा नहीं रह गयी है। आये दिन उनके साथ बलात्कार हो रहें हैं।

(शोर)

*श्री काशीनाथ मिश्र––

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, यह एजेंडा हमारे सामने है। पहला आइटम अल्पसूचित प्रश्नों का, दूसरा सदस्यों की गिरफ्तारी का, तीसरा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है। एजेंडे में यह कौन सा विषय है जिसके अन्तर्गत यह सदन में पेश किया जा रहा है ?

श्री रियासत हुसैन––

श्रीमन्, काशीनाथ जी, बीच में जो गैप हो गया उसके बाद हाउस में आये हैं। श्रीमन्, उनको अपने कक्ष में बुलाकर बतला दीजियेगा।

श्री मोहन सिंह––

श्रीमन्, श्री काशीनाथ जी ढाई वर्ष के गैप के बाद आये हैं। उनकी बुद्धि को अपच हो गया है।

(हंसी)

श्री काशी नाथ मिश्र––

नियम 301 को मैं पढ़ता हूं। नियम 301 में यह नहीं आ सकता है। 425 सदस्य हैं और 425 पोथा आपको लिखकर दे दें तो सूचनाएं कैसे आ सकेगी ? मान्यवर, नियम 301 के अन्तर्गत यह कतई नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष––

आप बैठ जायें।

नियम 301 के अन्तर्गत यह सूचनाओं को जो अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये, प्रक्रिया संबंधी करण हैं उसके करण 10 के अन्तर्गत लिया जा रहा है। आज 10 सूचनायें आयीं थीं जिसमें से 5 स्वीकृत हुई हैं और 5 अस्वीकृत हुई हैं। एक सूचना हो गयी है और दूसरी राजेन्द्र कुमार गुप्त जी पढ़ रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इसको एजेन्डे में क्यों नहीं रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष—

परम्परा के अनुसार जिस तरह यह सूचनाएं ली जाती रही हैं उसी तरह आयी हैं। एजेन्डे में रखी नहीं जाती हैं, इसलिये नहीं रखा गया है।

प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार एवं उत्पीड़न की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन तथा माननीय मुख्य मंत्री के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि आज इस शासन में महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं रह गयी है। आए दिन उनके साथ बलात्कार एवं उत्पीड़न की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिन्ता की बात यह है कि इन कुकर्मों में सबसे आगे पुलिस कर्मचारी हैं, पिछले पखवारे बाराबंकी जिले में कुर्सी थाने के गाँव पीरनगर में कुन्ती नामक महिला के साथ दो सिपाहियों ने बलात्कार का कुकर्म किया तथा उसकी हत्या कर दी। उस महिला के चारों बच्चों ने अपनी आँखों से महिला के साथ हुए यह सब कुकर्म को देखा। यह घटना अपने में अकेली नहीं है। पुलिस कर्मियों द्वारा इसी प्रकार के काँड बागपत, देवरिया जिले के थाना हाटा के ग्राम रामपुर बुजुर्ग, मुरादाबाद, गोरखपुर में किये गये हैं।

मान्यवर, पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही न होने का परिणाम है कि यह सब काम सामूहिक रूप से होने लगे हैं। यदि उदाहरण ही देना हो तो बाँदा जिले के बदौसा थाने में ग्राम भैरव का तालाब में इसी सप्ताह गरीब महिलाओं को निवस्त्र कर नचाने तथा सामूहिक बलात्कार की याद ताजी ही थी कि उसी जिले के कर्वी थाने में ग्राम कोरिना में पुलिस वर्दीधारियों ने परिवार के पुरुषों की मौजूदगी में हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किया और सामान लूटा। परन्तु आश्चर्य है कि एस0 पी0 बाँदा का जब ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि बलात्कार की घटनाएं तो सामान्य बात हैं।

अतएव मैं सरकार से आशा करता हूं कि वह इस दृष्टि से कठोर कदम उठायेगी जिससे कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा सम्भव हो सके।

मान्यवर, यह गम्भीर और अहम मसला है। परम्परा यह भी रही है कि नियम 301 के लोक महत्व और गम्भीर मामलों में उन पर सदन में यहाँ वक्तव्य भी हो जाते रहे हैं, इसलिये प्रार्थना है कि इस लोक महत्व के गम्भीर और अहम मामले में, जो सरकार के लज्जाजनक और चिन्ताजनक दायित्व का परिचायक है पर मंत्री जी यहाँ वक्तव्य दे दें। हमारे मुख्य मंत्री जागरूक हैं इसलिये वह वक्तव्य देने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

गुप्त जी ने जो कहा, उसमें एक-एक आम बात जो आयी है उसको व्यक्त किया है, इसलिये इसमें वक्तव्य की जरूरत नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी से तो पूछ लें, इसमें वक्तव्य होते रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, गम्भीर मामला है इसलिये इसमें वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

आगरा जनपद के अकोला ब्लाक के कतिपय ग्रामों में हैजे से मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, म आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

आगरा जनपद क अकोला ब्लाक के अन्तर्गत नहचानी, नगला हन्नू, नगला बीच, चैकोरा, आदि गाँवों म एक मास से बड़े जोर से हैजा फला हुआ है। अकेले नहचानी गाँव म 1--फूल सिंह पुत्र हीरा, 2-- राजबीर पुत्र लोरे, 3---धर्मबीर सिंह पुत्र लोरे, 4--जीवस पुत्र दम्बो, 5--भगवानी पुत्र विपती, 6--भागवती पत्नी अशर्फी, 7--परमाल पुत्र भीखा, 8--राम कली पत्नी परिमाल, 9--मुन्नी पत्नी भीखा, 10--ज्ञासो पत्नी मंगल 11--नाहर सिंह पुत्र रामहेतु, 12--नाहर सिंह पुत्र विपती 13--करन सिंह पुत्रवासुदेव 14--विजय सिंह पुत्र डरुआ, 15--रेशम पुत्र किशोर सिंह 16--प्रकाशी पत्नी सोनीराम 17--दुर्गा पुत्र दीपा, 18--होती पुत्र मंगली, 19--बच्चू पुत्र बिजेन्द्र सिंह, 20--ओम प्रकाश पुत्र राम शरन, 21-मुन्नी पुत्री होती। चेकोरा में 1--उमाशंकर पुत्र तोता 2--सुखदेयी पुत्री मनीराम, 3--भूदेव पुत्र नत्थी, 4--सुखा पुत्री शेर सिंह और ग्राम नगला हन्नू में 1--बलराम पुत्र रामवीर की मौत हुई है। नहचानी की 1273 की जनसंख्या में से 21 आदमियों के मरने का अर्थ है 20 प्रतिशत वार्षिक मौत।इन मौतों से इन गाँवों के पड़ोसी गाँव नगला वलसाय, नगला गईयरा, चिरमोली, बसैया, जोतिराज, नगला धोकल म भी लोग भयभीत हो रहे हैं कि वहाँ पर भी यह रोग न फैल जाय। जब हैजा प्रभावित ग्रामों द्वारा अपने प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र अकोला पर इसकी सूचना दी गयी तो सुनवायी नहीं की गयी और बहुत दिनों तक कोई भी सरकारी डाक्टर इन ग्रामों में नहीं पहुंचा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा के कहने पर अकोला का प्रभारी डाक्टर (ग्रामीण स्वास्थ्य) गया भी तो इलाज करने के बजाय अखबार बाजी में लग गया और अमर उजाला दिनाँक 2 जुलाई, 1980 में अधिकारियों और जनता को गुमराह करने वाली गलत खबर प्रकाशित करवा दी गयी कि इन गाँवों में हैजा से कोई मृत्यु नहीं हुई ह। तीन मौत अतिसार से हुई है। जहाँ डाक्टर द्वारा 26 मौतों की गलत बयानी से उनको छिपाया जा रहा तो इलाज कौन करे। प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र अकोला के डाक्टरों व स्वास्थ्य निरीक्षकों की उदासीनता और निष्क्रियता तथा कर्त्तव्यहीनता का इस से बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता ह? इस समय भी उपरोक्त ग्रामों में हैजा रोग व्याप्त है। वहाँ पर बहुत से लोग रोगग्रस्त हैं। इसके साथ-साथ इन ग्रामों में मच्छरों का भी भारी प्रकोप है। पर डाक्टरों द्वारा मच्छरों को तत्काल मारने वाली डी0 डी0 टी0 दवा का आगरा म सर्वथा अभाव बताया जा रहा है।

शासन से मेरी माँग ह कि जनहित में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र अकोला के जनजीवन से खिलवाड़ करन वाले इन डाक्टरों को व स्वास्थ्य निरीक्षको को तुरन्त निलम्बित किया जाय। विभाग के उच्च डाक्टर उपरोक्त ग्रामों में भेजे जायं जो व्याप्त रोग की विवेचना करके वहाँ के लोगों को उचित इलाज दे। तत्काल मच्छर मारने वाली दवाई छिड़काई जाय। मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाय। विशेषत: लोहरे नाम के व्यक्ति को जिसके राजवीर सिंह आयु 15 वर्ष और धर्म वीर सिंह आयु 12 वर्ष दो पुत्र एक साथ मरे हैं। कम से कम 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाय।

जनपद बांदा के कर्वी थानान्तर्गत ग्राम कोरिना में हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार तथा लूट पाट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***ी मित्रसेन--**

अध्यक्ष महोदय, कर्वी थाना अन्तर्गत गाँव कोरिना, जनपद बाँदा में विगत सप्ताह पुलिस वेश में सामूहिक बलात्कार व लूटपाट की घटना से सारा क्षेत्र आतंकित हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठा है। इस अमानुषिक एवं रोषपूर्ण घटना से जहाँ एक ओर हरिजन एवं कमजोर तबकों में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गयी है वहीं दूसरी तरफ सामान्य जनजीवन म बराबर असुरक्षा की आशंका बनी हुई है।

उक्त गाँव कोरिना में पुलिस वेश में हरिजन परिवारों में तलाशी लेने के बहाने घुसे और लूट पाट की तथा पूरी बस्ती को आतंकित किया। ये असामाजिक तत्व अस्त्र शस्त्र से लैस थे तथा प्रतिरोध करने पर लोगों को जान से मार देने की धमकी दे रहे थे। साथ में एक व्यक्ति को रस्सी से बुरी तरह बाँध रखा था।

सभी घरों में लूटपाट करने के बाद हरिजन परिवार की महिलाओं को चुन-चुन कर नौ परिवारों की महिलाओं को एक पहाड़ी पर लेगये और उनके साथ खुला व्यभिचार किया। इस घटना के समय उस परिवार के लोग भी मौजूद थे।

श्रीमन्, प्रदेश में पुलिस तथा असामाजिक तत्वों द्वारा जिस प्रकार की अमानुषिक पाशविक और जघन्य घटनाएं हरिजन तथा कमजोर तबकों के परिवारों के साथ आये दिन घट रही हैं, यह न केवल शासन के लिये कलंक है बल्कि पूरी कानून व्यवस्था और प्रदेश शासन के लिये चुनौती है।

देवरिया जिले की हाटा थानान्तर्गत, श्रीमती आरती देवी के साथ बलात्कार व हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह—

अध्यक्ष महोदय, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो सूचना दिया है उसी दिशा में यह एक कड़ी है। मान्यवर, विगत 30 जून, 1980 दिन सोमवार को देवरिया जिले के हाटा थानान्तर्गत एक 25 वर्षीय गर्भवती महिला श्रीमती आरती देवी को कुछ गुण्डों ने बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी, महोदय घटना इस प्रकार है कि श्रीमती आरती ग्राम रामपुर बुजुर्ग की रहने वाली थी जो गोरखपुर जिले के कुसमी नामक गाँव में डाक्टर से मिलने गयी थीं। उनके साथ उनकी बूढ़ी सास भी थी बस न मिलने पर उन दोनों महिलाओं ने एक टैक्सी पर सवारी कर ली, वह टैक्सी रात के करीब 8–30 बजे हाटा कस्बे में पहुंची उस टैक्सी में कुछ पैसेंजरों को उतार दिया गया और उनकी सास को भी जबरन उतार दिया गया और कुछ गुण्डे नवजवान औरत श्रीमती आरती देवी को लेकर हाटा से थोड़ी दूर मारकुलवा नामक निर्जन स्थान पर ले गये और वहाँ उनके साथ बलात्कार करके उनको जान से मार दिया। टैक्सी पकड़ी जा चुकी है और कहा जाता है इसमें नैपाल से तस्करी करने वाले एक बहुत बड़े गिरोह का हाथ है। आस पास के गाँव में भयंकर रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। माननीय सदन के माध्यम से शासन का ध्यान उक्त गंभीर मामले की ओर मैं, आकर्षित करते हुए अविलम्ब कार्यवाही की माँग करता हूं।

नियम 301 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, आप सुन लें....

श्री अध्यक्ष—

काशीनाथ जी आप बैठें। उनकी सूचना देने के पश्चात् कोई और प्रक्रिया यहां नहीं चल रही हैं जिससे व्यवस्था का प्रश्न पैदा होता।

श्री काशीनाथ मिश्र —

मान्यवर, आप ने पाँच सूचनाएं पढ़वाई हैं नियम 301 के अन्तर्गत। आप के द्वारा जारी की गयी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी करण (पंचम संसकरण)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]
में नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं दी जायेंगी उनकी ग्राह्यता की शर्तें क्या रही हैं और कौन कौन सी सूचनायें स दन में पढ़ी जायेंगी? पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। नियम 301 में जो भी सूचनाएं दी गयी हैं कभी भी उन्हें पढ़ने की परम्परा नहीं रही है....

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह आपके विनिश्चय को चुनौती है....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपका ध्यान नियम 14 की ओर दिलाना चाहता हूं....

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, उसमें दिया है 'दी गयी सूचनाओं का उत्तर कोई मंत्री सदन में देने के लिए बाध्य नहीं है किन्तु यदि वे चाहें तो सदन में भी उत्तर दे सकते हैं। संबंधित मंत्री ऐसी सूचनाओं के संबंध में आवश्यक जाँच करा कर संबंधित सदस्यों को अपने ही हस्ताक्षर से 7 दिन में उत्तर देंगे। यदि 7 दिनों में सूचना न दी जा सकी तो मंत्री संबंधित सदस्य को कार्यवाही के संबंध में अन्तरिम उत्तर देंगे परन्तु उसका अन्तिम उत्तर अधिक से अधिक एक माह के अन्दर अवश्य माननीय सदस्य को भेज देंगे।

श्री कुबेर--

आपने.....
(व्यवधान)
(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। जब एक सदस्य खड़े.....
(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नियम 14 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं.....
(शोर)

श्री काशी नाथ मिश्र--

इसमें नियम 301 के अन्तर्गत जो सूचनाएं हैं जब तक अध्यक्ष अन्यथा विनिश्चय न करें, नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं में से एक उपवेशन में अधिकतम 5 वही सूचनाएं ली जा सकेंगी जो करण संख्या 11 में दी गयी ग्राह्यता की शर्तों को पूरा करती हों।

श्री अध्यक्ष--

काशीनाथ जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, पढ़ने की परम्परा नहीं है, इसका उल्लेख इसमें नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। माननीय काशीनाथ जी ने नियम 301 की सूचनाओं के संबंध में यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि नियम 301 और करण संख्या 10 के अनुसार आज 10 सूचनायें आयीं थीं उनमें से 5 स्वीकार की गयीं। आपने नियम 14 का ध्यान दिलाया है लेकिन करण संख्या 13 को शायद आपने नहीं पढ़ा। आप करण संख्या 13 को पढ़ लें। इसमें किसी मंत्री से जबाव नहीं माँगा गया है। यह लिखित उत्तर जैसे आता है उसी तरह से जायेगा। ऐसा कोई निर्देश नहीं है। सदन में पढ़ने के बारे में करण संख्या 13 में लिखा गया है : ये सूचनाएं पढ़ी भी जा सकती हैं। सदन की जानकारी में लाने के लिए उन्हें पढ़ना भी आवश्यक है।

विधान सभा अध्यक्ष का पद रिक्त रहने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कल (10 बजकर 40 मिनट) जो औचित्य के प्रश्न की सूचना दी थी, मैं उस पर अपना निर्णय देने जा रहा हूं।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मैंने जो औचित्य के प्रश्न की सूचना दी थी और उसमें एक संवैधानिक प्रश्न उठाया था उस सम्बन्ध में पहले मुझे कुछ कहने की अनुमति दें।

मान्यवर, मैं एक संवैधानिक प्रश्न आपकी अनुज्ञा से प्रस्तुत करने जा रहा हूं। संविधान के अनुच्छेद 179 के अन्त में यह साफ लिखा हुआ है—

"Whenever the Assembly is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until/ immediately befor the first meeting of the Assembly after the dissolution."

मान्यवर, यह साफ व्यवस्था की गयी है अगर कभी असेम्बली डिजाल्व भी हो जाय तो भी उसके बाद अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होगा और वह तब तक रिक्त नहीं होगा जब तक कि पहले अधिवेशन में ही अध्यक्ष निर्वाचित न हो जाय। यह व्यवस्था संविधान के निर्माताओं ने की। उन्होंने सोचा होगा कि अध्यक्ष के कुछ ऐसे काम हैं जो इस सदन के बाहर हुआ करते है, कार्य संचालन के लिये। यानी बाहर भी कुछ ऐसे काम हैं जो विधान सभा भंग होने के बाद अध्यक्ष से अपेक्षित है। इसलिये अध्यक्ष का पद कभी भी रिक्त नहीं माना गया। कौन से काम है जो अध्यक्ष को विधान सभा भंग होने के बाद बाहर करने होते हैं इस सम्बन्ध में संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार महेश्वर नाथ कौल तथा श्याम लाल शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 113 पर उल्लिखित हैं। इसमें दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, जिसे मान्यवर, देखने का कष्ट करें "अध्यक्ष सचिवालय का प्रमुख है जो कि उनके नियंत्रण तथा निदेशों के अन्तर्गत कार्य करता है। सभा के साचविक कर्मचारियों, उसके परिसर तथा सुरक्षा के प्रबन्ध के सम्बन्ध में अध्यक्ष का अधिकार सम्पूर्ण है" आगे यह है "यदि कोई व्यवस्था भंग करे तो उसको दण्ड यह दिया जा सकता है कि उसे सभा के परिसर से निकाल दिया जाय। सभी अजनबी, आगंतुक तथा समाचार पत्रों के संवाददाता उसके अनुशासन तथा आदेशों के अधीन है।" इसमें आगे यह है "गैलरियों के लिये निश्चित या अनिश्चित काल तक के लिये प्रवेश पत्र बन्द कर दिये जाएं या अधिक गभीर मामला हो तो उसे अवमान या विशेषाधिकार मान कर निपटाया जा सकता है" अन्त में यह भी है "चाहे सभा का सत्र हो रहा हो या नहीं, संसद भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता और न संसद की भू-सम्पदा में कोई नया भवन आदि ही उसकी अनुमति के बिना बनाया जा सकता है।" इस प्रकार यह साफ है कि स्पीकर के फंक्शन आउट साइड दी हाउस संक्षेप में चार तरह के हैं—(1) सचिवालय के प्रमुख की हैसियत से कार्य करना, (2) सभा के साचविक कर्मचारियों, उसके परिसर तथा सुरक्षा का प्रबन्ध करना, (3) विशेषाधिकार के मामलों को निपटाना तथा (4) संसद भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन अध्यक्ष की अनुमति के बिना न किया जाना। अब यह पद कब तक रिक्त रहा, जब तक श्री धर्म सिंह जी को राज्यपाल महोदय ने मनोनीत नहीं कर दिया। इतने दिनों में जो भी काम अध्यक्ष को करने आवश्यक थे, जो उनका अधिकार था। वह काम किसी न किसी ने तो किये ही होंगे वह मेरी जानकारी में है और वह मैं सदन में नहीं रखना चाहता हूं। यह भी परम्परा रही है कि सदन के अन्दर आपके अधीन कर्मचारियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

किसी सदस्य या सदन के किसी कर्मचारी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का इस वर्ष का लेखानुदान बिना अध्यक्ष के किसने यहां भेज दिया। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? किसको इसका निराकरण करना है। यह एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न है। इस तरह से संक्षेप में मैं इस गंभीर प्रश्न को प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इतने दीर्घ काल तक जो कार्य किये जाते रहे हैं वह कैसे हुये हैं? श्रीमन्, मेरी जानकारी है कि सदन के परिसर के कई कमरों पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। यह एक्जीक्यूटिव तो सदन के मातहत है।

श्री अध्यक्ष——

आपने तो अपनी बात कह दी, अब आप मेरी शंका का समाधान कर दें। यह प्रश्न आप कैसे उठा सकते हैं? यह सदन के सामने कैसे है जिसे आपने उठाया?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त——

मान्यवर, अब तक सदन की परम्परा रही है कि कोई सदस्य बिना नियमों के नहीं बोल सकता है। यदि कोई सदस्य सदन में कोई सूचना चाहता है और आपके पूर्ववर्ती अध्यक्षों की भी यही व्यवस्था थी कि वह दो प्रतियों में उसकी सूचना देगा। एक तो आप के चैम्बर में दे देगा और दूसरी प्रति सम्बन्धित मंत्री के पास चली जायेगी। इस तरह से मामले सदन के अन्दर उठाये जाते रहे हैं। इसलिये मैंने आपके चैम्बर में आपको एक प्रश्न दिया। हां, यह बात सच है कि मैंने यह प्रश्न तब दिया था जब यहां पर कार्यकारी अध्यक्ष थे। उसी नियम के मातहत मैंने यह प्रश्न उठाने की कोशिश की।

श्री अध्यक्ष——

अभी माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में मैं माननीय सदन के समक्ष अपना निर्णय प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा है कि 17 फरवरी, 1980 से 18 जून, 1980 तक, जब श्री धर्म सिंह की, अनुच्छेद 180 के खन्ड (1) के अन्तर्गत अध्यक्ष के पद के कर्त्तव्यों का पालन करने हेतु नियुक्ति हुई, अध्यक्ष का पद रिक्त रहा और इस दरम्यान अध्यक्ष के जो कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निष्पादन किये गये होगे वे संवैधानिक होंगे, इसका उत्तरदायित्व किस व्यक्ति पर है।

औचित्त्य का प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत ऐसे विषयों के सम्बन्ध में उठाया जा सकता है जो सदन के समक्ष लम्बित कार्य से सम्बन्धित हों और जिसमें उक्त नियमावली या संविधान के ऐसे अनुच्छेद जिनसे सदन के कार्य विनियमित होते हैं, के निर्वचन या प्रवर्तन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो।

अध्यक्ष विधान सभा का पद 26 फरवरी, 1979 से रिक्त चला आ रहा था। 17 फरवरी, 1980 को राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा सदन को विघटित कर दिया गया और सदन का कोई सदस्य नहीं रह गया जिसे अनुच्छेद 180 के खण्ड (1) के अन्तर्गत अध्यक्ष पद के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त किया जा सकता। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की उक्त उद्घोषणा द्वारा सदन और अध्यक्ष के सब विधायी कृत्य तथा प्रक्रिया नियमावली निलम्बित कर दिये गये अतः राष्ट्रपति के शासन काल में अध्यक्ष के पद के कर्त्तव्योंके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्पादित किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। माननीय सदस्य ने किसी ऐसे कार्य के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्पादित किये जाने का उल्लेख भी नहीं किया है। 17 फरवरी, 1980 से 18 जून, 1980 तक अध्यक्ष के पद के रिक्त होने का प्रश्न इस समय सदन के समक्ष लम्बित किसी कार्यवाही से संबंधित नहीं है, अतः इस मामले को औचित्त्य के प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता। वैसे भी यह मामला संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी उद्घोषणा से सम्बन्धित है, जो केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है।

अतः मैं इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

एक व्यवस्था पर मेरा निर्णय हो गया, अब आप क्या उठाना चाहते हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, यह सदन कैसे चलेगा, क्या किसी नियम या कानून के अन्तर्गत चलेगा या दो आदमियों के निर्णय पर ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

आई, कैन रेज एनी प्वाइट आफ आर्डर एट एनी टाइम ..... (व्यवधान) जो घटना 5, 7 दिन पहले की हो उसके संबंध में कोई लिख कर देदे, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं उसे आप सुनने को राजी नहीं हैं। नियम 300 में वही प्रश्न उठाये जायेंगे जब हाउस की प्रोसीडिंग्स चल रही हों, ऐसा नहीं है कि कोई घर से लिख कर ले आये और जो चार दिन पहले की घटना हो फिर आप उस पर व्यवस्था देने लगे तो यह काम कैसे होगा ? यह तो दो आदमियों के बीच स्पीकर और एक सदस्य के बीच की बात है । यह इस नियम में नहीं आ सकता। उसमें वही बात उठायी जा सकती है जो सदन के कार्य से संबंधित हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो एक प्रश्न उठाया गया था जिसकी सूचना कार्यकारी अध्यक्ष को दी गई थी उसके संबंध में मैंने सूचना पढ़ी और उस पर निर्णय दिया है। अब कोई लम्बित विषय नहीं है (व्यवधान) अब आप मेरे ऊपर कृपा करके बैठ जायं, इतनी कृपा आप करें, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(समय प्रातः 11.52 बजे)

स्वायत्तशासन मंत्री श्री राम सिंह खन्ना के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की अवहैलना का प्रश्न जिसकी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार जी ने दी थी, उस पर मैं अपना निर्णय आपको सुना रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा ने माननीय श्री राम सिंह खन्ना, स्वायत्त शासन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना 3 जुलाई, 1980 को दी थी । माननीय सदस्य की शिकायत है कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने सत्र आहूत किये जाने की सूचना जारी किये जाने के उपरान्त समाचार-पत्रों के माध्यम से यह घोषित किया कि स्थानीय निकायों के चुनाव दिसम्बर, 1980 के पूर्व करा दिये जायेंगे ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

इसे अगर स्वीकार किया हो तो पढ़ कर सुनायें नहीं तो पढ़ा नहीं जाता है आप प्रोसीडिंग देख लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ जी, जो प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेलना का उन्होंने दिया है उसका उत्तर मंत्री जी ने दिया है। अतः उनके उत्तर तथा उसकी सूचना को सदन के सामने रखने का अधिकार है। उसी को मैं रखने जा रहा हूं। माननीय सदस्य का कहना है कि माननीय मंत्री जी को यह सूचना पहले सदन में देनी चाहिये थी। इस पर सदन में यह प्रश्न कई बार उठाया जा चुका है कि सरकार द्वारा महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी घोषणाएं सदन के अन्दर ही की जानी चाहिये। किन्तु किसी भी अवसर पर इसे विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं माना गया। मैंने इस संबंध में सदन के आहूत किये जाने के उपरान्त माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने स्थानीय निकाय के चुनाव के संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से कोई घोषणा की या नहीं, माननीय स्वायत्तशासन मंत्री जी से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्थानीय निकाय के चुनाव के संबंध में कोई विधिवत् घोषणा नहीं की है। उनकी एवं जनता तथा प्रतिनिधियों की यह इच्छा है कि स्थानीय निकायों के चुनाव शीघ्र हों और उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की थी कोई घोषणा नहीं की थी।ऐसी दशा में इसमें न कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का और न कोई औचित्य का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है। अतः मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा दी गई सूचना को अस्वीकार करता हूं और उस विषय को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री परमाई लाल--

मैंने 5 तारीख को एक विशेषाधिकार हनन की सूचना आपको दी थी मैं जानना चाहता हूं कि उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अध्यक्ष--

कार्यवाही की जा रही है, निर्णय हो जाएगा तो आपको सूचना दे दी जायेगी।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं तथा बागपत काण्ड से सम्बन्धित सत्याग्रहियों पर कथित लाठी चार्ज के सम्बन्ध में चर्चा की मांग

श्री अध्यक्ष--

अब नियम 56 में कार्य स्थगन के..... [11 बज कर 56 मिनट]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, बड़ी कृपा होगी आपकी,यदि आप उसे सुन लें....

(व्यवधान)

श्री जैराज गौतम--

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है, जब आप खड़े हों, तो क्या उस समय किसी को खड़े होने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यों ने नियम 56 के अन्तर्गत 5 कार्य स्थगन के प्रस्ताव दिये थे, मगर उनमें से कोई भी स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, मैंने भी एक दिया था। वैसे आपने निर्णय दे दिया है, लेकिन उसे सुन लें, क्योंकि मेरा विषय गम्भीर होता जा रहा है, आप मुझे बोलने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो प्रश्न उठाया था,उसे अस्वीकार भी इसी कारण किया गया है कि उस पर कल और परसों इतनी चर्चा हो चुकी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नहीं श्रीमन्, बिलकुल नया प्वाइन्ट रेज किया गया है। इसे मैंने और राजेन्द्र सिंह जी दोनों ने अपने हस्ताक्षर से भेजा है। वहाँ पर सत्याग्रहियों पर निर्मम लाठीचार्ज किया गया है।

(व्यवधान)

बिलकुल नया विषय है यह कि निहत्थे सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज किया गया है, उनको चेतावनी दी गई है। यह विषय अतिलम्बनीय लोक महत्व का है, इस पर आप विचार करके चर्चा करा दें।

श्री मोहन सिंह---

कल हम इस विषय को यहाँ लाए थे कार्य-स्थगन प्रस्ताव के जरिए, किन्तु आपने जब व्यवस्था दे दी कि मुख्य मंत्री का वक्तव्य हो जाए, तो उसे हमने स्वीकार कर लिया था, लेकिन आज उसमें कुछ नये प्वाइन्ट्स जुड़ गये है। उसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री मधुलिमये के साथ 300 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया है। यह देश महात्मा गाँधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने वाला है। वहाँ पर देहाती क्षेत्र के जो पुलिस कप्तान थे उन्होंने स्वयं लाठी चार्ज किया है और उन्होंने स्वयं सत्याग्रहियों को मारा है। तो इस नयी परिस्थिति में अवश्य इस पर विचार होना चाहिए। अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले सत्याग्रहियों के साथ ऐसा बर्बर व्यवहार किया जाएगा, तो जन आन्दोलन भड़केगा और स्थिति बेकाबू हो जायेगी। तो आप इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और इस पर तुरन्त चर्चा होनी चाहिए।

श्री राम आसरे वर्मा---

श्रीमन्, यह बिलकुल नया मसला है.....

एक सदस्य---

मधुलिमये जब ऐसे काम करेंगे.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

इस बिषय पर दो सूचनायें आयी थीं. जिन्हें नियम 51 में मैंने स्वीकार कर लिया है।

श्री राजेन्द्र सिंह---

कल पहले दिन सत्याग्रह हुआ। वहाँ उन लोगों पर लाठी चार्ज किया गया। इसी तरह की कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है।

श्री अध्यक्ष---

सारी बातों पर विचार करते हुए मैंने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव अस्वीकार करके नियम 51 में स्वीकार किया है।

श्री मुख्तार अनीस---

बागपत की परिस्थिति को देख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री मुख्तार अनीस---

इससे जनता में बहुत असन्तोष व्याप्त है।

श्री सुरेन्द्र कपिल---

मान्यवर, यह 5 साल तक सत्याग्रह को चलायेंगे तो क्या 5 साल तक इसी विषय पर विचार होता रहेगा?

श्री अध्यक्ष---

अब मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को लेता हूं।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, आप निर्णय नहीं दे रहे हैं। यह बड़ा ही गम्भीर मामला है लोगों पर अत्याचार हो रहा है और शान्ति पूर्ण सत्याग्रहियों पर अत्याचार हो रहा है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इसी तरह से यह इसको लटकायेंऐ ? कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है तो मुख्य मंत्री जी के ज्ञान में न हो और वह उससे अवगत न हों। सारे तथ्य इनके पास हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य आप कृपया बैठें।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह इसको कोल्ड स्टोरेज में डालना चाहते हैं। इस पर व्यापक चर्चा हो जाये नहीं तो यह इसको टालते रहेंगे। पुलिस का जुर्म बढ़ता जा रहा है।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, जो हालत बागपत में है और जिसके कारण सत्याग्रह हुआ है और उन पर लाठी चार्ज किया गया है। अगर यह स्थिति बढ़ती गयी तो हालत और भी खराब होती जायेगी।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, बागपत में लोकदल का उम्मीदवार हार गया है। इसीलिए यह सब कर रहे हैं।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य खड़े हैं, वे कृपया अपना अपना-स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

मान्यवर, इस प्रकार की व्यवस्था कैसे चलेगी ?

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, आप को सभी विरोधी दल के नेताओं को सुनना चाहिये। आपने एक दल की बात को सुन लिया और दूसरे दल को अवसर नहीं दिया। अगर दूसरे दल अपनी बात कहना चाहते हैं तो उनको भी अवसर दीजिए।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

आप अगली कार्यवाही को प्रारम्भ करें। इसे अब समाप्त करें।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, महिलाओं की इज्जत लूटी गयी और अगर हम उनकी बात यहाँ पर कहना चाहते हैं तो मौका नहीं दिया जाता है। तो यह कहाँ का इन्साफ है ? आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें और मौका दें कि हम अपनी बात को यहाँ पर कह सकें। आप चर्चा का अवसर प्रदान करें। 11 तारीख बहुत दूर है।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

लाठी चार्ज पर आज ही चर्चा करवा दीजिए।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय को आप इसी समय ले लें वर्ना इसकी लपटें पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जायेंगी।

श्री अध्यक्ष—

यदि आप बिना अध्यक्ष की आज्ञा के बोलेंगे तो वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा नियमों के अन्तर्गत जब आपको बोलने के लिए बुलाया जाय तभी आप बोलें।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि आप सभी दलों के नेताओं को सुन लें। यह दूसरी घटना हो गयी। इसमें बागपत में 300 शांतिप्रिय सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज किया गया है। बागपत को पुलिस की छावनी बना दिया गया है। अब स्थिति बहुत बिगड़ रही है। औरत के साथ बलात्कार के अतिरिक्त अब वहाँ पर शांतिप्रिय सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज भी हो रहा है।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना निर्णय चौधरी चरण सिंह के खिलाफ दे दिया है। अब ये उस निर्णय को बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप सब स्थान ग्रहण करें। बागपत काँड के सम्बन्ध में जो आपने प्रश्न उठाया था उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य 11 तारीख को आयेगा। (व्यवधान)। आप कृपया बैठ जायं, सुन लें।

एक सदस्य—

मान्यवर, ऐसा नहीं होता है। जब भी यहाँ पर कोई मसला पेश होगा, प्रश्न उठाया जायेगा, (व्यवधान)

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब सदन में किसी भी प्रश्न पर चाहे वह नियम 51 के अन्तर्गत उठाया गया हो या अन्य किसी नियम के अन्तर्गत उठाया गया हो, आपकी व्यवस्था हो गयी हो तो क्या विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के अनुसार दूसरी बार उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है ?

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था को कोई चुनौती नहीं देता हूं आपसे केवल न्याय चाहता हूं।

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, जिस प्रश्न पर आप 5 मिनट पहले अपना निर्णय कर चुके हैं, फिर उसी प्रश्न को उठाकर क्या ये आपकी दूसरी व्यवस्था की माँग कर सकते हैं ? इस प्रश्न पर आपको अपनी व्यवस्था देनी ही होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

वैसे तो मान्यवर, आप सक्षम हैं, कोई भी व्यवस्था दें, लेकिन जैसा कि हम लोग आपका अभिनन्दन करते हुए कह रहे थे कि इस नियमावली के नियम 313 के अन्तर्गत हमारी (विरोध पक्ष की) रक्षा आप नहीं करेंगे तो संसदीय परम्परा कैसे चलेगी ? (व्यवधान) जब-जब अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्यायें आती हैं तो इस आदरणीय सदन की यह परम्परा रही है कि अध्यक्ष जी की ओर से विरोधी पक्ष को सदा संरक्षण मिलता रहा है। जब कभी कार्य-स्थगन आया है और उस पर सभी विरोधी पक्ष के नेताओं ने यदि हस्ताक्षर किये हैं तो सब को सुना गया है और उसके बाद अध्यक्ष जी का फैसला हुआ है। जहाँ तक नियमों का सवाल है, आपने उसके अनुसार फैसला दे दिया, हम बैठ गये। उसके बाद हमें अधिकार है, आपकी व्यवस्था के विरोध में नहीं कि हम सदन का परित्याग करें। कभी

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

कभी ऐसी भी परिस्थितियाँ आ जाती है कि हमें बगावत भी करना पड़ती है और वह हमारा फर्ज हो जाता है। (व्यवधान) आप हम लोगों को सुन लें यह हमारा निवेदन है।

(शोर--व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

एक व्यवस्था का प्रश्न श्री त्रिवेनी ने उठाया, एक बात श्री मोहन सिंह जी ने कही, माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने भी अपनी बात रखी (व्यवधान) सब कुछ सक्षम होते हुये भी मैं अपनी सूचना तक नही दे पाता हूं, आप कृपया सुने तो। (व्यवधान) शान्ति से आप सुनें, कृपया बैठ जायं। बागपत का प्रश्न कल ही उठा था। वह महत्वपूर्ण है। कल, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यबाद के प्रस्ताव पर चर्चा के समय दो घंटे यहाँ उस पर भी चर्चा हुई। आज उसका एक नया रूप आया कार्य स्थगन के रूप में और बताया गया कि 2--3 सौ सत्याग्रही गिरफ्तार हुये, लाठी चार्ज हुआ.....(व्यवधान) दो नियम 51 की भी सूचनायें आयीं--एक शासक दल की तरफ से और एक विरोध पक्ष की तरफ से भी, विषय दोनों का एक ही था। मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया, पर नियम 51 की सूचना को स्वीकार किया, उस पर वक्तव्य होगा। उसके बाद सदन जैसा उचित समझेगा वैसा किया जायेगा....

(शोर--व्यवधान)

श्री मोहन सिंह---

मेरी एक बात सुन लें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अब आटम 7 पर चर्चा शुरू होगी। यह प्रकरण समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह---

अध्यक्ष महोदय, कम से कम हमारी बात सुनने की कोशिश कीजिए। हमारा निवेदन आप से है कि जिस तरह का प्रश्न वहाँ उपस्थित हो गया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता विरोधी दल, अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप कहें और अपने दल के अन्य सदस्यों को निर्देश दें कि वे शान्त रहें। माननीय नेता विरोधी दल अगर मेरे उत्तर के बाद भी कुछ कहना चाहते हैं तो वह कम से कम समय में अपनी बात कह लें, लेकिन कोई अन्य सदस्य नहीं खड़ा होगा।

श्री प्रियदर्शी जेतली---

मान्यवर, समय निर्धारित कर दिया जाय कि कितने समय तक नेता विरोधी दल बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैंने नेता विरोधी दल को बुला लिया है। कृपया उनको बोलने दें।

एक सदस्य---

अध्यक्ष महोदय, आप कब तक इनकी बात सुनते रहेंगे। आप कब तक इनको समय देते रहेंगे ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

जब तक लोकतंत्र रहेगा, तब तक सुनना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

कृपया आप बैठें। नेता विरोधी दल बोल रहे हैं, कृपया आप बैठें।

श्री राजेन्द्र सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। कल आपकी रूलिंग हो गयी थी 11 तारीख नेता सदन के वक्तव्य के लिए। अगर हमको निर्णय पसन्द नहीं था, तो हम लोग शान्तिपूर्वक वाक-आउट कर गये। श्रीमन्, कल सत्याग्रह का पहला दिन था। 300 के करीब सत्याग्रही श्री मधुलिमये के नेतृत्व में गये, शाँतिपूर्ण प्रदर्शन था। श्रीमन्, शाँतिपूर्ण सत्याग्रह था। श्रीमन्, वहाँ के एस0 पी0 (रूरल) ने वहाँ के सत्याग्रहियों को लाठियों से पीटा। श्रीमन्, प्रश्न यह आता है.....

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र---

आज कौन सी नई बात कह रहे हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

कौन सी नई बात कर रहे हैं। इसके संबंध में, मान्यवर, व्यवस्था दें।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता विरोधी दल कृपया शीघ्र अपनी बात समाप्त करें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

आपके विरोधी दल के नेता बोल रहे हैं, आप कृपया बैठें।

श्री राजेन्द्र सिंह---

अध्यक्ष महोदय, कल वहाँ पर शान्तिपूर्ण सत्याग्रहियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

यह क्यों बोल रहे हैं? किसी प्रकार का लाठी चार्ज नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह---

शान्तिपूर्ण सत्याग्रहियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। श्रीमन्, यह कानून व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्रीमन्, आपने मुझे मौका दिया। मैं सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि मेरी बात सुन लें।

(व्यवधान)

(दोनों ओर के सदस्य खड़े होकर साथ-साथ बोलने लगे)

एक सदस्य---

बैठने का तरीका उनको सिखाएं।

श्री अध्यक्ष—

कृपया शांत रहें। मैंने नेता विरोधी दल को समय दिया और इस बीच में दोनों तरफ से माननीय सदस्यगण खड़े होकर और उसमें ट्रेजरी बेंचेंज के भी हैं उनकी बात सुनने में व्यवधान कर रहें हैं। मैं नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि वह कम से कम समय में अपनी बात कह लें और उसके बाद मद संख्या 7 पर कार्यवाही शुरू होगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

किस विषय पर बोलेंगे यह भी तो कह दीजिये।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

नेता विरोधी दल अपने अधिकार का दुरुपयोग सदन को गुमराह करने की चेष्टा कर रहें हैं। वह न करें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, यह बात ठीक है कि सत्ता पक्ष बहुमत में है और वह विरोधी पक्ष की सही बात को दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं यह कह रहा था, बागपत के अन्दर.....

(दोनों तरफ के बहुत से सदस्य खड़े हो गये और घोर व्यवधान हुआ।) (लोक दल के कुछ सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

श्री अध्यक्ष—

कृपया सदन की गरिमा को देखते हुये आप अपना स्थानग्रहण करें। अत्यन्त दुख की बात है कि जिस सदन की गरिमा को बनाये रखने का सबसे अधिक, जिन लोगों का उत्तरदायित्व है वह हमारे माननीय सदस्य.....

कई सदस्य—

सत्ता पक्ष का।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने कहा है मेरे सामने सत्ता पक्ष व विरोध पक्ष का प्रश्न नहीं हैं। माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना करता हूं कोई सत्ता पक्ष या विरोध पक्ष का सवाल नहीं है। केवल मैं माननीय सदस्यों को सम्बोधित कर रहा हूं। अध्यक्ष के सामने केवल माननीय सदस्य हैं इसमें कोई सत्ता और विरोध पक्ष का नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से कि वे आदर्श ढंग से सदन को चलने दें। जो बात कोई कहना चाहता है उसको कहने का अवसर दें। सही कहें या गलत। अगर मैंने अवसर दे दिया है तो कृपया शांतिपूर्ण ढंग से उसको सुन लें। आप स्वंत: जब अवसर चाहेंगे तो मैं अवसर दूंगा। मैं दोनों तरफ के सदस्यों से पूर्ण शान्ति चाहूंगा और उसके बाद जो एजेन्डे में कार्यक्रम है, जिस को कार्यमंत्रणा समिति ने पास किया है और जिसको सदन ने स्वीकृत किया है मैं चाहूंगा कि समय के अन्दर इस निश्चित कार्य को पूरा करें। इसलिये दोनों तरफ के सदस्य सहयोग दें और सदन की गरिमा को बनाये रखे। मैंने नेता विरोधी दल से अपेक्षा किया था कि आपने बहुत कुछ बातें अपनी कह दी हैं लेकिन अगर आपको कुछ कहना शेष है तो मैं आपसे अत्यन्त नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत कम से कम समय में अपनी बातें कहें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, कल 7 तारीख को बागपत में एक शान्तिपूर्ण सत्याग्रह 3 सौ व्यक्तियों का मधुलिमये के नेतृत्व में हुआ।

एक सदस्य--

सत्याग्रह था या प्रदर्शन था।

एक सदस्य--

यह झूठ है [× × ×]

श्री राजेन्द्र सिंह--

सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज किया गया।

एक सदस्य--

यह झूठ है किसी प्रकार का लाठी चार्ज नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

उस लाठी चार्ज में रूरल एस0पी0 ने खुद लाठी चार्ज किया। यह ला एण्ड आर्डर का विषय है शान्ति का विषय है। आप देख रहे हैं अखबारों के माध्यम से। यह विषय इस सदन की है इस प्रान्त का है इसको टेकअप यहाँ के शासन को करना चाहिये था। श्रीमन्, पिछले 10 दिन से यह विषय लगातार राज्य सभा में चल रहा है लोक सभा में चल रहा है। श्रीमन्, वहाँ हमारे देश के स्वराष्ट्र मंत्री, श्री जैल सिंह, मेरठ गये, उनको मजबूर किया गया सदन के आगे, सदन के माननीय सदस्यों के आगे उनकी भावनाओं के आगे उनको झुकना पड़ा और उन्हें वक्तव्य देना पड़ा। वहाँ भी बहुमत काँग्रेस का है। श्रीमन्, डिप्टी होम मिनिस्टर को यह कहना पड़ा सदन के अन्दर कि होम मिनिस्टर एक वक्तव्य देंगे बागपत के ऊपर। यह दुर्भाग्य है इस देश और प्रदेश का जिसको यह सरकार मिली है। इस प्रदेश की ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था खराब होने के बावजूद जैसा मैंने कहा, माननीय मुख्य मंत्री या और कोई भी मंत्री आज तक वहाँ नहीं पहुंचे। 11 तारीख के लिये इसको टाला गया है जो आपका आदेश है। वहाँ राजनीतिक सत्याग्रह होगा और सत्याग्रही वहाँ जायेंगे। अगर शासन इस तरह की निरंकुशता पर उतर आयेगी तो मैं बताना चाहता हूं कि वहाँ पर इसी तरह के सत्याग्रह होते रहेंगे और यदि शासन उस पर, जैसा कि कल आपने व्यवहार का प्रदर्शन किया है, व्यवहार करता रहेगा, तो मान्यवर, कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, आपने केवल नेता विरोधी दल को कहने के लिये कहा था, पढ़ने के लिये नहीं कहा था। माननीय नेता विरोधी दल से संक्षेप में कहने के लिए कहा था, कुछ पढ़ने के लिए नहीं कहा था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मुझे भी बोलने दें, मेरा भी नाम है प्रोग्राम में।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। इस संबंध में सबको सामान रूप से समय दे चुका हूं। कल निश्चित रूप से तीन बातें आयी थीं जिस में पहली बात यह कि कार्य स्थगन का प्रस्ताव था, जिसको मैंने अस्वीकार किया था और दूसरी बात 11 तारीख के लिए वक्तव्य की बात आयी थी और तीसरी बात जो यह सत्याग्रह हो रहा है, उसमें दो सूचनाएं आयी थीं जिनको नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया था। मैंने सबको बोलने का मौका दिया। नेता विरोधी दल ने कहा, उनको भी बोलने का मौका दिया। अब मैं अपना निर्णय पूर्ववत रखता हूं और जो मैंने निर्णय दे दिया उसी के अनुसार अब सदन की कार्यवाही आगे चलेगी।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री भीखालाल—

आपके निर्णय पर कुछ नहीं बोलूंगा। सिर्फ इतना कहना है कि जो नियम 51 में सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं, उनके लिये वायरलेस भेजकर सूचना माँग लें और शाम तक माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में सूचना दे दें।

श्री अध्यक्ष—

भीखा लाल जी, आपको समय आने पर मुख्य मंत्री द्वारा सूचना दिलवा देंगे।

एक सदस्य—

यह समय कभी नहीं आयेगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (कमागत)†

[12 बजकर 33 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

कल जो चर्चा चल रही थी, उसमें अन्त में शासक दल के लोगों ने ही भाग लिया था।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक बात मुझे भी कहने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनाएं आप ने स्वीकार की है, वह कब आये गीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। कल अन्त में शासक पक्ष के लोग धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोले थे। आज पहले विरोधी पक्ष का बोलने का अवसर है।

***श्री मोहन सिंह—**

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल का जो भाषण हुआ है, उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने जो पवित्रता प्रस्तुत की है, उसमें आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। विगत 30 वर्षों से इस देश और प्रदेश में जो शासन था उस शासन के जमाने में इस देश में महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी लगातार बढ़ी ही है। इस समय मौजूदा जो शासन है, यह उसी 30 वर्षों की देन है और यह उसी की एक योजनाबद्ध कड़ी है। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल अपने भाषण के दौरान यह कहते हैं कि मैं इस प्रदेश के हरिजनों के लिए विशेष व्यवस्था करूंगा। जो हदबन्दी कानून लागू है। जो बची हुई जमीने हैं, उन जमीनों को साधारण लोगों में बाँटने का काम करूंगा। लेकिन, मान्यवर, हमारे सामने उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो कांग्रेस पार्टी का था भूमि व्यवस्था जाँच समिति श्री मंगल देव विशारद की अध्यक्षता में गठित की गयी थी। इसमें कुछ भूमि चोरी के उदाहरण दिये हैं। उसमें से कुछ. मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसमें एक उदाहरण हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई चन्द्र शेखर प्रताप नारायण सिंह का भी है। इन्होंने 1450 एकड़ भूमि फर्जी तरीके से हड़प ली। मैं इसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

आपके जमाने की बात है। आपकी रपट है। अगर यह झूठी है तो इसे कोल्ड स्टोरेज में, रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिये।

(शोर)

---

†7 जुलाई, 1980 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहला काम यह कीजिये कि जो 1450 एकड़ जमीन हड़प रखी है उसको वितरित कीजिये। आप संजय गाँधी को मानते हैं, उनके फालोअर हैं, उनकी स्मृति में कोई बस्ती बसा दीजिये, हरिजनों के हिमायती हैं, उन्हें बसा दीजिये।

(शोर)

एक तरफ तो किसानों के, हरिजनों के लिए विशेष व्यवस्था करें और दूसरी तरफ भूमि चोरी करें एक तरफ राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह दूसरी तरफ महाराजा संजय प्रताप सिंह। सामन्तवादी व्यवस्था पनप रही है, अपने सिर को नये सिरे से उठा रही है।

(शोर)

एक सदस्य—

मान्यवर, व्यक्तिगत आक्षेप करने की कोशिश न करें।

(व्यवधान)

(कई सदस्य लगातार बोलने लगे)

एक अन्य सदस्य—

सदन की परम्परा है कि व्यक्तिगत आरोप लगाना अनुचित है।

(शोर)

(श्री देवेन्द्र पाण्डेय के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय पाण्डे जी, अब आप बैठ जायें। मोहन सिंह जी आप अपना भाषण जारी रखें। आप को ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यक्तिगत रुप से किसी पर आक्षेप न हो।

(शोर)

आप सब लोग कृपया बैठ जायें।

एक सदस्य—

संजय गाँधी जी का नाम लेकर जो बात माननीय सदस्य ने कही है उसको कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री मोहन सिंह—

मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। आप प्रोसीडिंग्स पढ़ लें।

(शोर)

(श्री श्याम लाल बाजपेयी के खेड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

बाजपेयी जी कृपया बैठ जाइये।

माननीय सदस्य अपना भाषण जारी किये हुये थे। उसमें संजय जी गाँधी के नाम का उन्होंने प्रयोग किया। जैसा यहाँ सुनाई पड़ा संजय जी के कार्यक्रमों को पूरा करने की बात है। अगर इसके अतिरिक्त कोई आलोचनात्मक बात है तो वह कार्यवाही में नहीं रहेगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, संजय सिंह के बारे में कहा।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

कृपया माननीय सदस्य बैठ जायं। जो बात आपने उठायी थी, उसका समाधान हो गया। कोई व्यक्तिगत आरोप लगाने का किसी को अधिकार नहीं है। माननीय मोहन सिंह जी से मैंने निवेदन किया कि वह अपना भाषण जारी रखें। अगर वह इस तरह का कोई व्यक्तिगत आरोप लगाए तो आप कहें। श्री मोहन सिंह अपना भाषण जारी रखें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय सदस्य की बात आपने सुनी। माननीय सदस्य ने जिस भावना से यह बात कहा है उस पर भी ध्यान दें . . . .

श्री अध्यक्ष—

बाजपेयी जी आप बैठिये ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जस्टिस सी० एस० पी० एन० सिंह सदस्य नहीं हैं। इन्होंने कहा कि 1400 एकड़ जमीन रखे हैं। अगर वह इस सदन के सदस्य नहीं है तो क्या उन पर चार्ज लग सकता है ? अगर नहीं, तो यह कार्यवाही से निकाल देना चहिये। उसे एक्सपंज कर देना चाहिये मैं आपका स्पष्ट निर्णय चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जो इस सदन का सदस्य नहीं है निश्चित रूप से उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकता। मोहन सिंह जी कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। उसमें अगर कोई बात है तो उसे पढ़ने से रोका नहीं जा सकता ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, अगर यह रिपोर्ट सदन की कार्यवाही का अंग नहीं बन सकती तो रिपोर्ट का हवाला भी नहीं दे सकते हैं। इस पर आप अपना निर्णय दें कि यह सदन के पटल पर रखी गयी है या नहीं ? अगर यह रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं लायी गयी तो इसका हवाला माननीय सदस्य नहीं दे सकते ।

श्री अध्यक्ष—

यह पब्लिक रिपोर्ट है। पब्लिक रिपोर्ट के सम्बन्ध में यह हवाला दे रहे हैं ? (श्री मोहन सिंह से) जो रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं उसकी एक कापी हमको, अध्यक्ष पीठ को प्रस्तुत करें। उपाध्याय जी को भी एक कापी दे दें।

अब कृपया आप बैठें ।

मैं मोहन सिंह जी को यह भी याद दिला दूं कि सदस्य के बोलने का समय केवल 10 मिनट है।

श्री मोहन सिंह—

लेकिन टोका-टोकी नहीं होनी चाहिये ।

('टोका-टोकी नहीं होनी चाहिये' की आवाजें)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर। आपने कहा है कि जो रिपोर्ट है उसकी प्रति सदन के पटल पर रखी जानी चाहिये। एक कापी आपको देनी चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। विरोध पक्ष के सदस्य अखबार से कोट करते हैं, रिपोर्ट भी पढ़ते हैं, अन्य जगहों से कोट करते हैं, रेफरेन्स देते हैं। तो यह कैसे हो सकता है कि यह सब वह आपको दें ।

श्री अध्यक्ष—

आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी होगी। मैंने यही निर्णय दिया कि अगर यह पब्लिश्ड रिपोर्ट है तो उसको पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मैंने मोहन सिंह से अनुरोध किया था कि वह मुझे यह रिपोर्ट दिखा दें। अध्यक्ष की हैसियत से मैंने आवश्यक समझा कि मैं उस रिपोर्ट को देख लूं। पटल पर रखने का कोई निर्णय नहीं है। कृपया आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना करें।

श्री मोहन सिंह—

भूमिहीनों के सवाल पर जो सरकार हुकूमत में बैठी है उसकी उद्घोषणाएं होती हैं, राजाज्ञा और आदेश निकाले जाते हैं लेकिन भूमिहीनों, जिनको पट्टे मिले हैं, उन भूमिहीन हरिजनों को उन पर कब्जा नहीं मिला और उस संबंध में कोई कारगर ढंग से कार्यवाही नहीं हुयी। मुझे अफसोस है। आप मेरा अनुकरण न करें। अगर मेरा अनकरण करते हैं तो बहुत से सदस्यों को जेल में रहना चाहिये, विधान सभा में नहीं। इस देश और प्रदेश की जनता के हित में, प्रदेश की हुकूमत क्या कर रही है ? आज हमारे ढाई वर्ष के शासन

की आलोचना होती है। जबसे आपकी हुकूमत बनी पुलिस के जुल्म प्रारम्भ हो गये हैं। इलाहाबाद में 6 जून को दो व्यक्तियों का झगड़ा होता है। पूरे नगर में कुछ अधिकारी मिल कर घोषित करते हैं कि हिन्दू-मुसलमान दंगा हुआ और कर्फ्यू लगाया जाता है। वहाँ के विधायक अशोक बाजपेयी सामने बैठे हैं। उनका वक्तव्य था कि केवल कोतवाली में कर्फ्यू पास बन रहे हैं इस से लोगों को परेशानी हो रही है। उसके तीन दिन बाद माननीय मुख्य मंत्री इलाहाबाद जिले के दौरे पर जाते हैं और यह वक्तव्य देते हैं कि वहाँ साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ था। 2 व्यक्तियों का आपसी झगड़ा था। मैं जानना चाहता हूं कि यदि वह 2 व्यक्तियों का झगड़ा था और साम्प्रदायिक दंगा नहीं था तो जिन पुलिस अधिकारियों और जिले के जिस अधिकारी ने इस तरह झूठी अफवाह फैलाकर पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगा की ज्वाला भड़काने का कुप्रयास किया उसके खिलाफ मुख्य मंत्री जी आपने क्या किया? आपने सबसे पहले कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बारे में उद्घोषणा की लेकिन अफसोस की बात है कि कफल्टा के अन्दर हरिजनों के ऊपर सवर्णों ने दमन, जुल्म किया। उसका कलंक आपके माथे पर लगा हुआ है। मुरादाबाद में झूठे दंगे से अफवाह फैलाकर हिन्दू मुसलमान दंगा कराया गया और एक दर्जन लोग मौत के घाट उतारे गये। छूठी खबर फैलाकर राजेन्द्र अग्निहोत्री को वहाँ के जिलाधिकारी ने कहा कि आप जुलूस नहीं निकाल सकते इसलिये कि जिस मोहल्ले में से आपका जुलूस जायगा वहाँ दूसरे सम्प्रदाय के लोगों की आबादी है, वहाँ साम्प्रदायिक दंगा होगा। हमको जुलूस निकालने तक का अधिकारी नहीं है।

मुझे अफसोस है कि महामहिम राज्यपाल का शासन आने के बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार 3 महीने के अन्दर 60 फीसदी आई0ए0 एस0 अधिकारियों के तबादले किये गये। 300 पी0 सी0 एस0 अधिकारियों और डी-वाई0 एस0 पीज0 के दो महीने के अन्दर तबादले किये गये मुख्य मंत्री के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले की पहली किश्त निकाल रखी है। मुझको अफसोस है कि चुनाव के दरम्यान फर्जी ढंग से चुनाव कराने के लिये, बूथ कैप्चरिंग कराने के लिये अधिकारियों को मनमाने ढंग से तबादले किये गये। पुलिस का उपयोग कर शासन पक्ष के चुनाव जीतने की कोशिश की। उसका नतीजा यह है पुलिस को अहसास है कि यह हुकूमत हमारी ताकत पर टिकी है इसलिये पुलिस हरिजनों और महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। लेकिन शासन की ओर से उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जब बागपत की बात करते हैं तो आप नरायनपुर कांड की बात करते हैं। नरायनपुर में डिप्टी एस0 पी0 को मुअत्तल किया था, 2 इन्स्पेक्टरों को मुअत्तल किया था लेकिन आपने शासन में आने के बाद, मेरी चुनौती है, चूंकि डिप्टी एस0पी0 प्रदेशीय कांग्रेस पार्टी (आई) के अध्यक्ष का रिश्तेदार है इसलिये उसको बहाल किया गया है। इससे कलंक की बात और क्या हो सकती है? (शेम शेम की आवाजें) आप नरायनपुर काण्ड की दुहाई देते हैं तो मैं इस सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो आदमी नरायनपुर कांड में निलम्बित किया गया तो उसको फिर से नरायनपुर कांड के चलते बहाल करने का काम किन परिस्थितियों में किया। एक तरफ तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया और दूसरी तरफ जो क्रिमिनल मीसा में बन्द थे उनको मेम्बर बनाया गया आप कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। तो यह कहाँ तक ठीक है? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो पहली आपकी उद्घोषणा इस देश में कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करने की किया उसकी पहली नजीर हमारे सामने है। आपके ही विधायक श्री श्यामलाल बाजपेयी जी चाहते हैं कि उनके वहाँ बाराबंकी में जो कुर्सी कांड हुआ उसमें इंसपेक्टर को सस्पेंड किया जाता है और उस पर कार्यवाही होती है चूंकि आपके पार्टी के लोग इन्टेरेस्टेड नहीं हैं तो बाराबंकी में एक मापदंड अपनाते हैं। किन्तु बागपत में आप इन्टेरेस्टेड नहीं हैं इसलिये वहाँ दूसरा रवैया अपनाया जाता है। 'हिन्दुस्तान' में जब यह खबर छपती है कि दो व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो मृतक के पिता ने कहा कि हमारा लड़का क्रिमिनल नहीं था लेकिन वहाँ के पुलिस अधिकारी एस0पी0 का कहना था कि वह डकैत था। लड़के के पिता

[श्री मोहन सिंह]

ने बताया कि हमारा लड़का युवा कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्त्ता था तो उसको क्यों मार दिया गया ? (व्यवधान) इसलिये मेरा अनुरोध है कि यदि पुलिस का उपयोग इस प्रकार से अपनी पार्टी की हुकूमत को रखाने के लिये किया जायगा तो यह सरकार कानून और व्यवस्था को ठीक नहीं कर पायेगी। इसलिये कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को ठीक किया जाय ।

मान्यवर, अब मैं महंगाई के संबंध में कहना चाहता हूं कि सारी चीजों के दाम इनके शासन में बढ़े हैं। चीनी और डालडा के दाम बढ़े हैं। आप कहते हैं कि दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद जरूरी चीजों पर टैक्स नहीं लगाये गये बावजूद इसके मिनी मीसा का आपने प्रयोग किया। उसकी उद्घोषणा हुई लेकिन उसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी भी भ्रष्ट व्यापारी की गिरफ्तारी आपने आज तक नहीं किया। इसमें मैंने प्रश्न किया तो आप चुप रहें। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि मिनी मीसा का प्रयोग भ्रष्ट व्यापारी पर नहीं किया गया। यह पुलिस की रिपोर्ट है कि इसलिये नहीं किया जा सका चूंकि शासक पक्ष के लोग हैं उनका दबाव हमारे ऊपर है जिससे गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसलिये दामों में वृद्धि आम बात है। श्री काशीनाथ मिश्र कह रहे थे कि चीनी के दाम इसलिये बढ़ गये कि पुरानी सरकार ने मिल मालिकों से पैसा लिया था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका टेलेक्स जाता है कि 8 तारीख के बाद जो भी स्टाक है उसके ऊपर, फर्टीलाइजर के ऊपर के दाम बढ़ा दिये जायं, लेकिन इस प्रदेश में लाखों रुपये का पहले से जो स्टाक फर्टीलाइजर का था उसके संबंध में क्या आपने टैलक्स के जरिये कहा कि किसानों के साथ लूट न हो सके इसलिये उसको पुराने रेट पर ही बेचा जाय ? तो आपकी सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार से ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है कि पुराने रेट पर स्टाक बेचा जाय। यह अफसोस की बात है। मैं मानता हूं कि पेट्रोलियम का दाम, फर्टीलाइजर का दाम दिल्ली की सरकार ने बढ़ाया, लेकिन उसके बाद दाम स्थिर रहे, उचित दाम किसान को मिले। यह व्यवस्था करना प्रदेश की जिम्मेदारी है और प्रदेश की सरकार इस मामले में विफल रही है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने 'फूड फार वर्क योजना' चलाई। आपने क्योंकि यह योजना बेईमानी की योजना बताई इस योजना को निलम्बित किया थोड़े दिनों के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि 'फूड फार वर्क' योजना से इस प्रदेश के खाद्यान्न के दाम स्थिर रहे। ज्यों ही यह योजना स्थगित हुई खाद्यान्न के दाम बढ़ गये। इसलिये इस वर्ष सरकारी गेहूं के खरीद के दाम पिछले साल के मुकाबले तीस फीसदी बढ़े। कारण यह था कि इस प्रदेश का किसान सरकारी खरीद केन्द्रों पर अपना गेहूं इसलिये नहीं ले गया, क्योंकि सरकारी खरीद केन्द्र के मुकाबले ज्यादा अच्छा मूल्य उसे गेहूं का बाजार में मिल रहा था। इसलिये किसानों ने अपना अधिकांश गेहूं बाजार में बेचना उचित समझा। फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दीजिए, सिचाई पर टैक्स बढ़ा दीजिये, बस भाड़ा बढ़ा दीजिये, लगान बढ़ा दीजिये लेकिन गेहूं के दाम किसानों को उचित रूप से देने के लिए आप को परेशानी हुई। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसान विरोधी है, यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, यह सरकार हरिजन विरोधी है; इस सरकार को इस तरह के राज्यपाल के अभिभाषण के जरिये हम धन्यवाद देने के लिये तैयार नहीं है। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण इस प्रदेश की अफसरशाही, इस देश की सामन्तशाही का गरीब जनता के साथ षडयन्त्र का काला चिट्ठा है और उसकी निन्दा होनी चाहिए। इसलिये मान्यवर, मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में कोई भी रोशनी नहीं मिली है जिससे शासन आने वाले दिनों में गरीब लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकेगी, जनता को शांतिमय तरीके से सड़कों पर चलने के लिए आश्वस्त कर सकेगी, इसकी कोई झलक इसमें नहीं दिखाई देती, इस एक महीने के शासन में। आप कहते थे कि पिछली सरकार खिचड़ी सरकार थी, आप इस एक महीने में अपना पूरा

मंत्रिमण्डल भी नहीं बना सके। 16 मत्रियों से एक महीने से आप शासन चलाते आ रहे हैं इसलिये कि मैडम का आदेश दिल्ली से नहीं मिला। यह अफसोस की बात है। दुनिया क संसदीय इतिहास में, चूंकि बाहर से आदेश नहीं आया, आपने एक प्रोटम, कार्यवाहक स्पीकर की नियुक्ति कर एक नई परम्परा डाली। मैं कहना चाहता हूं कि युवा काँग्रेस (आई) के अध्यक्ष ने एक वक्तव्य अखबार में दिया है उत्तर प्रदेश के, कि जब तक माननीय मुख्य मंत्री हमारी नीतियों पर चलते रहेंगे मैं उनका समर्थन करता रहूंगा। कहने का मतलब यह है कि आज दो काँग्रेस (आई) हैं---एक के नेता है राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह और दूसरी के नेता है युवा नेता राजकुमार संजय सिंह। उनका समर्थन जब तक रहेगा माननीय मुख्य मत्री चलते रहेंगे.....

(व्यवधान)

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

मोहन सिंह जी, अब आप समाप्त करें। आप का एक मिनट का समय और है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि काँग्रेस पार्टी जो आज की है....

एक सदस्य--

[x x x x]

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य जब आप का समय आयेगा तो जो बात इसमें आप समझें उनका खण्डन करेंगे.....

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मेरे कहने का आशय यह है कि.....

(व्यवधान)

एक सदस्य--

इस बात की कसम खाइये जो कहूंगा सत्य कहूंगा। कहाँ है वह अखबार जिसमें वक्तव्य दिया है.....

श्री मोहन सिंह--

मैं समाप्त करने वाला हूं। यह आपस में बंटी हुई पार्टी है (व्यवधान तथा शोरगुल) अगर यह पार्टी बटी रही तो इस प्रदेश के अन्दर स्थायी सरकार नहीं रह सकती और कानून तथा व्यवस्था की समस्या हल नहीं हो पायेगी।

श्री बृज किशोर--

मैं जानना चाहता हूं कि श्री मोहन सिंह क्यों बार-बार विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा संजय सिंह की व्यक्तिगत बात करते हैं? वे लीडर हैं, लीडर रहेंगे और उनको इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहियें।

श्री पंचानन--

मान्यवर, माननीय संजय सिंह ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। [इस समय कुछ देर के लिये बिजली चली गयी तथा बिजली पुनः आने पर।] मुझे यह कहना है कि गत तीन वर्षों में नेतृत्व इतना अक्षम तथा अयोग्य था कि प्रदश में नौकरशाही हावी हो गयी और उनकी जातिवादी नीति के कारण

नोट—[xxxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री पंचानन]

प्रशासन भ्रष्ट हो गया अब हमारी सरकार जो आई है, उस पर आज बड़ी भारी जिम्मेदारी इस बात की है कि पिछले तीन साल के अन्दर जो प्रशासन में खराबी आई हैं, उसको दूर करने का प्रयास करें। मैं अपनी बात शिक्षा के क्षेत्र से प्रारम्भ करना चाहता हूं। पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पर्चे आउट हुए। हमारे प्रदेश की यह परीक्षा थी। इसका बड़ा भारी महत्व हुआ करता था। लेकिन पिछली सरकार की जातिवादी नीति के कारण एक ऐसा अफसर जो उसका इंचार्ज था और जो अपने को शिक्षा मंत्री से कम नहीं समझता था और वह उसी विरादरी का था जिस विरादरी की सरकार इस प्रदेश पर थी और पर्चे आउट होने में जिस पर सन्देह है जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो गया क्योंकि परीक्षा की प्रमाणिकता पर्चे आउट होने से समाप्त हो गयी, उसको पदोन्नति दी गयी। ये पर्चे 77–78 तथा 79 तीनों सालों में आउट हुए लिहाजा 80 की परीक्षा में भी आउट हुए। हमारी पार्टी सत्ता में आई है तो उसने इसकी जाँच विजिलेंस के द्वारा कराने का फैसला किया है। आप इस बात पर विचार करें कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार को कितना फैलाया। पर्चे आउट होने तक में सरकार की साजिश थी। जब पर्चे आउट करने वालों का जातिवाद के आधार पर भ्रष्ट अधिकारी होने के बाद भी पदोन्नति दी गयी और कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को कुण्ठा का शिकार होना पड़ा और उनको सुपरसीड किया गया। पिछले तीन साल में जो ईमानदार अधिकारियों के साथ ज्यादती हुई है। और जो उनको कुठा हुई है उसको दूर करने का प्रयास किया जाना आवश्यक है।

पिछली सरकारों के जो मंत्री हुआ करते थे, उनकी बराबरी का आज एक भी उदाहरण नहीं मिल सकता है। शिक्षा मंत्री जब बन गये तो 56 हजार रुपये के फर्जी वेतन का एरियर बना कर ले लिये और यदि किसी अधिकारी ने कहा कि हम फर्जी एरियर पर दस्तखत नहीं करेंगे तो उसका वहाँ से तबादला कर दिया गया। इसी तरह से एक मामले में माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सेक्रेटरी को झांसी भेज दिया गया। क्योंकि वह गाजीपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक रह चुका था और बैंक डेट में दस्तखत नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज तक चल रही है। राष्ट्रपति शासन में भी उसके नतीजे हमारे सामने आये हैं। कालविन ताल्लुकेदार कालेज एक यहाँ पर है और भी शिक्षा सस्थाएं हैं। हमारे नियमों में है कि किसी भी शिक्षा संस्था का जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अतिरिक्त किसी दूसरी परीक्षाओं में परीक्षार्थी सम्मिलित कराने का अधिकार नहीं दिया जायगा। लेकिन इस शिक्षा संस्था का कैम्ब्रिज परीक्षाओं में परीक्षार्थी सम्मिलित कराने की इजाजत दे दी गयी। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो अधिकारी नियमों के विरुद्ध अपना कार्य संचालन करें उसके ऊपर आप कार्यवाही करें।

मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये राजा महाराजाओं के स्कूल हैं अगर उनको आपने दूसरी तरह के अधिकार दिये है तो आपको अन्य स्कूलों की ओर भी ध्यान देना होगा और उसके लिये उपाय ढूंढ़ना होगा। पिछले तीन साल के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी चर्चा इतने कम समय में नहीं हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् एक संस्था है और उसने तय किया था कि विद्यार्थियों का परीक्षाफल कम्प्यूटरों द्वारा नहीं बनाया जायगा। अन्य तर्कों के अतिरिक्त उसमें एक तर्क यह आया था कि क्योंकि उससे दो तरह से परीक्षाफल बन रहे हैं। एक हिन्दी में और दूसरे अंग्रेजी में। 6 मण्डल हिन्दी में बनाते हैं और 6 मण्डल अंग्रेजी में परीक्षाफल बनाते हैं। इससे यह होता है कि एक विद्यार्थी के बारे में कहा जाता है कि आपको यह कहाँ से मिला और दूसरे के बारे में कहा जाता है कि आपको कहाँ से मिला। कम्प्यूटर कम्पनी से सौदेबाजी करके भारी पैसा पिछले शासन ने लिया था। यह माध्यमिक शिक्षा परिषद् का फैसला था जिसमें देश की संसद के और इसे माननीय सदन के रूलिंग पार्टी के प्रतिनिधि भी थे। मान्यवर, आप जानते हैं कि इन्टरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित हो गया लेकिन

हाई स्कूल का परीक्षाफल कब तक घोषित होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है ? मैं कहना चाहता हू कि पूरे शिक्षा क्षेत्र में पिछले तीन साल में अव्यवस्था हो गई है, चारों तरफ भ्रष्टाचार और अराजकता फैली हुई है। उसका कारण यह है कि जो जिम्मेदार लोग थे ऊंचे ऊंचे पदों पर थे और वे भ्रष्टाचार में लिप्त थे। मंत्री स्वयं एल0टी0 ग्रेड से लेक्चरर हो गये और प्रमोट होकर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गये। मंत्री से हटने के बाद दूसरी जगह पर प्रिंसिपल बन गये। जब इस तरह से होगा तो नौकरशाही भ्रष्टाचार क्यों न करे। उसी के माध्यम से यह सब कराया जाता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों के अन्दर भारी अव्यवस्था पैदा हुई है। नौकरशाही चारों तरफ हावी हुई है। इसके अलावा तीन साल के अन्दर प्रदेश में पुलिस का राज था। अब हमारी पार्टी आयी है, वह अंकुश लगा रही है तीन साल के अन्दर जो कुछ हुआ है उसको ठीक करने में कुछ समय लगेगा और यह सरकार उसे कर रही है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के विकास में एक भारी असमानता आयी हुई है इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है बल्कि इस बात का ध्यान दिया गया है कि जहां का मंत्री है वहीं विकास योजनाएं ले जायी गयीं, गरीबों और पिछड़े क्षेत्रों की अवहेलना की जाती रही हैं आजमगढ़ एक पिछड़ा इलाका है। जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं उस निर्वाचन क्षेत्र का आधा हिस्सा घाघरा नदी के किनारे है और उसमें कटाव होता है, बाढ़ आती है, उस क्षेत्र के आदमी तीन महीने बंधे पर रह कर काटते हैं। उसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब हमारे यहां के एक मुख्य मंत्री हुए तो आजमगढ़ की दो कांस्टीटुवेंसीज में सारे विकास के कार्य किये गये और पिछड़े क्षेत्रों को कोई योजनायें नहीं दी गईं। मेरा अनुभव है कि एक अपने जिले की बात नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की जो आवश्यकताएं थीं उन पर ध्यान नहीं दिया गया। विभिन्न घटकों को सरकार के मंत्रियों ने स्वेच्छारिता से काम किया। ऐसा व्यवहार हुआ जैसे वह लोग अपनी कांस्टीटुवेंसीज के लिए उत्तरदायी थे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं थे इसलिये प्रदेश के विकास की गति में अवरोध आ गया, मंत्रियों को आपसी झगड़ों से फुर्सत नहीं थी। दूसरी तरफ वह इतने व्यक्तिवादी थे, समाज के प्रति अपने को उत्तरदायी नहीं समझते थे जिस क्षेत्र से चुन कर आये थे वहीं का विकास वह चाहते थे। एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर आजमगढ़ में लड़कियों का हाई स्कूल खुलना है तो वह अम्बारी जैसी जगह में खुला जहां पर कि लड़कियों का कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं था कोई साधारण बुद्धि का आदमी होगा तो वह भी सोचेगा कि पहले प्राइमरी स्कूल खुले फिर जूनियर हाई स्कूल और तब हाई स्कूल खुलेगा और तभी उसमें लड़कियां पढ़ने को मिलेगी। अम्बारी में जो उनके क्षेत्र में आता था वहां पर लड़कियों का एक हाई स्कूल खोल दिया गया। यदि खोलना ही था तो आजमगढ़ में तमाम और टाउन थे, वहां पर खोलते। तो किस तरह से प्रदेश के एक्सचेकर की बरबादी हुई, इसके एक नहीं अनेक उदाहरण मिलेंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि हमारी सरकार को इस दिशा में ध्यान देना होगा। कि जो पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्र है उनका विकास किया जाय तथा जो भ्रष्टाचार हुये है उन की तरफ भी ध्यान दिया जाय और उसकी जांच करायी जाय।

एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली अस्त्र होता है। अगर उसे हम ठीक नहीं कर सकेंगे तो आज जो हमारी हालत है उसमें सुधार नहीं ला सकेंगे। इसलिये मान्यवर, हमारी सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में यह जो व्यक्तिगत प्रबन्धकीय व्यवस्था है इसको समाप्त करना होगा। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की दिशा में कदम उठाना चाहिये वहीं समस्याओं के समाधान का एक मात्र रास्ता है। अगर ठीक शिक्षा दी गयी तो हम प्रदेश का भी कल्याण कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं संजय सिंह द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं राजकुमार संजय सिंह द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। (व्यवधान) सामन्तशाही के प्रतीक आप है जो बोलने में बाधा डाल रहे हैं। मान्यवर, बहुत सी बातें इसमें दी गई है। इसमें हरिजनों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, सिचाई व्यवस्था, विद्युत पर जोर तथा प्रदेश की बिगड़ती हुई अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्यपाल महोदय ने चर्चा की है। मैं उन बातों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे विरोधी दल के नेताओं तथा बहुत से साथियों ने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तीन महीने के अन्दर आप कुछ नहीं कर पाये हैं। में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1977 में जब कांग्रेस पार्टी शासन से हटी थी, उस समय लोहे की सरिया का भाव 150 रु0 प्रति क्विंटल था जो आज साढ़े 5 सौ है, नमक 20 पैसे किलो हमने छोड़ा था आज वह 60 पैसे किलो है आज से डेढ़ साल पहले सावन भादों में दो रु0 किलो तक बाजार में नहीं मिल रहा था। आप आज भाव की बात कर रहे हैं सोना 5 सौ रु0 तोला था साढ़े 13 सौ है और चुनाव के समय तो 2500 रु0 तक चला गया था। चाँदी 43 रु0 तोला थी, आपके समय में 70 रु0 तोला चली गया। सीमेन्ट का भाव हमने 18 रु0 छोड़ा था आपके समय में 28 रु0 से लेकर 30 रु0 तक है जिसे हमने 16 रु0 से 18 रु0 तक छोड़ा था। यह मैं आवश्यक वस्तुओं के बारे में बता रहा हूं। बच्चों की किताबें चाहें छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी सब को लेनी होती हैं। बच्चों की कापियां 30 पैसे वाली कापियाँ आज 50 पैसे में हैं और 1 रुपये वाली किताब आज 3 रुपये में है। मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के प्रयोग में आने वाली जो धोतियाँ पहले 9–10 रुपये में थी, वह आज 20 रुपये में भी नहीं मिल रही है। गरीबों के इस्तेमाल की डेढ़ रुपये वाली मारकीन आज बाजार से गायब हो गई है। साढ़े चार और साढ़े पाँच रुपये मीटर में आज सस्ती से सस्ती मारकीन बिक रही है। प्रतापगढ़ जिला जो प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है और उसमें हमारा क्षेत्र जो सबसे ही पिछड़ा हुआ है। वहाँ पर 4 वर्षों से डकैतों का अम्बार लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही इन्दिरा गाँधी जीती थीं, 17–18 फरवरी को राज्यपाल का शासन हुआ, उसके शीघ्र बाद 21 तारीख को वहाँ के नामी और दुर्दान्त डाकू बिररा का सफाया कर दिया गया। आज वहाँ डकैतों का ताँता कम है और वहाँ की जनता चैन की साँस ले रही है। आपने अपने 3 साल से शासन में जो आर्थिक स्थिति अत्यन्त विषम बना दी, जो ला एण्ड आर्डर की स्थिति बिलकुल खराब कर दी, उसको सुधारने की तेजी से कोशिश की जा रही है, लेकिन चन्द महीनों में यह होने वाला नहीं है। आप महंगाई की बात करते हैं। और चीनी की महंगाई की बात कहते हैं। उसके लिये पैसा आपने (विरोधी दल की ओर इशारा कर) खाया है, इस कारण वह तेज हो गई। पैसा आपने खाया और दोष हम पर लगाते हैं। इसको आप किसानों के बेटों से जाकर पूछो, मेरठ और बुलन्दशहर में गन्ने को आपने जलवाया है, आपने गन्ना 4 रुपये क्विंटल में बिकवाया है। उस समय उसका गन्ना मिलों में नहीं जा सका। आप कहते हैं, ठीक है, खाद के दामों में कमी होनी चाहिए, उसे हम भी मानते हैं। आप मिट्टी के तेल और डीजल के अभाव की बात करते हैं, किन्तु मैं कहता हूं कि यदि आज इन्दिरा गाँधी का शासन न होता तो कोई भी मोटर न चलती होती। क्योंकि इजरायल से साँठ गाँठ आपकी पिछली सरकार ने कर लिया था और ईरान में फसाद जारी थे। सब अरब कन्ट्रीज ने आपको तेल देना बन्द कर दिया था और आसाम में हड़ताल थी। इन्दिरा गाँधी न होती तो मिट्टी के तेल और डीजल की कमी के कारण फसलें सूख जाती और घरों में अंधेरा छा जाता यह कहा गया है कि गेहूं की खरीद में 30 परसेन्ट की कमी हुई है, तो आपको साथ

ही में पैदावार भी तो देखनी चाहिए कि वह सूखे के कारण कितनी कम हुई है और फिर 30 परसेंट घट गया तो कौन सी तोप चल गई ? (व्यवधान) जो चीजें मैं कह रहा हूं. उन पर विचार किया जाए। देश में शासन व्यवस्था में इतनी सख्ती करनी चाहिए, जिससे कि लोग इस तरह की बात न कर सकें। उजड़ा हुआ घर क्या एक दिन में बन जाएगा ? जर्जर अर्थ व्यवस्था और बर्बाद, खराब ला एण्ड आर्डर की हालत हमें आपसे प्राप्त हुई है, वह आज सब कांग्रेस प्रशासन के सामने है। हमें एक डेढ़ महीने ही शासन में आए हुए हैं। आप चाहते हैं कि 3 साल में जो तानाशाही प्रवृत्तियाँ बढ़ी है, गुण्डागर्दी बढ़ी है, वह सब डेढ़ महीने में ठीक कर दी जाए, तो यह सम्भव नहीं है। प्रदेश में जो विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं चल रही हैं, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और उनको कायदे से चलवाया जाए। खाद के जो दाम बढ़े हैं, उनको कम किया जाए सिंचाई की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जाय, ला एन्ड आर्डर पर सख्ती की जाय। विद्युत् की भी ठीक से पहुंचाने की व्यवस्था की जाय।

एक सदस्य—

मान्यवर, क्या यह इलेक्शन का भाषण है।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

यह इलेक्शन भाषण नहीं है, पढ़े लिखों का भाषण है और उनके बीच बोल रहा हूं। मैं यह आग्रह करूंगा कि प्रदेश की जो भी समस्यायें हैं उनको यहाँ पर उठाया जाय और 20 सूत्री कार्यक्रम का सख्ती से संचालन किया जाये। जो हरिजनों को पट्टे दिए गये हैं उनको कब्जा दिलाना होगा। लघु उद्योगों को सख्ती से बढ़ाना होगा डकैतियों को रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाना होगा। पुलिस को सख्त बनाना होगा। पुलिस विभाग में जो जिलों में पुलिस कर्मचारियों के फोर्स की कमी है उसको पूरा करना होगा। हमारी आबादी बढ़ी है लेकिन उनकी संख्या के अनुपात में फोर्स नहीं बढ़ी है तो किस प्रकार से सख्ती की जा सकेगी। अतः उनकी संख्या को बढ़ाया जाये। प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जायं। विद्यार्थियों का जो अनएम्पालायमेन्ट है उसको दूर करना होगा और उनको आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाना होगा। जयहिन्द।

श्री धनी राम वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या कोई माननीय सदस्य जय हिन्द, दोस्तों आदि शब्दों का प्रयोग कर सकता है। यह कोई इलेक्शन भाषण नहीं है।

*श्री रियासत हुसैन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण जिस पर सदन में चर्चा हो रही है उसको पढ़ने से ऐसा मालूम हुआ कि 17 फरवरी को जब यह सदन डिजाल्व हुआ था और 9 जून को जो मौजूदा सरकार बनी, यहाँ पर बैठी है इस बीच महामहिम राज्यपाल को जो स्वयं शासन करने का अवसर मिला उस दौरान जो उन्होंने गलतियाँ कीं उसकी माफी माँगने की शक्ल में यह अभिभाषण प्रस्तुत किया है। हम इसलिए इसको माफीनामा कहते हैं कि इस दौरान जो बड़ी-बड़ी गलतियाँ हुई है और जो मंहगाई से संबंधित है और जिनमें वह असफल रहे हैं तो किस प्रकार से क्षमा माँगें तो उन्होंने अभिभाषण के द्वारा माफी माँगी है। जो काँग्रेस उस दरवाजे से 77 में निकल कर बाहर गयी थी और यहाँ आकर बैठी थी और फिर वहीं पर जाकर बैठ गयी है। तो आप यह ध्यान रखिए कि उसी दरवाजे फिर से आपको बाहर जाना है। जो दो मुद्दे हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो इन्होंने यह कहा था कि हम मंहगाई को रोकेंगे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसन]

और दूसरा मुद्दा यह था कि हम शान्ति व्यवस्था को मेन्टेन करेंगे। लेकिन ला एन्ड आर्डर गिरता जा रहा है। उसको चेक नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं दो चीजों पर देश और प्रदेश की जनता ने आपको फिर मौका दिया है। लेकिन इनकी हालत बहुत खराब है आप जायजा करायें। मैं यह कहना चाहता हूं कि महंगाई जनता शासन में क्या थी और आपके शासन में कितनी हो गयी? एक जनवरी, 1979 को चीनी का मूल्य 2.40 रुपये प्रति किलो था। और जब इंदिरा जी का शासन आया था आज का हिसाब लगाया जाय तो यह साढ़े 6 रुपये प्रति किलो हो गया है। चीनी आज एक ऐसी चीज हो गयी है जिसका प्रयोग एक रिक्शा चालक से लेकर टाटा और बिरला तक के घर में होता है। आज इसके प्रयोग से कोई आदमी नहीं बचा है। गुड़, जिसका प्रयोग साधारण आदमी करता है चाहे अपना पेट भरने के लिए और चाहे गुड़ मीठा करने के लिए उसका भाव 1 जनवरी, 1979 को 1 रुपया 60 पैसे प्रति किलो था जो इंदिरा जी के राज में 3 रुपया 25 पैसा प्रति किलो हो गया है। वनस्पति को ले लें। यह 1 जनवरी, 1979 को 9 रुपया प्रति किलो खुला मिलता था जो आज 12.50 रुपये प्रति किलो हो गया है। इसी प्रकार से खुली चाय जो 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकती थी आज उसका भाव 21 रुपया प्रति किलो हो गया है। नहाने के साबुन की एक टिक्की का दाम 1 रुपया 41 पैसा था जो आज 1 रुपया 95 पैसा हो गया है। टिक्का माचिस के पैकेट का दाम पहले 1रु0 40 पैसे था। जो अब 2रुपया हो गया है। और चीजों को गिनने छोड़ दिया है केवल आवश्यक वस्तुओं के ही नाम लिए हैं। मूंग की दाल को ले लें, उसका भाव 4 रुपये प्रति किलो था जो बढ़ कर 6 रुपये हो गयी। जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको आप भी मोल लेते हैं और हम भी लेते हैं। सब की कीमतें बढ़ी ही हैं। पार्लियामेंट के अन्दर भी जब यह मसला उठा था तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने स्पष्ट कहा था कि यह हमारे बस की बात नहीं है कि हम कीमतों को कन्ट्रोल कर सकें। आज देश और प्रदेश की क्या हालत हो गयी है, रोजाना कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं? अगर इनको कन्ट्रोल नहीं किया जाता है तो इसका खमियाजा आगे लोक दल और जनता पार्टी को नहीं, रिजवी साहब आपको ही उठाना पड़ेगा।

जहाँ तक ला एन्ड आर्डर का मसला यह है यह सदन में कल से बराबर चल रहा है। जनता पार्टी के जमाने में गोमती एक्सप्रेस कभी दिन दहाड़े नहीं लूटी गयी और न दिल्ली और बम्बई मेल लूटी गयी। अगर लूटी गयी तो यह इंदिरा जी के शासन में लूटी गयी और वह भी दिल्ली से 20–25 मील के एरिया में ही लूटी गयी। यही नहीं कफल्टा बांदा, बागपत, देवरिया के कांड हुए। गाजीपुर में 2–7–80 को लड़कों पर फायरिंग हुआ। लड़कों को चोट भी लगी लेकिन सरकार की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं आयी। सदन में रेप केसेज के बारे में सुनते सुनते कान पक गये।

अब मैं सदन का ध्यान दिनांक 14 जून, 1980 के ब्लिटज अखबार की तरफ, जो कि हिन्दुस्तान में सरकुलेशन के लिए बड़ी तादाद में छपता है, आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लखनऊ वाले श्री बिशन कपूर का एक आर्टिकिल छपा है। अगर यह बात गलत निकले तो श्री बिशन कपूर पर मुकदमा चलाया जाय और अगर पहले पैरे वाली बात सही हो तो रिजवी जी सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए।

"A bayonet wielding cop stood guard while a pretty, well-educated 19 year old girl was alleged to have been repeatedly raped in the Station Officer's room of Alam Bagh, Police Station hereby a Sub-Inspector and three constables"

यह कितनी शर्म की बात है कि एक हथियार बन्द कान्सटेबिल पहरा दे रहा है और एक थानेदार तथा 3 कॉन्सटेबिल्स एक लड़की को रेप कर रहे हैं। 10 करोड़ की

आबादी वाले प्रदेश में रैप की अन्य घटनायें हो सकती है, मगर इस तरह की घटना से ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती।

यही नहीं, झांसी के अन्दर एक मामला स्टेट वर्सेज वी0पी0दीक्षित वगैरह चल रहा है जो एक लाख लीटर डीजल के घपले का मामला है, उस मुकदमे को हशअप करने का प्रयास इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। झांसी में ही उनके एक भाई के ऊपर भी इसी तरह का मुकदमा है जो हशअप किया जा रहा है, वह है स्टेट बनाम सूरज प्रकाश, प्रेमचन्द आदि। झांसी के ही एक डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जज मिस्टर मिश्रा है, उनके खिलाफ विजिलेन्स से जाँच करायी गयी, सारी चीजें साबित हो गयीं, मगर उस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश की जा रही है कि उनका ट्रायल न होने पाये। वह छूट जायं। इसलिये यह सब हो रहा है कि यह आपके चहेते हैं।

श्रीमन्, यह कह देना कि पहले आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने यह किया, यह कोई दलील नहीं है। पहली सरकार ने अगर डकैती डाली तो क्या आप भी डकैती डालने को जायज समझते हैं। (व्यवधान) आपने गलती की थी तो आपको भी इधर (विरोध पक्ष में) बिठा दिया गया था और पिछली सरकार ने गलती की तो उसे आज यहाँ बैठना पड़ा। जनता किसी को माफ नहीं करेगी। जब यह मोहन सिंह जी उधर थे तब भी हम यही कहते थे, आज भी वही कह रहे हैं।

(व्यवधान)

आपने पिछली बनारसीदास जी की सरकार का हवाला दिया, नरायनपुर काँड का हवाला दिया, मैं कहता हूं कि आपने उनका लाठी डंडे का हुनर तो इस्तेमाल कर लिया मगर जो उनका थ्री लैंग्गुएज फार्मूला था उसे आपने क्यों नहीं माना ? उनकी अच्छी बात भी आप मान लेते। अच्छी बात आपने एक नहीं मानी। जनता पार्टी की रिजीम में एक समय वह था कि 51 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों का फैक्ट्री वालों पर था और आज साढ़े 3 करोड़ से ज्यादा नहीं रह गया है। यह जनता पार्टी की सरकार की ताकत थी। आप लोगों ने 30 साल तक हुकूमत की लेकिन जनता पार्टी की हुकूमत में जो सैलाब आया, उसको जिस तरीके से उसने फेस किया, उस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने नहीं फेस किया।

सूखे की बात को ले लीजिए। जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से सूखे के मामले को फेस किया, उस तरह से कांग्रेस सरकार ने नहीं फेस किया। कांग्रेस सरकार का ध्यान पुलियाँ बनवाने की तरफ बिलकुल नहीं गया, लेकिन उसको चिन्ता तो इलेक्शन जीतने की रही। 107/117 लगातार लगाकर उसको एलेक्शन जीतने की चिन्ता रही है। जो ताकत 107/117 चलवाने में लगाया, अगर ये सारी ताकतें पुलियों को बनवाने में लगवा दिया होता, तो प्रदेश का बहुत बड़ा कल्याण हो गया होता। 72 और 76 में कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें टाटा का असेट 641 था, लेकिन 641 से बढ़कर 980.77 तक पहुंच गया। बिड़ला का तो 586.42 से बढ़कर 974.63 तक पहुंच गया। याद रखिये कि अगर आपकी रिजीम में ऐसे ही रहा, तो आपको जनता माफ नहीं करेगी। फर्टिलाइजर का जो दाम 102 रु0 का था, वह 158 का हो गया। यूरिया का दाम 104 रु0 प्रति बोरी का हो गया। हर चीजों के दाम बढ़े हैं। आज 8 रुपये किलो उर्द के बीज का दाम है। उनकी जो पैदावार होगी, उसका दाम क्या होगा? इस प्रदेश का मजदूर इस महंगाई में किस तरह से अपना गुजर-बसर-कर सकता है? इस प्रदेश का युवक नौजवान पढ़ा-लिखा जो रोजगार की तलाश में घूम रहा हो, और उसे जब रोजगार नहीं मिलता है, तो रात को सिनेमा देखता है या अन्य कोई काम करता है। लैंड सीलिंग ऐक्ट के बावजूद भी आज बड़े-बड़े लोगों के कब्जे में जमीन बदस्तूर है। आज भी जमीनों पर उन्हीं के ट्रैक्टर चल रहे हैं। अगर आपने उन बड़े-बड़े लोगों को निकालने के लिए ध्यान नहीं दिया, अगर

[श्री रियासत हुसैन]

आपने उर्दू भाषा को, जैसे कि दूसरे प्रदेशों में है, उस तरीके से बनाने का इंतजाम नहीं किया, ला ऐंन्ड आर्डर की तरफ विशेष तौर से ध्यान देकर, रोजाना अखबारों में पढ़ते-पढ़ते कान पक गये, उस तरफ ध्यान नहीं दिया, बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन में, कहीं तार नहीं है, कहीं खम्भा नहीं है, कहीं कंडक्टर नहीं है, लेकिन जो पाँच सौ रुपये दे दें तो फौरन चला जाता है, खम्भा भी मौजूद है, कंडक्टर भी मौजूद है, तार भी मौजूद है। इस तरफ अगर ध्यान नहीं दिया, अगर हरिजनों और अल्पसंख्यक लोगों के रोजाना के मसलों की तरफ ध्यान नहीं दिया और केवल उसी तरफ ध्यान दिया जो बड़ी बड़े-बड़े फर्म्स हैं। जो बड़े-बड़े घराने हैं उनके स्टेट्स बढ़ जायं तो आप को इन कुर्सियों पर ज्यादा दिन बैठना नसीब नहीं होगा। इस तरफ आपको विशेष रुप से ध्यान देना चाहिए। यह सेशन चल रहा है उसके बाद बजट सेशन शुरू हो जायगा। तो उस वक्त यह पता चल जायगा नियम 301 के अन्तर्गत जो सूचनाएं जब सेशन शुरू हुआ तब आयीं उनकी संख्या और नियम 51 और 52 के अन्तर्गत सूचनाओं की संख्या बढ़ती है या घटती है। अगर घट जायगी तो मालूम पड़ जायगा कि आपने कुर्सी पर बैठ कर स्थिति पर कंट्रोल कर लिया और अगर बढ़ना शुरू हो गयी तो खुद जनता कहने लगेगी कि यह अपने अन्दुरूनी ममलों में लड़ रहे हैं आन्तरिक राजनीति में लगे हुए हैं उनको जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इस बात की तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

दस करोड़ की जनसंख्या के प्रदेश के अन्दर जो उम्मीद की जाती है राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर सरकार इन मुद्दों पर क्या क्या काम करेगी वह इसमें आना चाहिए था, वह आया नहीं। बड़ी निराशा हुई। केवल, इससे मालूम होता है कि महामहिम राज्यपाल साहब को जो साढ़े चार महीने का टाइम मिला है, उसमें उन्होंने वह कारनामे किये हैं, जो मैंने बतलाये, उसको सदन के सामने रख दिया है, चाहते हैं कि अपने कुकर्मों पर सदन की मोहर लगवा दें। यह चाहते हैं तो ठीक है। हम पास नहीं कर सकते। हम तब पास करेंगे जबकि ये अमेंडमेंट्स जिनका वास्ता हर जन-जीवन से है, जिसका वास्ता किसान मजदूर से है, उनको शामिल किया जाय।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

कुछ समय पर भी ध्यान दिया जाय।

श्री रियासत हुसैन—

मुझे आशा है, माननीय सदस्य इन सब बातों पर ध्यान देकर इन संशोधनों को पास करेंगे। सिर्फ इसलिए कि यह कानून आ गया उसको मंजूर करना है, हम तो मजबूर हैं मान लेंगे लेकिन इस प्रदेश की जनता माफ करने वाली नहीं है। अब सब का टेस्ट हो गया है। इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर इन अमेंडमेंटस को प्रस्तुत करता हूं।

अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों के नाम निर्देशन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण, मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। कल मैंने अधिष्ठाता मंडल में दो सदस्यों को नाँमाकित किया था। उनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 10 के उपनियम (1) के अन्तर्गत मैंने निम्नलिखित तीन माननीय सदस्यों को अधिष्ठाता मंडल में नाम निर्देशित किया है—

(1) श्री खान गुफरान जाहिदी (फतेहपुर)
(2) श्री सच्चिदानन्द (उन्नाव)
(3) श्री भीखालाल (उन्नाव)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव—(क्रमागत)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य राज्यपाल (व्यवधान) मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं, उस पर गौर करें। हमारे माननीय सदस्य श्री संजय सिंह ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मान्यवर, जिस देश को और प्रदेश को अनुशासन की कड़ी में जकड़ा गया था जिस देश को परिश्रम के द्वारा अच्छी तस्वीर बनाई गई थी उसको 3 वर्षों में इनकी सरकार ने जातिवाद, वर्गवाद, काण्डवाद, क्षेत्रीयता के कीचड़ में जकड़ा और इस क्षेत्रीयता के कीचड़ में जो कमल निकला मुझे दुःख है माननीय नेता विरोधी दल और विरोधी दल के अन्य सदस्यों को उस कमल की सुगन्ध नहीं लगी। इस प्रदेश के अन्दर विश्वनाथ प्रताप सिंह रूपी कमल उदय हो चुका है। आज इस सदन के अन्दर बागपत काण्ड की बड़ी चर्चा हो रही है। मेरे बहुत से नौजवान साथियों ने बड़ी लच्छेदार भाषा में अपनी अभिव्यक्ति की। आपके 3 वर्षों में बागपत जैसे बहुत से काण्ड प्रदेश में हुये है। आज आप बातें करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 मार्च, 1978 को कांग्रेस जनों का जुलूस शान्ति पूर्ण ढंग से जा रहा था।

(व्यवधान)

(इस समय 1 बजकर 46 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सच्चिदानन्द पीठासीन हुए)

कांग्रेस जनों का जुलूस शान्ति के साथ विधान सभा की तरफ बढ़ रहा था उस समय आपकी सरकार ने निहत्थे कांग्रेस जनों पर बर्बरता के साथ लाठी चार्ज कराया था इसका प्रमाण है, मान्यवर, अपना (हाथ दिखाते हुये)? यह बांया हाथ जो दो जगह से टूट गया था और आपको बलरामपुर के डाक्टरों ने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दी थी। पिछले 3 सालों में क्या हुआ था। आज बागपत की बात करते हैं। माननीय नेता विरोधी दल और अन्य विरोधी नेताओं ने बार-बार नारी प्रेम की बात की। अरे भाई, आपको नारी प्रेम कहाँ से आ गया? आपके नेता को तो अपनी पत्नी के अलावा और कोई नारी दिखाई ही नहीं देती है।

श्री मोहन सिंह—

माननीय सदस्य को अपनी पत्नी के अलावा कई पत्नियों से प्रेम है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश के अन्दर चौकीदार से लेकर आई0 जी0 तक और लेखपाल से लेकर मुख्य सचिव तक जातिवाद के शिकंजे में जकड़ दिया गया था। प्रशासन को पक्षपात के तराजू पर खड़ा कर दिया गया था। आज आप पूछते हैं कि सरकार ने एक महीने में क्या किया? एक महीने में सरकार ने जो कार्य किया वह एक प्रमाण है आपने 3 वर्षों में जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, महिलाओं का शील हरण किया। आप पुलिस की बातें करते हैं इस पुलिस को निरंकुश किसने बनाया है इसको पिछली सरकार ने बनाया। पुलिस बेनकाब हो गई है एक महीने के अन्दर मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं, हमारे बहुत से साथी नौजवान हैं विरोध पक्ष में जिनके लिये मेरे दिल में बहुत जगह है वह मेरे विश्वविद्यालय के साथी रहे हैं। अगर देश बनाना है देश को इस अफसरशाही के जहरीली दाँतों के नीचे छटपटाती हुई प्रजातंत्र को बचाने की कसक है और अगर भूख, गरीबी, बीमारी और बेकारी पर काबू पाने की कशक है आपको, तो संकल्प लें इस सदन में देश की प्रमुख, कांग्रेस की नेता, राष्ट्राध्यक्ष, कांग्रेस प्राण श्रीमती इन्दिरा गाँधी के साथ 5 वर्षों तक रात दिन एक करके लगन से काम करेंगे तो इन्हें देश और प्रदेश में आपको राम राज्य मिलेगा। अगर यह साहस है तो सामने आवें। केवल नारे बाजी से राम राज्य नहीं

[श्री श्याम लाल बाजपेयी]

मिलेगा। जिन अफसरों की आप बात करते हैं और जिस अफसर शाही की बात आप करते हैं, उन्हीं अफसरों के साथ उनके ड्राइंग रूम में बैठकर आप चाय पीते हैं और आज कहते हैं कि अफसरशाही का बोल बाला है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। एक छोटी सी बात बताये देता हूं। केवल छः महीने का समय दे रहा हूं। और इन छः महीनों के अन्दर इस प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में आपको कमी दिखाई दे तब आप बतायें। मैं कहता हूं कि उन अफसरों को जो अफसरशाही पर भरोसा रखते हैं उनकी वर्दियां खूंटी पर टांग दी जायेगी। आप लोग यदि इस तरह नारेबाजी करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। राजकुमार संजय जी और उनके नेतृत्व में (शोर) हमारे दलने, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक डिवीजन में इन्चार्ज होंगे, जिले के अन्दर इंचार्ज होंगे, तहसीलों और ब्लाकों के अन्दर इन्चार्ज होंगे जो यह देखेंगे कि कौन अफसर किस तरह से कार्य कर रहा है, उसके प्रति जनता की क्या राय है। अगर वह अफसर बदकारी करता पाया जायेगा और वह गलती पर होगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी केवल नारे बाजी से ही काम नहीं होगा। आप भूमि वितरण की बात करते हैं। यह सब सिर्फ दिखाने के लिए है। अपने राज्य में आपने क्या किया, उसको बताने में आप में साहस नहीं है? अगर साहस होता तो अपनी सरकार में कुछ कारगुजारी करके दिखाते। अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों को यह बात बता देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कुछ कारगुजारियों और योजनाबद्ध तरीकों से कार्य करने पर ही प्रगति हो सकती है, केवल नारेबाजी से नहीं। हमारी जिन्दगी का सवाल है। जनता ने हमें आखिरी मौका दिया है। अगर यह मौका हमने खो दिया तो शायद दुबारा न आ पावें। प्रदेश में एक कानून और व्यवस्था को बनाये रखना और दूसरी मंहगाई और तीसरे हर क्षेत्र के विकास के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किये गये है हमारी सरकार द्वारा। इन तीनों को बढ़ाने का ही हमारा लक्ष्य है और यह बढ़ेगी और बढ़कर रहेंगी, अध्यक्ष महोदय।

श्री राम आसरे वर्मा—

अध्यक्ष महोदय नहीं, अधिष्ठाता महोदय।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

एक ही बात है, चाहें अध्यक्ष कहिए या अधिष्ठाता। लेकिन अधिष्ठाता महोदय ही सम्बोधन किये देता हूं जैसा कि राम आसरे वर्मा जी कह रहे हैं।

अधिष्ठाता महोदय, यह देश नारे बाजी से न पनपा है और न पनपेगा। अगर अफसरशाहों से लड़ना है, जिनकी आँखें बहुत बड़ी हैं, जिनके दाँत बहुत जहरीले हैं, तो कुछ करके दिखाना होगा। इस पर हम लोग जागरुक हैं। अगर हमारे शासन में कुर्सी पर बैठने वाले मंत्री और विधायक कुल ही समय के अन्दर आपको शासन करके दिखा देंगे और संजय गाँधी की तस्वीर को बनाना है तो इस अफसरशाही को समाप्त करना होगा। अभी बाराबंकी की बात आयी। मोहन सिंह जी ने कहा था कि वहाँ एक काण्ड हुआ। जरूर हुआ। निर्मम, जघन्य काण्ड हुआ लेकिन उसके लिए दोषी कौन है। उसके लिए दोषी और कोई नहीं बल्कि विरोध पक्ष की सरकार के लोग थे जिन्होंने उस क्षेत्र में पुलिस को ताले में बन्द कर दिया था।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

अगर इस प्रदेश में काँग्रेस सरकार आयी और मैं उसका एम० एल० ए० हूं तो अपनी वर्दी को राजा-बहादुर लपेट जरूर लो। इन सब बातों के साथ एक बार फिर

राज कुमार संजय सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इतना स्पष्ट, हृदय ग्राही, सुबोध अभिभाषण के लिए श्री राज्यपाल को बधायी देता हूं।

श्री भीखा लाल--

अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल के सम्बोधन पर धन्यवाद के प्रस्ताव में जो संशोधन के प्रस्ताव रखे गये हैं उनके समर्थन में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का सम्बोधन कोई एक रस्म अदायी नहीं है। यह सम्बोधन जो सामान्य निर्वाचन के बाद या वर्ष के शुरू में जब बजट सत्र शुरू होता है तो राज्यपाल दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित करते हैं और उसमें विशेष तौर से सरकारी नीतियों की घोषणा करते हैं। इसका तात्पर्य यही है। सरकार आगामी वर्ष में, अगले 5 वर्षों में क्या करने वाली है, उसकी नीतियों का संक्षिप्त हवाला होता है लेकिन मुझे खेद है कि इस संबोधन में न नीतियाँ हैं न कोई अन्य चीज। श्री काशीनाथ मिश्र जी ने कल कहा कि सम्बोधन में क्या रखा है, जिसकी आप आलोचना करते हैं? मैं उनसे सहमत हूं कि इसमें कुछ नहीं है, कोई नीति का ब्योरा आदि कुछ भी नहीं है। कोई घोषणा नहीं है। केवल समस्यायें गिनायी गयी हैं। उसमें सरकार क्या करना चाहती है, कौन से कानून बनाना चाहती है, कौन सी नीति लागू करना चाहती है इसका कोई संकेत नहीं है? आपको अच्छा लगे या न लगे, समस्याओं की चर्चा होगी। आप अपने तरीके से करेंगे हम अपने तरीके से करेंगे।

एक बात राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कही कि विधान सभा के चुनाव सामान्यत: शान्तिपूर्ण तरीके से हुए। यह पैराग्राफ 3, दूसरे पन्ने पर है। सामान्यतया शान्ति रूप से हुए यह शब्द कह कर महामहिम राज्यपाल ने माननीय पाण्डे जी की, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की पीठ नहीं ठोकी, बल्कि स्वयं अपनी पीठ ठोकी है क्योंकि चुनाव गवर्नरी शासन में हुये हैं। लेकिन महामहिम राज्यपाल भूल गये कि हमारे प्रदेश में 12 हत्यायें हुई चुनाव के दौरान। जरा जिक्र करते कि सामान्य रूप से शान्तिपूर्ण हुए लेकिन 12 हत्यायें हुई हैं। महामहिम राज्यपाल को यह भी नहीं दिखाई दिया कि हिन्दुस्तान भर में 6 उम्मीदवारों की हत्याएं हुई हैं उसमें से 3 इस उत्तर प्रदेश में हुई हैं। उसमें एक व्यक्ति इस सदन के भूतपूर्व सदस्य थे, भूतपूर्व मंत्री थे, कुछ संवेदना व्यक्त कर देते उनके बारे में, कुछ कह देते, कुछ दुख प्रकट कर देते। इसे उन्होंने जरूरी नहीं समझा। उन्होंने केवल यह कहा कि सतोषप्रद ढंग से चुनाव हुए। इस पर पीठ ठोंक लिया।

[अपराह्न 2 बजे]

मान्यवर, हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ पर जनतांत्रिक शासनपद्धति चल रही है। दुनियां का सबसे बड़ा देश है। जहाँ पर प्रजातांत्रिक प्रणाली चल रही है। यह प्रणाली 33 वर्ष पुरानी हो गयी है। अगर इस प्रणाली से हमारे देश की जनता का उत्साह बढ़ा है तो हम समझेंगें कि जनतांत्रिक प्रणाली सफल हुई है, आगे चलकर फलीभूत होगी, इसे खतरा नहीं है। अगर जनता का उत्साह इस प्रणाली से नहीं बढ़ा है तो मानना पड़ेगा कि इस प्रणाली से खतरा है। मान्यवर, देश की जनता इस जनतंत्र के प्रति कोई उत्साह नहीं है। इसका उदाहरण है, मौजूदा विधान सभा चुनाव। 42 प्रतिशत मतदान हुआ। जितना मत पड़ा है उसमें 37 प्रतिशत वोट काँग्रेस (आई) को मिले हैं। 58 प्रतिशत लोग वोट डालने ही नहीं गये। वह सरकार के पक्षधर थे या सरकार के विरोधी थे यह कहना कठिन है। इतना कहा जा सकता है कि 58 प्रतिशत लोगों को डेमोक्रेशी में कोई उत्साह नहीं पैदा किया है। जो 42 प्रतिशत मत पड़े हैं उसमें 38 प्रतिशत मत इनको मिले हैं। संपूर्ण मतदान को देखा जाय तो केवल 15 प्रतिशत मत इस सरकारी पक्ष को मिले हैं। आज हमारा प्रदेश इस स्थिति में पहुंच गया है कि 15 प्रतिशत मत प्राप्त कर काँग्रेस (आई) विशाल

[श्री भीखा लाल]

बहुमत से शासन में आई है। अपने कारनामों में अपनी नीतियों से हमने जनता में कोई उत्साहन नहीं पैदा किया। उत्साह कैसे पैदा होगा, उत्साह तब पैदा होगा जब हमारे देश की समस्याएं हल होंगी, उनका निदान होगा। मुख्य समस्या है, आर्थिक समस्या। देश में अमीरी और गरीबी की बढ़ी हुई खाई जब तक नहीं समाप्त होती, यह समस्या जब तक नहीं हल होती हम देश के बहुमत को उत्साहित नहीं कर सकते। जब तक बहुमत को उत्साहित नहीं करेंगे प्रजातंत्र फलीभूत नहीं होगा। अगर गरीब और अमीर का भेद बढ़ता चला जाय। अमीरों की संख्या बढ़ती जाय, गरीब भुखमरी की आग में झुलसता जाय तो क्या होगा? अगर हमारे देश में गरीबी की सीमा से नीचे रहने वाले 40 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी से अधिक हो जाय और हमारे देश में पूंजीपति बढ़ते चले जायं तो क्या होगा? बिड़ला की आमदनी एक लाख से बढ़कर साढ़े सत्रह लाख प्रतिदिन की हो गयी है, टाटा की आमदनी एक लाख से बढ़कर साढ़े चौदह लाख हो गयी है। अगर इसी तरह गरीब और अमीर में भेद बढ़ता रहा तो आम जनता में जो गरीब है, आप उत्साह नहीं पैदा कर सकते। 33 सालों में जिसमें कांग्रेस ने 30 साल शासन किया जनता पार्टी ने 3 साल शासन किया, जो नीतियाँ अपनाई गयी हैं वह पूंजीवाद के विकास की है जो एक तरफ चन्द घरों में दौलत के अम्बार लगा रही है दूसरी तरफ आम जनता गरीबी की आग में झोंकी जा रही है। इससे जनता में उत्साह नहीं पैदा कर सकते, जनतंत्र फलीभूत नहीं होगा। आपको नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। उत्साह आज गरीब जनता को नहीं टाटा, बिड़ला को जरूर होगा। वह आपको कुर्सियों पर बैठा सकते हैं। लेकिन जो 58 फीसदी लोगों ने मतदान नहीं किया है, वह गरीब हैं उनके दिल में आप उत्साह पैदा नहीं कर सकते हैं। इससे प्रजातंत्र खतरे में पड़ जायगा। हमारी, जिम्मेदारी है, आप शासन में है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। ठंडे दिल से इस पर सोचिये और नीतियों में परिवर्तन कीजिये। पूंजीवादी विकास की नीतियों में परिवर्तन करिये। जब तक परिवर्तन नहीं होगा, बड़े-बड़े शोषकों के शोषण के रास्ते बंद नहीं होंगे, गरीब की गरीबी दूर नहीं होगी तब तक जनतंत्र फलीभूत नहीं होगा प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी और जनतंत्र खतरे में पड़ जायगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह स्थिति पैदा होगी कि जनता में उत्साह नहीं होगा और जब कोई भी शासन जनता की समस्याएं हल नहीं कर पायेगा तो संकट पैदा होगा। आर्थिक संकट के साथ राजनीतिक संकट पैदा होगा। राजनीतिक संकट की मिसाल हमारे सामने है कि जनता पार्टी का शासन तीन साल नहीं चला। राजनीतिक संकट का ही परिणाम है कि 74 से 80 तक 5 बार चुनाव हुये। जनता पार्टी ने बहुत बड़ा बहुमत पाया था, लेकिन खत्म हो गया। केवल बहुमत के बल पर सरकार नहीं टिक सकती। अगर जनता की समस्याएं हल नहीं होंगी और जनता में उत्साह नहीं पैदा होगा तो कोई भी पार्टी हो शासन में जाने के लिये कुर्सियों को पकड़ने के लिए तरह-तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करेगी। जातिवाद को बढ़ावा दिया जायगा। गुंडों और बदमाशों को बढ़ावा दिया जायगा, नौकरशाही को बढ़ावा दिया जायगा। आज यही हो रहा है, आज नौकरशाही को क्यों रो रहे हैं? आप नौकरशाही की मदद बूथ कपचरिंग करने और वोट डलवाने तथा अपने उम्मीदवारों को जिताने में लेंगे तो उस पर आप कतई अंकुश नहीं लगा सकते। सत्ता हथियाने के लिये जब आप जातिवाद को बढ़ावा देंगे. तो जातिवाद कैसे खत्म होगा। आप मुख्य जड़ को पकड़िये और समस्या को हल करिये, नीतियों में परिवर्तन कीजिये।

मान्यवर, दूसरी बात शाँति और व्यवस्था के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जब अल्पमतों से बहुमत पाकर सरकार बन जायगी और उसे जनता के बहुमत का विश्वास प्राप्त नहीं होगा तो वह सरकार मनमानी करन पर उतर आयेगी, तानाशाही पर उतर आयगी। लोगों के विचारों की उपेक्षा करके तानाशाही पर उतर आयगी तो शाँति और व्यवस्था की स्थिति कैसे सुधरेगी। इस सम्बन्ध में एक ताजा उदाहरण सामने है।

कई रोज से चर्चा हो रही है, बागपत में भयकर काँड हुआ, बागपत के नाम से शासक पार्टी के लोग चौक पड़ते हैं। बागपत काँड हो गया कौन सी पार्टी के लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसकी निन्दा नहीं की ? क्या शासक पार्टी के लोगों ने इसकी निन्दा नहीं की ? केन्द्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने निन्दा की। सबने निन्दा की। सबने माँग की उन पुलिस अधिकारियों को दंडित करें जिन्होंने यह अपराध किया है। लेकिन विरोधी दलों की, सामाजिक संस्थाओं की तमाम लोगों की बातें अनसुनी करके थानेदार को सजा देने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में काँग्रेस पार्टी को जिताने में बहुत मदद की है। हमारे मुख्य मंत्री ने प्रेस काँफ्रेंस की और जुडीशियल इन्क्वायरी बिठाने की घोषणा की और यह भी कहा कि अगर जुडीशियल कमीशन कहेगा कि पुलिस अफसरों का ट्रांसफर करना जरूरी है तो ट्रांसफर किया जायगा। एक साधारण प्रक्रिया से परे की बात आ रही है। ऐसा जघन्य अपराध हो जाय और शासन थानेदारों को निलम्बित न करें, ट्रांसफर न करें, यह किस चीज का द्योतक है। यह तानाशाही का द्योतक है। शासन उपेक्षा कर रहा है कि हमारे पूरे प्रदेश की और देश के पार्लियामेन्ट की आवाज है लेकिन उस की उपेक्षा की जा रही है। ऐसी माइनेरिटी की सरकार जो बहुमत के दम्भ में है उसकी तानाशाही प्रवृत्ति जाहिर हो रही है। ला एण्ड आर्डर की क्या स्थिति है ? रोज अखबारों में बलात्कार की नई घटनायें सामने आ जाती हैं। एक चीज नई डेवलप हो रही है, अधिष्ठाता महोदय, हमारे प्रदेश और पूरे देश में डकैत पहले जब कहीं डकैती डालने जाता था तो घर का सामान लूटता था। लेकिन अब लूटपाट के साथ घर की महिलाओं के साथ दुराचार भी करता है। एक नया डेवलपमेंट है। कुछ दिनों से यह शुरू हो रहा है। पैश्तर डकैती डालते थे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते थे। डकैतों में यह नई प्रवृत्ति पैदा हुई है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

अधिष्ठाता जी, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अनाचार की प्रवृत्ति का इनवेन्शन हुआ है, पहले नहीं होती थी.....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बीच में टोका न करें।

श्री भीखा लाल—

अधिष्ठाता जी, मैं कह रहा था कि डकैतों में नई प्रवृत्ति पैदा हो रही है और माननीय श्याम लाल जी का ध्यान अकर्षित करना चाहता हूं कि पुलिस में भी एक नई प्रवृत्ति पैदा हो रही है। पुलिस अगर किसी के घर की तलासी लेने जाती है तो घर की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करती है और यदि किसी महिला को गिरफ्तार करके ले जाती है तो थाने में उस महिला के साथ बलात्कार करती है। यह नई प्रवृत्ति पैदा हो रही है, दो तीन साल से डैवलप हो रही है, डकैतों में और पुलिस में सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर हम कहें डकैतों और पुलिस में क्या अन्तर है, आजकल, कोई अन्तर नहीं है। (व्यवधान) मुझे जस्टिस मुल्ला की बात याद आती है जो उन्होंने दस साल पहले कही थी। हाई कोर्ट के एक जजमेन्ट में उन्होंने यह रिमार्क किया था कि डकैतों को, बदमाशों का कहीं पर संगठित गिरोह देखना हो तो पुलिस में देखिये। आज यह बात कई गुना सही बात दिखाई देती है। पुलिस और डकैतों में कोई फर्क नहीं है। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर क्षणिक लाभ के लिए, इस बात को लेकर कि हम को वोट दिलाने में मदद की है, एक पुलिस अधिकारी के जुल्म को दबाने की कोशिश की जायगी, अपराधियों को दबाने की कोशिश की जायगी, तो इस प्रदेश का क्या भला होगा, देश का क्या होगा ? ऐसे पुलिस अपराधों को सजा ही नहीं बल्कि सड़क पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। बड़ी हैरत होती है हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी हैं, हमारे देश की प्रधान मंत्री एक महिला हैं, हमारी महिला प्रधान मंत्री

[श्री भीखा लाल]
का दिल जरा भी विचलित नहीं हुआ. ऐसी घटना से। वह नारायणपुर गयीं लेकिन वह बागपत नहीं जा सकती थीं। उन्होंने आदेश नहीं दिया विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को कि पुलिस अधिकारी को फौरन निलम्बित करें, पकड़ कर जेल में डालें। कैसे काम चलेगा, यदि इस प्रकार की बात होती रही ? आप कितना ही कहते रहे कि ला एण्ड आडर मेन्टेन करेंगे, शांति व्यवस्था कायम करेंगें, आप कायम नहीं कर पायेंगे। आप गुनाहों को प्रश्रय दे रहे हैं, चाहे डकैत हो चाहे पुलिस हो।

मान्यवर, इसी के साथ बहुत सी बातें हैं जिन पर मैंने संशोधन दिये हैं। पिछले वर्ष हमारे प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा और बहुत से ऐसे जिले हैं जिन में सरकार मानती है कि खरीफ और रबी की फसल को पचास फीसदी से अधिक नुकसान हुआ। अभी ऐसे जिलों में दोनों फसलों की लगान माफ है, लगान और सिंचाई-कर मुलत्वी है। अगर इस साल प्रकृति की दया से फसल अच्छी हो गई तो शासन के आदेश हो जायेंगें कि दोनों फसलों का बकाया वसूल किया जाय, तीन फसलों का लगान इकट्ठा वसूल किया जायगा। सरकार से हमारी माँग कि जिन क्षेत्रों में रबी की फसल और खरीफ की फसल को पिछले वर्ष पचास फीसदी का नुकसान हुआ है वहाँ के लगान सिंचाई और सहकारी कर्ज तथा ब्याज माफ किये जाय वर्ना किसान परेशान होगा। इतना बोझ उस पर एक दम से लाद दिया जायगा तो वह उसे उठा नहीं सकेगा। उर्वरकों में 25 रुपये बोरी कीमत सरकार ने बढ़ादी है। पिछली बार भी एक दफा उर्वरकों की कीमत बढ़ाई गयी थी। उस समय केन्द्र सरकार के आदेश प्रदेश सरकार को आ गये थे कि जितना पुराना स्टाक है इस आदेश के पहले का उसे पुरानी कीमतों पर ही बेचा जायगा, नया स्टाक नई कीमत पर बेचा जायगा। प्रदेश की सरकार कहती है कि केन्द्र के कोई आदेश इस बार नहीं आये हैं। केन्द्र ने क्यों आदेश नहीं दिये हैं। क्या फर्टिलाइजर्स के विक्रेताओं को, डीलर्स को 25 रुपये फी बोरी कीमत बढ़ा कर उनको फायदा पहुंचाने का तरीका नहीं है ? इससे किसानों के साथ घोर अन्याय होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि कीमतें बढ़ाने के पहले जो स्टाक था विक्रेताओं के पास उसे पुरानी कीमत पर बिकवाया जाय और नया स्टाक नई कीमतों पर बिकवाया जाय।

मंहगाई की बाबत राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में एक बात कही है कि सरकार बहुत सचेष्ट है। इससे काम चलने वाला नहीं है। उसके लिये क्या कदम उठाये जा रहें हैं? रियासत साहब ने ठीक ही कहा है कि कीमतें बढ़ी है, घटी नहीं है। लेकिन सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं है कि वह क्या कदम उठाने जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल मंत्र हो गया है। मंहगाई घटाने के लिये उसी मूल मंत्र को दोहरा दिया गया है लेकिन मंहगाई बढ़ रही है। मिल में बनी हुई चीजों की। दूसरी तरफ जो किसानों की पैदा की हुई चीजें है उनकी कीमतें मिलों द्वारा बनाई हुई चीजों के मुकाबले बहुत कम है। कीमतों में अगर यह असंतुलन रहा और संतुलन कायम करने की कोशिश नहीं की गयी तो किसान तबाह हो जायगा। जानबूझ कर मिल मालिकों को मुनाफा कमवाया जा रहा है। मिलों द्वारा बनाई हुई चीजों के मूल्य तथा किसानों द्वारा उत्पन्न चीजों के मूल्य में संकलन, सामंजस्य कायम किया जाय तभी मंहगाई रुक सकेगी। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सख्ती से लागू किया जाय। भाई भतीजवाद के आधार पर फायदा पहुंचाने की नीति को समाप्त किया जाय और ईमानदार आदमी को काम सौंपा जाय तभी मंहगाई रुक सकेगी।

हमारे प्रदेश में उर्दू को दूसरी भाषा बनाया जाय। इस बार कुछ विधान सभा के सदस्यों ने इस बात का आग्रह किया कि उनको उर्दू में शपथ दिलाई जाय लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमारे पड़ोस के प्रदेश में बिहार में उर्दू को दूसरी भाषा घोषित कर दिया गया इसलिये मेरा अनुरोध है कि हमारे प्रदेश में भी उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाय। हो सके तो इस सम्बन्ध में मजबूती के साथ, निश्चय के साथ भारत सरकार को लिखा

जाय ताकि उर्दू को दूसरा दर्जा मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं जो संशोधन के प्रस्ताव रखे गये हैं उनका समर्थन करके अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ—

मान्यवर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन पेश हुए हैं उनके पक्ष में बोलने का मुझे अवसर दिया। मान्यवर, आज बहुत से साथियों ने अपने विचार व्यक्त किये । माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में कोई ऐसी बात नहीं कही है जो नई हो या खास बात हो। श्रीमन, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार नई आयी है और उसको सूझबूझ और ईमानदारी के साथ प्रदेश की सेवा करनी चाहिए। किसी दूसरे पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। हमने गल्तियाँ की थी, हमें उसकी सजा मिली आप गल्ती करेंगे तो आपको मिलेगी, इसमें दो राय नहीं हैं । चाहे वह बागपत कांड हो, देवरिया कांड हो, यह सही है कि कान्ड हुआ लेकिन किसी चीज को छिपाना या पक्षपात करना अच्छी बात नहीं है। इसको पूरा प्रदेश देख रहा है और हर आदमी इस बात को अपने मन में लिये हुये है । श्रीमन्, मैं आपका ध्यान कुछ मुद्दों की ओर ले जाना चाहता हूं। हरिजनों के लिये कहा जाता है कि उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनको पट्टों की बात कही जाती है, उनके हमदर्द होने की बात कही जाती है। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा था जब यहाँ नारायणदत्त तिवारी मुख्य मंत्री थे। इमरजेन्सी में हजारों हरिजनों के पट्टे दिये गये। किसी को खेत दिया गया, किसी को अगवाड़े दिया गया, किसी को पिछवाड़े दिया गया.....

(इस समय सदन में बिजली चली गई) ।

(बिजली आने पर)

यही नहीं कितने ही 107 के मुकदमे पेंडिग पड़े हुये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप हरिजनों की सेवा करना चाहते हैं तो चाहे आप सड़कें निकाल लें, रेलवे लाइन बिछा दें, स्टोरेज बना दें लेकिन जब तक आपने इन पेंडिग मुकदमों के लिये कोई निश्चित कानून नहीं बनाया जिनसे गाँवों के अन्दर इन हरिजनों के झगड़े फंसे हुये है, तब तक उनकी सच्ची सेवा आप नहीं कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि रिजवी साहब इस मसले को ठीक करेंगे। आज गाँव-गाँव में इस जमीन के सिलसिले में फिसाद हो गया है। इसलिये आप कानून बनायें कि हर गाँव में हरिजनों के लिये मकान दिया जायेगा, खलिहान दिया जायेगा। उनसे भले ही जमीन ले लें। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि—

किससे पूछें कि लहू बरसा कि बरसा पानी
लोग बच्चों की तरह खुश हैं कि वर्षा हुई ।

मैं एक बात कहना चाहता हूं.....

एक सदस्य—

आप बहुत ज्यादा हमदर्द हैं ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ—

मैं अपने जनपद के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ नदियों पर बन्धे बनवाये गये हैं। उनसे नहरें आप निकालना चाहते हैं। हमारी तहसील में 1955–56 में चकबन्दी हुई थी और यह कानून बना था कि जिसको 10 वर्ष हुआ हो, वहाँ चकबन्दी करा दी जायेगी। वहाँ चकबन्दी का नोटिस होने वाला है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसको दिखवा लें.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्मार रिजवी—

तहसील का नाम बता दें।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ—

तहसील डुमरियागंज। इसकी आप जाँच करवा लें। वहाँ पर सैकड़ों दुकानदार ऐसे हैं, जो फर्जी नामों से राशन की दुकान लिये हुये हैं। आप यदि जाँच करायेंगे तो आपको अन्दाज हो जायेगा। ऐसा करने से आपका नाम भी बढ़ेगा और लोग आपकी सराहना भी करेंगे। इसके अतिरिक्त उन दुकानदारों के पास एक छटाँक भी चीनी और अनाज नहीं है। इसलिये आप इस ओर ध्यान दें। इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान बिसकोहर तहसील की तरफ भी ले जाना चाहता हूं। इस ओर भी आप ध्यान दें और कार्यवाही करें। मैं आपका ध्यान बिजली की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जब बिजली साल भर नहीं किसानों को मिली तो क्यों उनसे पैसा लिया जाता है? आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि जितना उन्होंने इस्तेमाल किया है उतना ही उनसे पैसा लिया जाय उससे ज्यादा न लिया जाय।

श्रीमन्, खाद के बारे में कहना चाहता हूं। खाद के दाम काफी बढ़ गये हैं उससे किसानों की हालत खराब है आप उनको इसके लिए सबसिडाइज करने की व्यवस्था करें जिससे किसानों के जीवन में खुशी आ जाय।

मेरे जनपद में गुन्डागर्दी चरम सीमा पर है आप हमारी तहसील में देख कर आयें। वहाँ पर कुछ लोगों ने लेखपाल को पीट दिया इसको आप ठीक करें वर्ना इससे आपकी ही बदनामी होगी।

मैं शिक्षा के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चाहे पिछली सरकार हो, चाहे उससे पहले की सरकार, आप भी शिक्षा मंत्री रहे है, पूरे प्रदेश में प्राइमरी एजूकेशन बरबाद हो गई है। आज हर इंसान अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है कि उसका बच्चा कैसे पढ़े। कहीं पर 14 मास्टर और लड़का एक नहीं, मैं आपको स्कूलों का नाम भी बता सकता हूं कि लड़का एक नहीं, सामान कुछ नहीं और मास्टर 5। तो यही कारण है कि एजूकेशन ठीक नहीं हो रही है। आज बच्चे नकल करके बिगड़ गये हैं। मैं एक दिन सचिवालय में बैठा था तो एक डिप्टी सेक्रेटरी देर से आये मैंने पूछा क्या बात है तो उन्होंने कहा मेरा लड़का कह रहा था कि पापा हम इम्तहान देने जा रहे हैं आप नहीं आयेंगे नकल कराने के लिए। गाँव में पूछें तो लोग कहते है लड़कवा ने इम्तहान दिया है उनको नकल करवावन गये रहे। इस व्यवस्था को आप ठीक करें।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं माता प्रसाद जी ने याद दिला दी। मैं नाम नहीं लूंगा एक मंत्री हैं आपके यहाँ उनकी गाड़ी को लेकर दूसरे लोग घूमते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एक तरह से आतंक मचा है। इससे आपकी बदनामी हो रही है

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

श्री नर्मदेश्वर शुक्ला

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ—

मैं नाम नहीं लूंगा। इससे आपकी बदनामी होगी।

इस पर आप ध्यान दें। वह कहते हैं कि मैं मंत्री हूं, मैं जो चाहूंगा वह करवाऊंगा।

वह दुनियाँ थी जहाँ तुम रोक देते थे जुबाँ मेरी,
यह महशर है यहाँ सुननी पड़ेगी दास्ताँ मेरी।

इन शब्दों के साथ यह जो संशोधन पेश किया गया है इस पर भी आप ध्यान देंगे। इसके साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने

वायदों को कायम रखें आप लोगों से वायदा करके आये हैं उसको याद करना चाहिये वर्ना ऐसा न हो कि——

सड़क पक्की करा दूंगा कि कहा होगा,
तुम्हें जन्नत दिखा दूंगा कि कहा होगा,
नशे की बात की औकात क्या यारो,
इलेक्शन के नशे में कहा होगा।

तो कहीं ऐसा ही न हो जाय।

*श्री अशोक कुमार बाजपेयी——

माननीय अविष्ठाता महोदय, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई संजय सिंह, (व्यवधान) हमारे भाई हैं आपके राजकुमार होंगे, ने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है युवक कांग्रेस के विधायकों की ओर से जो अवसर आपने मुझे दिया सरकार की नीतियों के बारे में इस बहस में भाग लेने का और विशेष रूप से पिछले तीन वर्षों में जो जनता पार्टी और लोकदल की सरकार ने दुर्व्यवस्था और इस प्रदेश के आर्थिक ढांचे को जर्जर करने की पूरी कोशिश की है, उसके ऊपर भी अपनी ओर से और प्रदेश की जनता में क्या भावना है, उनको भी प्रकट करने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल ने विशेष उल्लेख इस प्रदेश में एक स्थिर सरकार बनानेके बारे में किया है। मान्यवर, इस सदन के माननीय सदस्य श्री रियासत हुसैन ने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी किन आधारों पर सत्ता में आई है, उसका उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य और उसकी सरकार ज्यादा बेहतर इस चीज को उनसे समझती होगी कि किन आधारों पर इस प्रदेश की जनता ने उसे इस प्रदेश की बागडोर सौंपी है। सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश के अन्दर पिछले 3 वर्षों में जो आवश्यक था वह था स्थिर सरकार का। पिछले तीन वर्षों में घटकवाद के कारण, कुर्सीवाद के कारण जनता पार्टी और लोकदल की सरकार के सदस्यों ने आपस में जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और उसके फलस्वरूप जिस प्रकार से इस प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई थी, वह स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इस प्रदेश में लेबर अनरेस्ट चरमसीमा पर पहुंच गया है। स्वदेशी काटन मिल और मोदी मिल गाजियाबाद में निहत्थे मजदूरों पर जिस तरह से पुलिस फायरिंग हुई जनता पार्टी और लोकदल की सरकार के शासनकाल में और जो गोलीकाण्ड हुए उसे हम सभी जानते हैं। हमारे जिले में जनता पार्टी से सम्बन्धित एक बड़े पूंजीपति ने अपनी मिल से डेढ़ सौ वर्करों को निकाल दिया और जनता पार्टी के शासन ने उनको फैक्टरी के प्रांगण में पुलिस-आउटपोस्ट कायम कर दी, मोदीनगर और गाजियाबाद में बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर जनता पार्टी और लोकदल की सरकार ने मजदूर नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमें चलाए और हजारों की तादाद में मजदूरों को बन्द किया गया और एक दर्जन से भी अधिक मजदूर नेताओं को 3 वर्षों में 2 वर्ष तक जेल में बन्द रखा गया। पिछले 3 वर्षों में जहाँ पर पूरे देश में लोहे की कीमत में लगभग 25 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि हुई, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में 30 और 40 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि इसलिए हुई कि भूतपूर्व जनसंघ घटक से सम्बन्ध रखने वाले जो 6 बड़े घराने कानपुर में हैं, उन्होंने पिछले 3 वर्षों में उद्योग विभाग से आवंटन बड़ी मात्रा में प्राप्त करके लोहे के समस्त कच्चे माल पर कब्जा कर लिया था। इलाहाबाद के अन्दर एक बड़े सरमायेदार के घर पर जहाँ पर चुनाव के पूर्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी दावत खाने गये थे, जब छापा पड़ा तो उस औद्योगिक प्रतिष्ठान से बड़ी मात्रा में ट्रक के ट्रक पकड़े गये, परन्तु उसका सम्बन्ध भूतपूर्व जनसंघ घटक से था, इसलिए बिना मुकदमा चलाये ही छोड़ दिया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अशोक कुमार बाजपेयी]

सरकारी आँकड़े यह बताते है कि हिन्दुस्तान के स्तर पर पिछले 3 वर्षों में इन्डस्ट्रियल ग्रोथ रेट शून्य हो गयी वहाँ पर इस प्रदेश में पहली बार निगेटिव ग्रोथ रेट रही। राजा और महाराजाओं की बात करने वाले और सामंतशाही की बात करने वाले समस्त सदस्यों से, मान्यवर, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी भी व्यवस्था को कायम करने के लिए, हमारे भाई मोहन सिंह भलीभांति जानते होंगे, एक नियोजित और प्रगतिशील आर्थिक ढांचे की आवश्यकता होती है। उसके लिए नियोजन आवश्यक होता है क्योंकि डेवलपिंग इकोनामी में जहाँ पर रिसोर्सेज सीमित होते है वहाँ उनके द्वारा किस प्रकार से समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को सहायता पहुंचायी जा सकती है और इस देश का धन किस प्रकार से नियोजित ढंग से वितरित किया जा सकता है, उसकी आवश्यकता है। पिछले 3 वर्षों में जनता पार्टी का शासन इस राज्य में रहा, लोक दल के शासन ने यह काम किया कि देश के स्तर पर ही नहीं बल्कि प्रदेश के स्तर पर भी नियोजन नाम की चीज को समाप्त कर दिया। उस समय होता यह था कि अगर विद्युत मंत्री जी किसी चीज को करना चाहते थे तो दूसरे घटक का मंत्री वित्तीय आपत्ति लगा देता था। पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में पहली बार औद्योगिक विकास के लिए किसी भी रूप में कोई नियोजन नहीं हो सका। देश के पैमाने पर माननीय जार्ज फर्नान्डीज ने डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज सेन्टर्स को कायम रखा था, वह योजना उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित नहीं हो सकी। यह योजना जो जार्ज साहब की थी, वह भी घटकवाद के कारण नहीं चल सकी। जितना भी रुपया इस योजना के अन्तर्गत दिया गया वह लैप्स होता रहा और प्रदेश के किसी भी जिले में इस योजना के लिए एक मकान भी नहीं दिया जा सका।

मान्यवर, जहाँ तक कच्चे माल के आवंटन का प्रश्न है वह भी घटकवाद से दूर नहीं रह सका। उद्योग मंत्री जी भूतपूर्व जनसंघ घटक के थे वह अगर कोई आदेश देते तो माननीय मोहन सिंह जी कोई न कोई अड़चन लगा देते थे।

श्री मोहन सिंह--

मैं उनके साथ कभी मंत्री नहीं रहा। माननीय सदस्य अपनी मालूमात को दुरुस्त कर लें।

श्री अशोक कुमार बाजपेयी--

आप मेरी बात को सुनें। इसी प्रकार अन्य विषयों पर भी घटकवाद का पूरा प्रकोप इस प्रदेश की सरकार और प्रदेश की जनता को सहना पड़ा। हमारे एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में किसी आर्थिक कार्यक्रम या योजना का जिक्र नहीं किया है। इस सम्बन्ध में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस देश में ही नहीं वरन समस्त विश्व में 20 सूत्री कार्यक्रम एक ऐसा निश्चित आर्थिक कार्यक्रम साबित हुआ है जिसमें एक पूंजीवादी व्यवस्था के तहत में काम करते हुए भी, मिक्सड एकोनामी के तहत काम करते हुए विश्व में एक मात्र उदाहरण है जिसने वर्ष 1976-77 में मुद्रास्फीति को शून्य किया और उसका प्रभाव बहुत कम कर दिया था। इसका उल्लेख और भी इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आज के मिक्सड एकोनामी के ढांचे में जहाँ पर पैट्रोलियम पदार्थों की वजह से इम्पोर्टेड इन्फलेशन की एक बहुत मात्रा हो जाती है जो इस देश के अर्थ तंत्र को प्रभावित करती है वहाँ पर हमें प्रदेश और देश के कार्यक्रमों को चलाना चाहिए जिससे इम्पोर्टेड इन्फलेशन का जोर जीरो हो जाय।

इसी सदन में जनपद इलाहाबाद के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने चर्चा की। इस बात का यहाँ पर जिक्र किया गया कि इलाहाबाद में कर्फ्यू पूरे शहर में लगा दिया गया और माननीय सदस्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरा कोई वक्तव्य ऐसा आया था कि केवल कोतवाली के इलाके में ही पास क्यों दिये गये है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि

न तो पूरे शहर में कर्फ्यू लगाया गया था और न ही मैंने ऐसा कोई बक्तव्य दिया था कि इलाहाबाद के पूरे इलाके में पास क्यों नहीं दिए जा रहे हैं।

यहाँ पर यह भी कहा गया कि श्री सी० पी० एन० सिंह और संजय सिंह ने लैण्ड सीलिंग ऐक्ट का उल्लंघन किया है, मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों में इलाहाबाद में सिविल लाइन्स में एरिया में जो समस्त लीज थीं उनके बारे में काँग्रेस सरकार ने जो निर्णय लिया था कि वह गरीब हरिजनों को आवंटन की जाय, उसको जनता पार्टी के शासन ने पलट दिया। यही नहीं बल्कि शर्मनाक बात तो यह है कि सरकार और सत्ता की सहायता लेकर इस देश के उस समय के न्याय मंत्री और माननीय श्याम नाथ कक्कड़ एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने 3 अन्य जनता पार्टी के लोगों के लीज रेवेन्यू कराये और जो भूमि वहाँ के हरिजनों को आवंटित होने वाली थी उसको गलत तरीके से कक्कड़ साहब ने ले ली।

अब मैं इलाहाबाद की एक घटना का जिक्र करके अपनी बात समाप्त करता हूं। हाई कोर्ट में जिस प्रकार से जनता पार्टी के शासन काल में एक जाति विशेष के जज एप्वाएन्ट हुए वह निश्चित रूप से एक निन्दनीय घटना है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय संजय सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री कमला प्रसाद सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत श्री संजय सिंह के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभिभाषण में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे प्रदेश का बहुत लाभ होगा, विशेषकर हरिजन, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग का। मैं चाहता हूं कि विरोध पक्ष की बातों पर भी ध्यान दिया जाय, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब मैं काँग्रस (आई) दल से चुन कर आया था और विरोध पक्ष में बैठता था और आज के यह विरोध पक्ष वाले सरकार में थे तो यह हमारी बात तक नहीं सुनना चाहते थे। जौनपुर के 7 विधायक काँग्रेस (आई) से चुन कर आये थे और उस पिछली सरकार की निगाह में जौनपुर के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसा कि जौनपुर जिला उनकी निगाह में इस प्रदेश में है ही नहीं। जो मंत्री वहाँ का इन्चार्ज होता था वह वहाँ की योजनाओं, जो भी कोई वहाँ के लिये बनायी जाती थी, उसमें वहाँ के विधायकों की जगह दूसरे अपने व्यक्तियों को रखा जाता था।

संसार में दो तरह के लाभ होते हैं, एक तो विनाश के और दूसरे विकास के। उस पिछली सरकार ने विनाश का रास्ता अपनाया था, विकास का रास्ता छोड़ दिया था। विकास के लिये ही हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था। उसी के अन्तर्गत हरिजनों को जमीन आदि देने की बात कही गयी थी। जैसे ही काँग्रेस शासन हटा और जनता पार्टी का शासन आया, उसने उसी दिन लाठी और डंडे से हरिजनों पर प्रहार किया, जो जमींन काँग्रेस ने उनको दी थीं उन पर फिर दूसरे लोगों का कब्जा हो गया और हरिजनों से वह जमीन छीन ली गयी। आज आप लोकतंत्र की बड़ी बात करते हैं, हरिजनों की बड़ी बात करते हैं, पर आपने ही सबसे ज्यादा उनको परेशान किया है, उनको डरा धमका कर उनके वोट हासिल किये हैं। हमारे यहाँ एक गाँव के एक हरिजन श्री श्यामलाल ने तो यहाँ तक स्पष्ट कह दिया कि चाहे कुछ भी हो श्रीमती इन्दिरा गाँधी ही हमारी नेता हैं, वे ही ऐसी नेता हैं जिनके लिये हमारे दिलों में जगह है और जिन्होंने हमारी जमीन आदि दिलवायी है। उस समय हरिजन के बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वे खेत से एक गन्ना तोड़ कर उसे चूस सके उसका रस पी सके, मगर आज वह आजादी से अपने खेत से ईख तोड़ कर चूस सकता है। मटर की फली भी तोड़ कर खा सकता है।

[श्री कमला प्रसाद सिंह]

मान्यवर, उस वक्त प्राइमरी स्कूलों के मास्टरों के मनमाने ढंग से ट्रांसफर किये जाते थे। जातिपात के आधार पर मंत्री अपनी कलम से ट्रांसफर करते थे। उसका जब हम सभी विधायक लोग विरोध करते थे, तो कहते थे कि भाई ऐसी बात नहीं। लेकिन उनका आदेश बराबर एक-एक अध्यापक पर हमेशा अंकुश के रूप में रहता था। उनके दल के लोग अगर कुछ कहते थे और वह काम हम लोगों से संबंधित रहता था, तो 40–50 किलो मीटर की दूरी पर अध्यापकों को भेजा जाता था। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि जिन लोगों को परेशान किया गया है, जिनको अपने घरों से दूर कर दिया गया है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। मान्यवर, यहीं नहीं, हमारे जनपद में श्रीमन् पानी की समस्या, बिजली की समस्या उस समय इतनी थी कि लोग बहुत परेशान थे। जब बिजली 8–8 घंटे 9–9 घंटे नहीं आई 3–3 दिन नहीं आई, बार-बार मैं आकर जनता पार्टी के मंत्रियों से निवेदन करता था कि अगर खाना-कपड़ा न मिले तो उसको बरदास्त किया जा सकता था, लेकिन पानी के वगैर जनता मर जायगी। यही नहीं, अपने घरों से लोग बाल्टी और थारियाँ लेकर दरिया की तरफ दौड़ते थे और अगर कहीं रास्ते में कुआँ दिखलाई पड़ता था तो लाइन लगा कर लोग पानी ले जाते थे। मैंने माननीय सदन में कहा था कि जो सरकार पानी नहीं दे सकती है, वह रोटी-कपड़ा कैसे दे सकती है? जौनपुर जनपद में 1 लाख, 3 हजार, 257 लीटर डीजल सरकारी गाड़ियों के नाम पर इन लोगों के इशारे पर बेंच लिया गया, जिसके लिए मैंने भूतपूर्व मुख्य मंत्री से कहा कि इसकी आप जाँच करा लें, 5–5, 10–10 लीटर डीजल के लिए किसान लोग परेशान हैं, उनकी आँखों में खून के आँसू है। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। हर तरह की अनियमितताएं हमारे जनपद में की गई। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, इन्हें उस समय का भी ध्यान देना चाहिए कि कितनी उपेक्षा विरोधी पक्ष के साथ उस समय की गयी। हम लोग जब भी जेल में रहे हैं या यहीं पर लखनऊ जेल में रहें हैं, उस समय किस तरह से हमारे ऊपर डंडे बरसाये गये। हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अपने शासन में जिस तरह का अत्याचार उन्होंने किया है, उसका प्रायश्चित उनको करना चाहिए। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ ऐसे स्कूल और सड़कें जो भी बनाई गयीं, हमारे क्षेत्र में 5 प्राइमरी स्कूल मंजूर थे, लेकिन उसको काट कर उस लोकदल की सरकार ने, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने काट कर वहाँ अपने वर्करों के कहने पर, जिसको चाहे उसको, जहाँ चाहे वहाँ, एक-एक जगह पर 10–10 स्कूल कर दिया। कहीं-कहीं पर एक स्कूल भी नहीं खुल सका। तो इस तरह की जनता पार्टी और लोकदल की सरकार थी। आज उसी का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये लोग बराबर 30 साल की कांग्रेस सरकार का नाम लिया करते हैं। अगर विकास का कोई काम ये किये होते, तो जनता समझती कि इन्होंने कोई अच्छा काम किया था। कांग्रेस की सरकार में जो भी काम अधूरा रह गया था, अगर उसको भी ये पूरा कर लिये होते तब भी कहा जा सकता था कि इन्होंने कुछ काम कर लिया था। अपने शासन में इन्होंने तो लाल फीता काट कर उद्घाटन करने का काम किया। उस समय उन्होंने कोई काम न करके विनाश के रास्ते पर जुट गये थे। सारे प्रदेश के शासनतन्त्र को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। इन शब्दों के साथ मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि उन को उन बातों को भी याद करना चाहिए। इन शब्दों के साथ भाई संजय सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका विरोध करते हुए इस पर दिये गये सशोधनों का समर्थन करता हूं। मान्यवर, राज्य-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पाल का अभिभाषण किसी भी नयी सरकार के लिए दिशा निर्देश का काम करता है। आने वाले समय में सरकार के कार्य किन सिद्धान्तों पर आधारित होंगे, इस पर निर्देश करती है। इस अभिभाषण पर जब हम नजर डालते हैं तो बिलकुल शून्य पाते हैं। सही तौर पर समस्याओं का जिक्र कर देना, राज्यपाल के अभिभाषण का मतलब नहीं है। नीति निर्देशन के मामले में इस राज्यपाल के अभिभाषण में कोई बात नहीं कही गयी। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मान्यवर, जहाँ पर राज्यपाल के अभिभाषण में दिशा निर्देश नहीं किया गया, वहाँ पर एक चीज और हम व्यवहार में देख रहे हैं। नयी सरकार को बने हुए एक महीना होने जा रहा है। इतने समय में भी न जनता के बीच में न अधिकारियों के बीच में और जो दावा करते हैं अपनी सरकार बनाने का उनके बीच में भी इस सरकार को मानते नहीं हैं। इसी सचिवालय में अधिकारी, मंत्रियों से अलग हो कर काम करते है। अधिकारियों के ऊपर मंत्रियों का कोई अंकुश नहीं है। अगर अंकुश होता तो अधिकारियों की दीर्घा है, हमेशा, पिछली असेम्बली में भी देखा, यह दीर्घा जब कभी किसी अहम मसले पर बात होती थी, अधिकारियों से भरी रहती थी। हर विभाग का अधिकारी बैठा रहता था और इस बात को नोट करता था कि कौन विधायक कौन बात कह रहा है। लेकिन इन नयी सरकार के आने के बाद से यह दीर्घा खाली है। इस से साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों के ऊपर इस शासन का कोई अंकुश नहीं है या अधिकारी अपने को सरकार समझते हैं। इस नयी सरकार को, सरकार मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

मान्यवर, आपातकाल स्थिति के बाद आज के शासन में आये हुए लोग पीड़ित रहे, पिछले जिन दो ढाई साल की चर्चा यहाँ पर हर सदस्य कर रहा है, उस समय तक वह कराहते भी रहे होंगे। समय ने पलटा खाया। आज वह फिर सत्ता में आये। हम सोचते थे कि उस समय के पापों का प्रायश्चित आज समय आने पर कर लेंगे। लेकिन उसका कोई रुप दिखायी नहीं दे रहा है। पिछली विधान सभा भंग होने के बाद से एक चीज सामने आयी। जनता की भावनाओं को कुचला गया, नौकरशाही को उसकी जगह प्रतिष्ठित किया गया। परम्परा रही है कि मुख्य मंत्री की कुर्सी पर गवर्नर के अलावा कोई नहीं बैठ सकता। लेकिन मुख्य मंत्री की कुर्सी नौकरशाही के सुपुर्द की गयी और जो ऐडवाइजर केन्द्रीय सरकार ने नियुक्त किये थे उनमें से एक एक को इस कुर्सी पर बैठाया गया। एक और परम्परा आगे बढ़ी, जब इस नयी सरकार ने शपथ लिया।

(अपराह्न 3 बजे से)

सारी स्वस्थ परम्परायें ताक में रख कर उस शपथ समारोह में कांग्रेस मंच के रूप में बदल दिया गया और वहाँ पर सम्बन्धित अधिकारियों का अभाव था। अगर कोई देखने को मिला तो काँग्रसी दफतर में काम करनेवाले लोग मंच संभाल रहे थे और आगे बढ़े तो जिसको आज राज कुमार की संज्ञा दी जा रही है, कुछ लोग मान रहे हैं और कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, उस दिन बड़ी दुखद घटना थी जबकि पुरानी सारी परम्पराओं को खत्म करते हुए श्री सजय सिंह को वहाँ पर भाषणबाजी के लिये इजाजत दी गई थी। मान्यवर, एक मिसाल हमारे सामने है, यह पहला मौका है जबकि राज्यपाल का अभिभाषण यहाँ पर बिना निर्वाचित अध्यक्ष के हुआ। यह सारी परम्परायें, सारी बातें ऐसी थी जो पुराने लोक तंत्र की परम्पराओं के विपरीत थी। लोकतंत्र के प्रति शासन में आये लोगों की हमदर्दी जो मिल रही है वह अपनी बात को तो कह देना चाहते है, लेकिन जब विरोध पक्ष की ओर से कोई खड़ा होता है तो व्यवधान डालना अपना स्वभाव बना रहे हैं। वैसे तो मेरा कोई नुकसान नहीं अगर आप चाहते है कि सदन की कार्यवाही न चले तो हम तो पहले चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही न चले। यह कार्य जो सत्ता पक्ष में अ.प बैठकर कर रहे हैं यह विरोध पक्ष में बैठकर करते हैं। विरोधियों का काम आप कर रहे हैं। मान्यवर, एक मसला है जिसमें नेता विरोधी दल बोल रहे हैं, उनके बोलने में आप व्यवधान डाल रहे हैं। यह मत सोचिये की भीड़ के बल पर आप विरोध पक्ष की आवाज को दबा

[श्री राम आसरे वर्मा]

लेंगे। मान्यवर, वह भीड़ भी हमने देख लिया है जब जनता पार्टी शासन में आयी जिसमें वह आपसे ज्यादा तादाद में थी उस समय मैं निर्दलीय विधायक के रूप में चुनकर आया था और इस समय भी निर्दलीय विधायक के रूप में चुनकर आया हूं। उस समय उनकी संख्या 351 थी, आप तो अपनी आपसी कलह स ही परशान हैं।

एक सदस्य--

यह गलत है।

श्री राम आसरे वर्मा--

सिर्फ मंत्रियों के जितने पद खाली हैं, जो जगहें हैं, जब वह भर जायेंगी, मुझे विश्वास है सब की आवाजें दब जायेगी।

(व्यवधान)

मान्यवर, उस होड़ से मैं आपको अलग नहीं करता हूं। मान्यवर, मैं कह रहा था कि जिस स्वस्थ परम्पराओं को विकसित करने की जिम्मेंदारी शासन वर्ग के ऊपर आ गई, अब तक के आचरण से ऐसा लगता है कि उसकी उल्टी दिशा में चल रहे हैं। मान्यवर, लोकतंत्र हमारे इस प्रदेश में खतरे में है, क्योंकि कोई भी दिशा निर्देश अभिभाषण से नहीं मिल रही है। प्रदेश में लगभग 10 सालों से नक्सलपथी बन्दी जेलों में सड़ रहे है उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है वे तरह-तरह के रोगों से ग्रस्त हो चुके हैं। साधारण अपराधियों को 7-8 सालों में प्रोब्रेशन या परोल पर छोड़ा जाता है। और उन्हें पेरोल भी दिया जाता है। एक विचार धारा और सिद्धान्तों से लेस उन लोगों के बारे में शासन ने कोई बात नहीं कही। मान्यवर, सन् 73 में, जो आज सत्ता में आये है इन्हीं लोगों के बीच के लोग, जिन्होंने पुलिस आन्दोलन को प्रेरित किया था और आपसी लड़ाइयाँ लड़ी थीं एक गिरोह ने दूसरे गुट को प्रोत्साहन दिया था। आज फिर सब मिले-जुले रूप में सामने आ गये है। उन पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, उनको अभी तक वापस भी नहीं लिया जा रहा है। हाँ, कुछ चीजों में हमारे कांग्रेसी भाइयों ने रवैया जरूर बदल दिया है। यह रवैया शायद आपातकाल की स्थिति के नतीजे को देखकर शायद बदला गया है। उस समय खुद इन्होंने चाहे वह बड़े से बड़ा स्मगलर रहा हो, चोर बाजारी करने वाला रहा हो, डकैत या कैसा भी इलीमेंट रहा हो, जेल भेजा। परन्तु अब इनकी नीति यह रही कि इन्हीं जैसे लोगों को टिकट देने का भी किसी ने विरोध नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्री वर्मा जी अपनी बात समाप्त करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

आप भी कह लीजियेगा। पहले सुन लीजिए। सुनने में शायद आपको बड़ी तकलीफ हो रही है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अपना स्थान कृपया ग्रहण कर लें। श्री वर्मा जी।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, हमारे कांग्रेस बन्धुओं को तकलीफ हो रही है। जिस किसी चोर को चोर कह दिया जाता है तो उसे तकलीफ होती है, उसी तरह इनको तकलीफ हो रही है। मान्यवर,

हमारे इन भाइयों ने, जो बात कही है। शायद वह उन लोगों के नाम नहीं जानते, आप कहें तो मैं नाम भी बता दू। हमारे एक साथी विरोध पक्ष के जो रामपुर से जीतकर आये हैं, आजम साहब। यह ऐसे साथी को हरा कर आये है, जिसको आप लोगों ने 'मीसा' के अन्तर्गत बन्द किया था।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, माननीय राम आसरे वर्मा जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, यह लोकतंत्र के पहरुए यहाँ बैठे हैं, जब यह बोलने देंगे, तभी बोलेंगे।

मान्यवर, इस अभिभाषण में कोई किसानों को राहत देने वाली बात अगर एक भी आयी होती तो कुछ मैं भी स्वागत करता। जैसे पिछली सरकार जनता पार्टी के राज्य में तमाम बुराइयाँ रही थीं। तमाम कमियाँ है लेकिन उनकी कामयाबी वही बनी कि वह उधर से इधर बैठ गये और आज आपने भी उन्हीं कमियों से शुरूआत की है। गाँव की ओर आपने मुड़ने की कोशिश नहीं की। गाँवों की ओर अगर आप जायें तो वहाँ किसान अपनी दर्द-नाक कहानियाँ कहने लगेंगे। जो भाषण बाजी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वह किसानों के गाँवों में अगर जायें तो भगा दिये जायेंगे।

(शोर)

मान्यवर, पिछले शासन में किसानों के हित में फसल बीमा योजना की बात कही गयी थी और उसके लिए एक समिति भी बनायी थी। उसका काम था कि फसल बीमा योजना को किस तरह से लागू किया जाय। इसके बारे में अपनी सिफारिश दे। आप आये फसल बीमा योजना हवा हो गयी। इतना ही नहीं बल्कि किसानों की रोजमर्रा काम आने वाली चीजें चाहे खाद हो, कृषि यंत्र हों, ट्रैक्टर हों, की कीमत बढ़ा दी गयी। डीजल की कीमत बढ़ा दी गयी। इतना ही नहीं किसानों के लिए इतना कठिन हो गया कि इन सब चीजों को मुहैय्या कर सके।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, अभी समय समाप्त नहीं हुआ। 25 मिनट हैं हमारे। मान्यवर, हमारा प्रदेश सूखा पीड़ित प्रदेश है। इस सूखा पीड़ित प्रदेश में, जो प्रदेश की जनता अपेक्षा करती है शासन से उसके बजाय सरकार की तरफ से जो कर्ज मिलता है चाहें विकास बैंक का हो चाहे सहकारी समितियों को, उनकी यदि जाँच करायी जाये तो इनका अधिकाँश रुपया फर्जी मिलेगा और उनकी वसूली के लिए उत्पीड़क कार्यवाहियाँ हो रही है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

ऐसा नहीं हो रहा है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मुख्य मंत्री का बयान अखबार में पढ़ने को मिलता है कि उत्पीड़क कार्यवाहियाँ न की जायं लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा है। नीलामी की, कुर्की की कार्यवाहियाँ की जा रही हैं।

(शोर)

हो सकता है कि जिन क्षेत्रों से कांग्रेसी उम्मीदवार आये हैं वहाँ उन्हें स्थगित कर दिया गया हो। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि सबसे पहले वह प्रदेश की शाँति व्यवस्था की स्थिति को सुधारेंगे। मान्यवर, जिस दिन से सदन चला है उस समय

[राम आसरे वर्मा]
से शांति व्यवस्था की बातें हो रही है। कफल्टा का शर्मनाक काण्ड किसी से छिपा नहीं है जहाँ पर हरिजनों को घर के अन्दर बन्द करके आग लगायी गयी।

(शोर)

(बेलछी काण्ड, 'नारायणपुर काण्ड', 'पारसबीघा काण्ड', की आवाजें)

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया बैठ जायं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी काण्ड हो जिस समय कांग्रेस (आई) के लोग शासन में नहीं थे उस समय भी अगर कोई काण्ड हुआ है तो उसमें भी कांग्रेस (आई) के लोग रहे हैं। हर काण्ड के पीछे इनका हाथ रहा है। आज मान्यवर, कफल्टा काण्ड की बात मैं कहना चाहता हूं तो क्यों इनके चीख निकल रही है। सुनने के लिए यह तैयार नहीं हो रहे हैं। जहाँ पर हरिजनों को मकान के अन्दर बन्द करके आग लगा दी गयी। बाराबंकी में भी हरिजन उत्थान की बात करते हैं जहाँ पर महिला के साथ इनके पुलिस के लोग बलात्कार करते हैं उसके बाद उसके गुप्ताँग में एक मोटा डण्डा ठोंका जाता है। औरत मर जाती है, तो आत्महत्या की बात की जाती ह।

(शोर)

एक सदस्य कफल्टा की बात कर रहे थे। बहुत दूर की बात कर रहे थे वह। एक पास की बात बता रहा हूं। इसी विधान सभा के सामने कफल्टा से पीड़ित लोग अनशन कर रहे थे.....

(शोर)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य को लाल बत्ती दिखायें।

(शोर)

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं इन शब्दों के साथ आपका ध्यान उन संशोधनों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिनका इसमें जिक्र है। आप एक ओर दखें पिछले शासन में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत संपर्क मार्गों का निर्माण किया गया था। आज वहाँ पर पुलियों का निर्माण नहीं हुआ है, पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। गाँव-गाँव पानी से भरे हैं, उनको ठीक नहीं किया गया। आज उन सम्पर्क मार्गों को जिनका निर्माण जनता और लोक दल शासन में हुआ, अगर ठीक करा दें तो जनता से हमदर्दी की बात कही जायेगी। कुछ संशोधन और हैं जिनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे हरदोई जिले के अन्दर मल्लावाँ और माधोगंज सपर्क मार्ग हैं जिसमें गत शासन द्वारा स्वीकृत बिजली की योजना है तथा उसी क्षेत्र में छिपरापुर-जलालपुर विद्युत योजना है लेकिन उसके उद्धार के लिए कोई बात नहीं कही गयी। एक बात और कहना चाहूंगा कि अभिभाषण में उर्दू विषय के बारे में कहा गया। हमेशा प्रदेश की मुस्लिम जनता के नाम पर कांग्रेस (आई) के लोगों ने कमाई की है। उनके लिये आपने क्या किया? उनको समान अधिकार देने की बात आपने नहीं की। आपने सिर्फ इतना संकेत किया है कि उर्दू हमारे प्रदेश की एक समृद्ध भाषा है। उसकी उन्नति के लिये कारगर कदम उठायें जायेंगे लेकिन क्या कदम उठाये जायेंगे इसका कोई उल्लेख नहीं है। एक आवाज हमेशा से उठती रही है और कांग्रेस (आई) के लोगों बे भी समय समय पर कहा है, जिस समय कांग्रेस आई के लोग इधर बैठे थे उस समय उर्दू को इस प्रदेश की दूसरी भाषा बनाने की माँग करते थे। लेकिन आज सिर्फ यह कहा जा रहा है कि उसकी उन्नति के लिये कारगर कदम उठाये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राम आसरे वर्मा—

इन शब्दों के साथ जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

एक सदस्य—

(मान्यवर, आप महिलाओं को भी बोलने का अवसर दें)

(श्री जावेद अली का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, लोकदल से आपने केवल दो लोगों को बुलवाया है। यह मुख्य विरोधी दल है। हम लोगों ने 6 लोगों के नाम दिये थे।

श्री अधिष्ठाता—

इसके बाद अवसर मिलेगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

जो शासक दल के लोग व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं उनसे कह दीजिये कि व्यवस्था का प्रश्न इधर से आकर उठायें।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

मान्यवर, आप कृपा करके समय निश्चित कर दीजिये क्योंकि बहुत लोग बोलना चाहते हैं। माननीय सदस्य जो अभी बोले हैं, तीन बार बत्ती लाल हुयी परन्तु माननीय सदस्य बोलते गये। इसलिये आप एक समय निश्चित कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

सदस्यों के लिये 10 मिनट का समय निर्धारित किया है। विभिन्न दलों के जो नेता हैं उनके लिये 25 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। आप व्यवधान न डालें, समय के अन्दर कार्यवाही पूरी हो जायगी।

श्री मुख्तार अनीस—

यहाँ पर राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हो रही है। एक मंत्री बैठे हैं, और जो [* * *] पीछे बैठा हुआ है हल्ला मचाने के लिये (भीषण शोर)

श्री श्याम लाल बाजपयी—

इन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है।

(शोर)

एक सदस्य—

इसको आप वापस लीजिये।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य जरा शांत होकर सुनें।

एक सदस्य—

ये जंगल से आये हैं, इसलिये [* * *] इस्तेमाल किया है।

नोट—[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

यह शब्द सदन की गरिमा और मर्यादा के विपरीत है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें । विपक्ष के जो माननीय सदस्य ने सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों के लिये जो झुंड शब्द का प्रयोग किया है वह असंसदीय है इसे कार्यवाही से निकाल दिया जायगा ।

*श्री जावेद अली खां—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय संजय सिंह, सदस्य विधान सभा ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसके पक्ष में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ और मुझे जो उस पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो विरोधी पक्ष द्वारा और सर्व प्रथम नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूगा। श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन का प्रस्ताव रखा उसमें कहा है कि सामान्य निर्वाचन के कुछ दिन पूर्व दल विशेष को निर्वाचन में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये । तो यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में माननीय नेता विरोधी दल अच्छी तरीके से जानकारी रखते हैं कि चुनावों में सरकारी पक्ष को लाभ पहुंचाने हेतु जो अधिकारियों का स्थानान्तरण हुआ वह किस दल की सरकार ने किये । यह कोई नई बात नहीं है, अभी उसको ज्यादा समय नहीं गुजरा है। हमारे इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री राम नरेश यादव जी जिस क्षेत्र से खड़े हुये थे, निघौलीकलाँ, उस क्षेत्र में चुनाव घोषणा के बाद एस0 पी0 और डी0 एस0 पी0 या एस0 ओज0 के स्थानान्तरण किये गये और पोस्टिंग हुई है और वह एक वर्ग विशेष जाति विशेष के एस0 ओज0 को वहाँ पोस्ट किया गया और वहां से जिनको हटाया गया उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी लेकिन लाभ चूंकि उनको पहुचाना था इसलिए उनको हटाया गया। वहाँ जिस तरीक से लोकतंत्र की हत्या की गयी उससे हमारे सभी माननीय सदस्य भलीभांति परिचित हैं ।

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जिन लोगों ने यह आक्षेप लगाया है कि हमारी सरकार ने चुनाव से पूर्व चुनाओं में नाजायज फायदा पहुंचाने की दृष्टि से ट्रांसफर और पोस्टिंग किये वह निराधार है क्योंकि सामान्यतया ट्रांसफर मई, जून में हुआ करते है और चुनाव मई में होने थे। जो प्रशासनिक दृष्टि से ट्रांसफर ड्यू थे वह हुये। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि किसी खास मकसद से चुनाव में फायदा पहुचाने से किये गये थे । इसके अतिरिक्त जिस हालत में प्रदेश के शासन को पिछली सरकार ने छोड़ा उस को दृष्टिकोण में रखते हुये यह ट्रांसफर और पोस्टिंग आवश्यक हो गयी थी क्योंकि जैसी यहाँ लालैमनेस थी। प्रदेश में, जैसी अव्यवस्था थी, उसको दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक था कि डी0 एम0 और एस0 पी0 का ट्रांसफर जनहित में निर्बल वर्ग और खास कर माइनेरिटिज को बचाने हेतु, उनके इन्ट्रेस्ट की हिफाजत करने हेतु, करने आवश्यक थे। अभी हमारे माननीय मोहन सिंह जी ने जो सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार माइनेरिटिज की विरोधी है मुझे इस पर हंसी आई और ताज्जुब भी हुआ कि उन्होंने यह चीज किस आधार पर कही क्योंकि अभी वह बात पुरानी नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुई है, अलीगढ़ की। जो दंगा हुआ वह हर एक के, हर नागरिक के दिमाग में अभी साफ है धूमिल नहीं हुआ। जिस प्रकार जो विरोधी दल में आज बैठे हैं उन्होंने उसको हैण्डल किया वह चीज शायद किसी भी देश के प्रशासनिक इतिहास में नहीं मिलेगी कि एक मामूली दंगे ने जो हिन्दू मुसलमान दंगा का रूप धारण कर लिया उसको कन्ट्रोल ही नहीं किया गया। बड़े अफसोस की बात है कि उस दौरान दो मंत्रिगण अलीगढ़ में कैम्प कर रहे थे और दंगा चलता रहा। कई बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और उस वक्त न तो भाई मोहन सिंह जी और न किसी अन्य ने जो आज विरोधी दल में बैठे हैं आवाज उठाने का प्रयास किया। श्रीमन् इसके अतिरिक्त जो हमारे प्रदेश के अन्य हिस्सों में दंगे हुए उनको याद कर लेना चाहिए जिस प्रकार निर्मम रूप से निर्बल वर्ग के लोगों की हत्या की गई खास कर पंतनगर काण्ड जो एक ऐसा कांड है जो कि प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। यही नहीं जो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार थे उस व्यक्ति को लोकदल का टिकट दिया गया। इसके अतिरिक्त हमारे नेता विरोधी दल ने एक प्रश्न उठाया था, बूथकैपचरिंग का। शायद नेता विरोधी दल गोविल्स थ्योरी में विश्वास करते हैं जिसमें झूठ को बार बार कहा जाय तो सच हो जाता है। बूथ कैपचरिंग किस दल ने किया इसके लिये मैं उदाहरण दूंगा कि सन् 71 से 77 तक के चुनावों में लोक दल किस प्रकार हमारे यहाँ के गरीब लोगों के अधिकारों का हनन करता रहा है। सन् 71 में उप मंत्री गृह विभाग लोक दल के ही थे। उनके जमाने में बूथ कपैचरिंग हुआ और उसमें उनका सहयोग रहा। इसके बाद 74 के चुनाव में बड़े पैमाने पर बूथ कैपचरिंग हुआ यहाँ तक कि एक पोलिंग स्टेशन पर तो जितने वोट लिस्टेड थे उससे ज्यादा वोट पड़ गये। हमारी सरकार के ऊपर जो आक्षेप लगाया जाता है, बूथकैपचरिंग का यह गलत है। हमारी सरकार जरूर थी लेकिन बूथ कैपचरिंग लोक दल के लोगों द्वारा ही किया गया। इसके अलावा बागपत कांड पर नेता विरोधी दल ने बड़ा जोर दिया। उसके लिये आपने 11 तारीख निश्चित की है उस पर मुख्य मंत्री जी बयान देंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा मालूम है। मैं कहना चाहूंगा कि उनमें एक जिसकी मृत्यु हुई है वह हिस्ट्रीशीटर था और बुलन्दशहर का रहने वाला था और जो उसका सही रूप था वह 11 तारीख के बयान में जाहिर हो जायगा। इसके अलावा उर्दू के बारे में जो हमारे भीखालाल जी तथा राम आसरे वर्मा जी ने जोर दिया मैं उनसे जानना चाहता हूं कि तीन साल तक जब उनकी सरकार रही तो उस समय उर्दू को दूसरी राज भाषा का स्थान क्यों नहीं वह दिला सके फिर आज उनको उर्दू का राजभाषा का अधिकार दिलाने पर जोर देने का क्या अधिकार है? इसके अलावा रियासत साहब ने कहा कि कांग्रेस शासन में चन्द पूंजीपति घरानों के लोग आये हैं जिससे हमारे शासन में मूल्य बढ़े। लेकिन तीन साल तक जब उनकी सरकार शासन में थी तो उस वक्त मूल्यों में कितनी घटोत्तरी हुई? अन्त में मैं माननीय संजय सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भानु प्रताप सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय संजय सिंह द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिये जो आपने मुझे अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। मान्यवर, मैंने बहुत ध्यान से नेता विरोधी दल और जो अन्य माननीय नेतागण हैं उनके विचारों को सुना। मुझे ऐसा लगा कि इसमें अतिशयोक्ति ज्यादा की गई है और असलियत का बयान कुछ कम है। मैं तो यही कह सकता हूं कि—

वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता
हम आह भी भरते हैं तो उधर से हंगामा होता है

(व्यवधान)

[श्री भानुप्रताप सिंह]

मौके कि लिहाज से मैंने कहा है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे बात भी ध्यान मे सुनें। मैंने भी उनकी बात ध्यान से सुना। मान्यवर, संसद के चुनाव हुये। केन्द्र में एक मजबूत सरकार आयी। अस्तित्व की सरकार आयी। जनता ने उसको प्रबल समर्थन दिया था। उस सरकार ने सोचा कि शायद हमें जो समर्थन दिया गया है वह इसलिये दिया गया है कि प्रदेशों में और देश में जो अर्थ व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है जो अराजक स्थिति पैदा होती चली जा रही है उसको समाप्त करने के लिये जनता का कोई निर्देश है। इसलिये प्रदेशों की सरकारों को भंग कराया गया और पुन: चुनाव कराये गये। जनता को पुन: एक अवसर दिया गया कि वह किस प्रकार की सरकार यहाँ प्रदेश में चाहती है चुने या बनाये। इस तरह से यह सरकार प्रकाश में आयी है और हमारे जो साथी विरोधी दल के लोग हैं उनको उस ओर जाना पड़ा और हम जैसे लोगों को सरकारी पक्ष में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिये हमारे ऊपर यह उत्तरदायित्व आता है कि हम जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखें। आज प्रदेश में जो स्थिति है, शासन में जो शिथिलता है वह एक महीने में आयी हुई सरकार के ठीक न कर पा सकने की वजह से हो, ऐसी बात नहीं है। ये सब पिछले तीन साल के पाप हैं। इनको हमें खतम करना होगा। जो खराबी है उसको दूर करना होगा। हम इस बात से अवगत है कि जो उस ओर बैठने वाले साथी हैं उनके द्वारा जो गल्तियाँ हुई हैं जब वे शासन पक्ष में थे उसी के परिणाम-स्वरूप उनको उधर जाना पड़ा है। हम अपने उस पक्ष में बैठने वाले साथियों का जो निर्देश है उसका अवश्य ख्याल रखेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि हम जनता की इच्छाओं का ध्यान रखेंगे और जो ज्यादतियाँ हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति न हों। बागपत काँड पर कल पौने तीन घन्टे चर्चा हुई। देश या प्रदेश में जिस शासन में स्त्रियों, माताओं और बहनों का अपमान किया जाता है वह शासन अच्छा नहीं कहा जा सकता। (विरोध पक्ष की तरफ से मेंजें थपथपाई गई)। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी पक्ष को प्रसन्न होना चाहिये उनके लिए ही कहा जा रहा है, उनके नेता औरतों के खिलाफ थे।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

लगता है बाजपेयी जी जल्दी इधर बैठने वाले हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह—

मेरे ही क्षेत्र में 17-11-79 को जाहिर है जब हमारी सरकार नहीं थी एक भोजीपुरा जंक्शन है. जिस नाम से मेरी कॉस्टीट्यूएंसी जानी जाती है वहाँ कंजड़ों की एक हरिजन बस्ती है जो बहुत गरीब है किसी तरह से शहर और आस पास के गाँव गाँव घूम कर भीख माँग कर खाते हैं जो थाने से एक मील दूर है वहाँ एक सिपाही महाराज सिंह भोजीपूरा थाने का है अपने कई साथियों के साथ आता है और धोखे से एक व्यक्ति तोताराम को ले जाता है। जब वह व्यक्ति वापस नहीं आता है तो उसकी पत्नी थाने भोजीपूरा में प्रात: में जाती है कि अमुक अमुक व्यक्ति मेरे पति तोताराम को कहीं ले गये हैं, कल का गया वह वापस नहीं आया, कृपया उसके गुम हो जाने की रिपोर्ट लिख लीजिये। तो तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा उसे रोके रखा जाता है और उसके साथ रिपोर्ट लिखाने गये लोगों के साथ सख्त अभद्र व्यवहार किया जाता है और थाने से उसे भगा दिया जाता है। किसी तरह जब जिलाधीश तक इस बात की शिकायत हुई तो फिर एक बड़े जाँच अधिकारी को भेजा गया। 10, 12 दिन तक खोज बीन का प्रयत्न होता रहा कि

उस व्यक्ति को कहां ले जाया गया और उसका क्या हुआ ? 10, 12 दिन के ग्रामीणों के अथक प्रयत्न के बाद उस व्यक्ति की घास के ढेर पर अधजली लाश मिलती है। तो क्या उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। श्रीमन, जाहिर बात है जनता पार्टी की सरकार थी। आज हम लोग जो यहां बैठे हैं उस समय अस्तित्व में नहीं थे। इस प्रकार की जो बातें हत्या, बलात्कार, राहजनी और डकैतियां हर शासन में हुआ करती हैं हो रही हैं। लेकिन जो लोग इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं और इनको छुपाने के लिये अधिकारियों की प्रश्रय देते हैं या उसमें उनकी मदद करते हैं वह गलत है उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिये। मैं साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि शासन में चुस्ती लाने के लिए, इस प्रकार के खराब लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ध्यान दिलाने की मांग करते हैं तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि इस पक्ष में (सरकार) बैठने वाले कभी भी ऐसी इच्छा नहीं रखते कि उनका विरोध किया जाय। मैं अपने उस पक्ष में बैठने वाले साथियों से कहना चाहता हूं कि जहां तक बूथ कैपचरिंग का सवाल है (व्यवधान) मेरे क्षेत्र में एक जाति विशेष के लोग रहते हैं वहां पर उन्होंने हरिजनों को उनको वोट डालने नहीं दिया। मान्यवर, इस बार प्रदेश में इतना परिवर्तन किया गया कि एक जाति विशष के जो आइ0 जी0 थे उनको हटा दिया गया और दूसर को नया आई0 जी0 बना दिया गया। उनके प्रयत्न से जो बूथ कैपचरिंग की भावना पर रोक लगाई गई जो हरिजनों, अल्पसंख्यकों और गरीब लोगों को जो वोट नहीं डालने दिया जाता था रोका गया उनको इस बार पहली दफा जीवन में वोट डालने का मौका मिला। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस में जो खराब प्रवृत्ति पनप रही है उसको शासन सख्ती से दबायेगी। श्रीमन विरोधी पक्ष के लोगों के मन में जो इस प्रकार की भावना है कि हम इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं गलत है और बार बार इस इश्यू को उठाया जाता है क्या उसके पीछे उनकी यही भावना हैं। उन्होंने हमारे पक्ष के लोगों के लिए झुंड शब्द का प्रयोग किया वह गलत है उसे कार्यवाही से काट दिया जाना चाहिए। वह तो मैं समझता हूं कि जो सदस्य यहां पर चुनकर आए हैं, वह झुन्ड से बेहतर स्थिति रखते हैं। इसलिए कि मनुष्य में जो हृदय या मस्तिष्क होता है.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने देख लिया है यह कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री मानु प्रताप सिंह—

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में संजय सिंह जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं और सभी सदन के साथियों से आशा करता हूं कि वह भी इसका स्वागत और समर्थन करेंगे।

(श्री मोती लाल देहलवी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

जिनका आपको नाम नहीं मालूम है, क्या उनको बोलने का समय नहीं दिया जाएगा ? पर्वतीय क्षेत्र से एक भी विधायक को अभी तक समय नहीं मिला है। आप इस बात का ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष—

आप इस बात का ध्यान रखें, जब एक को हमने बुलवा लिया है, तो उसको बोलने का मौका दें।

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तीन प्रकार की बातें या तीन प्रकार के विचार जाहिर किये गये। एक तो कानून व्यवस्था से सम्बन्धित है, दूसरा निर्माण कार्य से सम्बन्धित है और तीसरा मंहगाई और बेरोजगारी से सम्बन्धित है। मान्यवर, मेरी यह निश्चित घोषणा है, कुछ आधारों पर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, यद्यपि भविष्यवक्ता नहीं हूं। निम्न

[श्री मोतीलाल देहलवी]

आधारों पर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि यह कांग्रेस सरकार कभी भी कानून व्यवस्था को संभाल ही नहीं सकती है। यह मेरी निश्चित राय है, भविष्यवाणी है। ("व्यवधान") मैं कुछ तथ्यों के आधार पर यह बात कह रहा हूं। मैंने शुरू में कह दिया कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, बहुत मामूली आदमी हूं। इस आधार पर मैंने कहा है कि मान्यवर, लगातार पाँचवी बार मैं इस माननीय सदन में आया हूं। आप भी उपाध्यक्ष रहे हैं, सदस्य रहे हैं और बड़े पदों पर भी रहे हैं, यहां मंत्री रहे हैं, क्या कभी आपने देखा होगा कि जब कोई विरोधी दल के लोग बोलने खड़े हुए हों तो सत्ता पक्ष के लोगों ने इस प्रकार का व्यवधान खड़ा किया हो। ऐसा कभी भी आपको देखने में नहीं आया?

(व्यवधान)

जो कुछ यहां देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के विधायक माननीय मुख्य मंत्री व और जो मंत्री है, वह अनुशासन में कतई नहीं हैं। यह बात यहां देखने को आपको मिल रही है, और पत्रकार तथा दर्शक भी देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप गैलरी को कृपया सम्बोधित न करें।

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, कतई नियंत्रण नहीं है। मुख्य मंत्री जी बैठे रहते हैं और कांग्रेसी विधायक व्यवधान कर विरोधी पक्ष के विधायको को बोलने नहीं देते हैं।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

यह राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे हैं या शासकीय दल के अनुशासन पर बोल रहे हैं.....

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी—

मुझे यह देख कर याद आता है कि पिछली विधान सभा में श्री सुन्दर लाल दीक्षित चुन कर आये थे। हम लोग उनकी बातों का बड़ा रसास्वादन करते थे। अब उनका स्थान माननीय श्यामलाल बाजपेयी ने ले लिया है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय सदस्य की कामना पूरी हुयी। मैं उन्हीं को हराकर आया हूं।

श्री मोती लाल देहलवी—

अब मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूं। कानून व्यवस्था को ये सरकार कतई-कतई सुधार नहीं सकती, क्योंकि वही गलत आधार है, इस सरकार का। इस सरकार के बनने में कांग्रेसी विधायकों के चुने जाने में, मान्यवर, इन्हीं अफसरों ने और इन्हीं पुलिस के लोगों ने इनकी मदद की।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकदल की सरकार के समय हवाई जहाज का अपहरण हुआ और मान्यवर, वह तथा ऐसे लोग चुनकर आ गये हैं जो क्रिमिनल मीसा में रहे हैं। इसलिये ऐसी सरकार से कानून व्यवस्था की आशा की ही नहीं जा सकती।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

इनकी सरकार में तो हिस्ट्री शीटर आये थे और वह मन्त्री बनाये गये थे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य—

आपकी सरकार में आधा दर्जन मिनिस्टर हिस्ट्री शीटर थे।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

जितने भी छटे हुए क्रिमिनल है वह सब वहीं पर हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मेरे साथ में तो व्यवधान ही होता रहा। मैं अभी तक बोल ही नहीं पाया हूं। मेरा विचार है कि राजनैतिक व्यक्तियों का अगर आचरण शुद्ध और साफ नहीं है तो सरकार भी साफ शुद्ध और स्वच्छ नहीं हो सकती है और इसलिए कानून व्यवस्था का सुधार नहीं हो सकता यह तीन तथ्य मान्यवर, मैंने अपनी भविष्यवाणी के दिये हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मै कहना चाहता हूं कि बोले तो बोले सूप छलनी क्यम बोले जिसमें 72 छेद ।

श्री मोती लाल देहलवी—

एक जिन्दा उदाहरण दे रहा हूं। एक सदस्य अभी भाषण कर रहे थे और उन्होंने दावा किया कि अगर अफसरशाही और नौकरशाही ठीक न हुई तो उनको लबे सड़क ठीक किया जायगा। ऐसा वह कर सकते हैं, ठीक है। अगर जहाज अपहरण काण्ड हो सकता है तो ऐसे अन्य बहुत से काम हो सकते हैं अगर उनका हिंसा पर विश्वास है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

सुरेश काण्ड को क्यों भूल रहे हो। जहाज काण्ड तो याद आ गया।

[अपरान्ह 4 बजे से]।

श्री मोती लाल देहलवी—

उनकी हिंसा उनको मुबारक हो। वह बहुत गरज रहे थे, मैं डर गया था, उनकी गर्वभरी गर्जना से। मान्यवर, बचपन में मैं नाटक देखा करता था। एक बार एक नाटक भक्त प्रहलाद का देखा था जिसमें हिरण्य कश्यप बहुत जोर से इसी प्रकार गरजता था.....

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

भक्त प्रह्लाद का जन्म काँग्रेस (आई) में हो चुका है।

श्री मोती लाल देहलवी—

तो मान्यवर, जहाँ इस प्रकार के हिरण्कश्यप हुए उन्हीं के परिवार में भक्त प्रह्लाद भी हुए जिसनेअसत्य के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकायी, नत मस्तक नहीं हुआ। उसने अपने पिता से कहा कि तुम ईश्वर नहीं हो, खुदा नहीं हो, सत्य नहीं हो और सत्य कोई और चीज है। फिर आखिर नतीजा क्या हुआ, सबको मालूम है ? कंस को भी बड़ा गर्व था। वह भी काल को अपने वश में करना चाहता था।

मान्यवर, मेरे सामने जो कुछ तथ्य है, उन्हीं के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि मेरी दूसरी भविष्यवाणी यह है कि यह काँग्रेसी सरकार कभी भी मूल्यों पर नियन्त्रण कर ही नहीं सकती और गरीब लोगों को इससे कोई राहत मिल ही नहीं सकती है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

यही होकर रहेगा ।

श्री मोती लाल देहलवी—

यहीं पर माननीय काशीनाथ मिश्र भाषण कर रहे थे। उन्हीं की बात मैं दुहरा रहा हूं। उन्होंने कहा था कि अगर चीनी का एक पैसा प्रति किलो भी दाम बढ़ता है तो कई लाख रुपये का मुनाफा चीनी मिल मालिकों का होता है। माननीय रियासत हुसैन ने अपने भाषण में आँकड़े दिए थे कि लोकदल की सरकार के समय में चीनी का क्या भाव था, राष्ट्रपति के शासन काल में क्या हुआ और उसके बाद आप के शासन में क्या क्या भाव हुए ? 7 1/2 रुपया प्रति किलो तक चीनी का भाव हो गया। आप हिसाब लगायें कितने करोड़

[श्री मोतीलाल देंहलवी]

रुपया मुनाफा चीनी मिल मालिकों को हुआ। चौधरी चरण सिंह ने चुनौती के साथ कहा था कि चीनी मिल मालिकों ने काँग्रेस को चुनाव के लिए 60 करोड़ रुपया दिया था। मान्यवर, जब तक करोड़पति का नोट और गरीब का वोट की चलेगी, तब तक गरीब को राहत मिलना सम्भव नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

पिछली सरकार ने कितने लाख रुपया लिया था ?

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी--

इस देश और प्रदेश में जब तक अमीर और गरीब की खाई नहीं पाटी जायेगी और चीजों के दाम बाँधे नहीं जायेंगे तब तक जिन्दगी की जरूरत की चीजें सस्ती नहीं होगीं और गरीबों को राहत मिलना सम्भव नहीं है। मैं मान्यवर, अपने काँग्रेस के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा..... (व्यवधान) कि वे श्रीमती इन्दिरा गाँधी से कहें कि यदि उनको गरीबों का तनिक भी दर्द है.....

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

श्रीमती इन्दिरा गाँधी गरीबों की मसीहा हैं ।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी--

आप उनसे कहें कि मेहरबानी करके जिन्दगी की जरूरत की जो चीजें हैं उनके कम से कम दाम बाँध दें। जिस चीज की जितनी लागत बनने में आये, मुनाफा वगैरह सब लगाकर, उपभोक्ता के पास जब वह जाय तो उसकी कीमत डेढ़ गुना से ज्यादा न हो। आखिर दिल्ली में भी आपकी ही सरकार है, अन्य सभी प्रान्तो में करीब-करीब है, जब सब जगह आपकी सरकार है तो आप यह काम क्यों नहीं करते ? इस देश के अन्दर जो गरीब चौकीदार है उसका वेतन क्या है ? जनता पार्टी ने उसे 15 रुपये माहवार किया । (व्यवधान) पर टाटा और बिड़ला की आय प्रति दिन की लाखों रुपये है। देश के अन्दर जो यह इतनी बड़ी विषमता है इसे आप दूर करें। इस आय में एक और पन्द्रह से ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिये। यही बात डा0 लोहिया ने भी कही थी।

(व्यवधान)

श्री जैराज गौतम--

आपने अपने 3 साल में क्या किया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप लोग व्यवधान न करें।

श्री मोती लाल देहलवी--

देहात में जो महिलाएं रहती हैं उनके लिये टट्टी और पाखाने की परेशानी बराबर अभी तक बनी हुई है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आप भी कभी सड़क के रास्ते से गुजरे होंगे, तो देखे होंगे कि आज कल बेचारी महिलाओं की बरसात में क्या दुर्दशा है। वे सड़क के किनारे पाखाने के लिए बैठती हैं।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

पिछली सरकार में फ्लश की लैट्रिन बन गयी थी क्या ?

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, जब कोई सवारी, जब कोई पुरुष उधर से गुजरता है, उनको अपनी मर्यादा बचाने के लिए उठना पड़ता है, चाहे उनकी धोती खराब हो जाय, चाहे पेट खराब हो जाय। मान्यवर, आज यह गाँव की नारी दुर्दशा बनी हुई है। मैं तो कहता हूं कि इस सरकार के लिए आज हया और शर्म की बात है कि जिस देश की वर्षों से महिला प्रधान मन्त्री हो, उस देश की महिलाओं के लिए आज भी टट्टी के लिए, पाखाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। महिलायें बेचारी इज्जत मर्यादा से टट्टी नहीं जा सकती हैं।

(शेम-शेम की आवाजें)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

अध्यक्ष महोदय, 3-4 महीने पहले यह बात नहीं याद आई, आज इनको याद आ रही है।

श्री मुख्तार अनीस---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष--

मैंने मुख्तार अनीस को पुकार लिया है। आप बैठें।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, हम लोग चाहते हैं कि सदन ठीक प्रकार से चले और तमीज के साथ चले। जो जनता की समस्यायें हैं, जो जनता की आकांक्षाएं हैं उनको माननीय सदस्य प्रतिबिम्बित कर सकें। माननीय श्याम लाल बाजपेयी जो इस सदन के मान सिंह आजाद हो गये हैं, वह निरंतर खड़े होकर कोई न कोई बात करते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यही आलोचना करने के लिये क्या समय दिया है ?

श्री मुख्तार अनीस --

अगर उनके लोग इस तरह हाउस को नही चलने देंगे, विरोधी पक्ष को नहीं बोलने देंगे, तो हम लोगों को भी कोई तरीका अपनाना होगा।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मेरी एक बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

बाजपेयी जी अभी व्यवस्था का प्रश्न हो रहा था, उसका उत्तर अभी नहीं दिया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठें। अभी-अभी मुख्तार अनीस साहब ने जो बात कही है, मैं आप से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन के चलने के लिए प्रत्येक सदस्य का सहयोग आवश्यक है। अगर एक भी सदस्य असहयोग करेगा, तो सदन ठीक रूप से नहीं चल सकेगा। जब सदन चलता हो, जहाँ पर इतने लोग बैठे हों, तो वहाँ पर भाषण देने के बीच में कहीं पर अगर बहुत आवश्यक हो तो वहाँ पर यदि कोई कुछ कह देता है, तब तो चल सकता है। लेकिन हर वक्त, हर बात पर इस तरह से सदन

[श्री अध्यक्ष]
में व्यवधान पैदा होगा, चाहे इस तरफ का सदस्य कोई करे, चाहे उधर का कोई करे तो यह ठीक नहीं है। मैं आप सभी से बड़ा नम्र निवेदन करता हूं कि सदन की कार्यवाही शांति पूर्वक चले। इस सदन में लोक हित के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, जब तक सदन की कार्यवाही चलती रहे, तब तक इस में व्यवधान न किया जाय।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

अध्यक्ष महोदय, आप सदन की गरिमा के प्रतीक हैं, मगर जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं इनको कितना समय देंगे। ये बैठ जाते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं, मान्यवर। जब आप मेरे लिए कह रहे हैं, तो आप हमारे निवेदन पर भी विचार करें।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, यह किसी से छुपा नहीं है कि कांग्रेस के तीस वर्षीय शासन काल में जितनी सड़कें नहीं बनीं उतनी जनता पार्टी और लोकदल की सरकार में सड़कों का जाल बिछ गया। मान्यवर, गांव का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है यदि वहां पर आवागमन के साधन नहीं हैं। गांव के सर्वांगीण विकास के लिए लोक दल और जनता पार्टी की सरकार ने सड़कों का जाल बिछा दिया था। आज जो माननीय सदस्य हस्तक्षेप कर रहे हैं उनके यहां भी सड़कों का जाल बिछा होगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन आते ही, इस तरह आदेश कर दिये गये जिससे तमाम सड़कें अधूरी पड़ी हैं। सड़कों का काम रुक गया है। जिन मार्गों पर मिट्टी का काम हुआ है उसमें किसी दल का पैसा नहीं लगा है। सरकार का पैसा लगा है चाहे लोक दल की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। सरकार के पैसे का मतलब यह है कि जनता का धन। बरसात हो रही है। काम रोक दिया गया है। अगर इस सरकार को गांव के लोगों, गरीब लोगों से हमदर्दी होती तो जिन सड़कों की मिट्टी पानी में बहेगी, उसकी हिफाजत के लिए कम से कम उन सड़कों पर खड़ंजा करवा दिया होता। तीस साल शासन में रहने के बाद ऐसे उदाहरण हैं कि दस-दस साल से बम्बे खुदे पड़े हैं, किन्तु एक बूंद पानी नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मोती लाल देहलवी—

लोक दल और जनता पार्टी की सरकार ने यह घोषणा की थी कि पाँच साल के अन्दर हम उत्तर प्रदेश के तमाम गाँवों को सड़कों से जोड़ देंगे। अगर गाँवों से कोई हमदर्दी होती तो इस सरकार ने भी यह घोषणा की होती कि जिन गाँवों में सड़कें नहीं हैं पाँच साल के अन्दर उन गाँवों को सड़कों से जोड़ देंगे। इस तरह से नारे लगाने से, व्यवधान पैदा करने से काम चलना नहीं है। आखिर म, जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं और राज्यपाल महोदय के भाषण को मैं अमान्य ठहरा रहा हूं। वह भाषण नहीं है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा अपनी भूलों और गलतियों को छिपाने के लिए एक तरह से माफीनामा है। मैं इसको दोहरा रहा हूं।

नियोजन तथा वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इससे पूर्व मैं कुछ निवेदन करूं, मैं अपने सदस्य, कानपुर की एक बात से सहमत हूं, उन्होंने कहा कि किसी जाल की बात। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं एक जाल नहीं बिछाया गया, तमाम जाल बिछाये गये हमारे विरुद्ध। उन जालों को हमें तोड़ना है।

मैंने माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन को भी पढ़ा और कल उनके भाषण को भी सुना और बाद में समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ, वह भी पढ़ा। माननीय नेता विरोधी दल ने सामान्य निर्वाचन के पहले जो घटनाएं हुई हैं उनका जिक्र किया है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि माननीय नेता विरोधी दल तो पिछली सरकार में एक जिम्मेदार मंत्री थे। मंत्री थे और इसी माननीय सदन के सदस्य थे। 1980 के

चुनाव में लोक सभा के चुनाव में क्या हुआ, 1977 में लोक सभा के चुनाव के बाद विधान सभा का चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ था? इस चीज को वह बिल्कुल नजरंदाज कर गये। मान्यवर, यह जो चुनाव विधान सभा का 1980 में हुआ, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के इतिहास में पहली बार हरिजनों और कमजोर वर्गों के लोगों को वोट देने का अधिकार मिला है, पहली दफा बैलेट पेपर के दर्शन किये हैं। शान्ती से सुन लें। पिछली बार जब लोक सभा के चुनाव हुये थे केवल एक घटना की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरठ के अन्दर छपरौली क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र किरठल था जिस पर मेरे एक मित्र मतदान अधिकारी थे।

श्री मुख्तार अनीस—

आपको बधाई देता हूं.....

(शोरगुल)

श्री ब्रह्मदत्त—

आप दिल थाम के सुनिये। मान्यवर, उस आदमी को मजबूर किया बोगस वोटिंग के लिये। मैं सब के बारे में जानता हूं। इस समय जो उधर बैठे हैं वह हमारे पुराने मित्र हैं, उनके बारे में बताऊंगा तो इतना बढ़िया बताऊंगा जितना किसी के बारे में नहीं बता सकता।

श्री मोहन सिंह—

आप मेरे साथी हैं जिस लालच में आप उधर गये थे मिल गया।

एक सदस्य—

अभी तक आप परैशान थे जब इधर से बोल रहे हैं तो आप बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, पीठासीन अधिकारी ने बोगस वोटिंग नहीं होने दिया तो उसके ऊपर हमला करके उसको मारा गया और वह अपंग हो गया। पैरलेसिस हो गई उसको। मैंने तत्कालीन गृह मंत्री और मुख्य मंत्री को कई पत्र लिखे, वे सभी पत्र मेरे पास सुरक्षित हैं लेकिन हमलावरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। हालांकि विभिन्न तरीकों से मैंने 20–25 हजार रुपये मदद करा दी थी उसकी। लेकिन शासन ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया। जब चुनाव शुरू हुआ मैं यह नहीं कहता खाली मेरे दल के लोगों पर हमला किया गया बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला किया गया, उस वक्त तक यह दो दलों में हो गये थे हमले आगरा में हुये; मुरादाबाद में हुये। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वह लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाये। हम लोग विपक्ष में थे हम लोगों ने इसकी आवाज उठाई। मान्यवर, इसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। हिंसात्मक घटनाओं के बारे में कहा गया। पिछला जो लोक सभा का इलेक्शन हुआ था उसमें 106 और विधान सभा के चुनाव में 53 हिंसात्मक घटनायें हुयी थीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय सदस्य सोर्स भी बता दें।

श्री ब्रह्म दत्त—

माननीय सदस्य सोर्स पूछ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर हमला हुआ, उनकी रिपोर्ट उन्होंने लिखाई और वह दर्ज की गई। मैं और आपको सोर्स बताना चाहता हूं। मुझे जनता पार्टी के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने इटावा के बारे में बताया कि इटावा में इलेक्शन के दौरान जो कुछ हुआ वह हिन्दुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं हुआ।

एक सदस्य—

इस साल.....?

श्री ब्रह्म दत्त—

इस साल और पिछले साल जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताया। भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्षस्थ नेता ने बताया जिनकी मैं बहुत कद्र करता हूं। आप सब जो उधर बैठे हैं उनकी भी मैं बहुत कद्र करता हूं, हालत यह थी कि डकैतों के गैंग के सहारे लोगों को मतदान से वंचित किया गया। डकैतों को गाँवों में लेकर लोग जाते थे बड़े-बड़े मंत्री लाते थे और वह वहाँ एलान करते थे अगर कोई वोट देने की कोशिश किया तो उसको मार दिया जायेगा।

एक सदस्य—

सही बोलिये।

श्री ब्रह्म दत्त—

अगर सही बोलने की नौबत आयी तो जो रिपोर्ट दर्ज है उसको दिखाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी पार्टी के लोगों को मालूमात हुयी, तब मैंने उन लोगों के मामले उठाये, चूंकि यह लोग सत्ता में थे, उठा नहीं सकते थे। मैंने और मेरी पार्टी ने ही उस बात को उठाया। अगर इटावा की पूरी इन्क्वायरी हो गयी तो उससे इन लोगों को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मान्यवर, इस बारे में मैंने कुछ शुरू में कहा था। मैं उसका माप-दण्ड कायम नहीं रखना चाहता जो पिछले 3 सालों में हुआ। मान्यवर, वैद्यलिंगम रिपोर्ट के बारे में, उसके अन्दर जो देखा गया वह राष्ट्र के नाम पर एक कलंक है। मान्यवर, मथुरा में जो कुछ हुआ उसके बारे में भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और जब अपराधियों को पकड़ा गया तो उन अपराधियों को पकड़ने वालों के खिलाफ इंस्ट्रेक्शन दिल्ली से आये। उन अपराधियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

एक सदस्य—

कफल्टा के बारे में आपके क्या विचार हैं?

श्री ब्रह्मदत्त—

कफल्टा के बारे में भी बताता हूं। कफल्टा में हुए काण्ड के लिए अदालत बठाई गयी। उसकी इन्क्वायरी के लिए उच्च आदेश दिये गये। कफल्टा की जाँच के लिए मैं यहाँ से गया। उससे पहले केन्द्र के गृह मन्त्री वहाँ पहुंच चुके थे।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

गृह मन्त्री जी वहाँ नहीं गये, यह गलत है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य व्यवधान न करें।

श्री ब्रह्मदत्त—

मैं कफल्टा गया। वहाँ की सारी स्थिति को देखा, जगह-जगह जाकर देखा। कफल्टा के बीच रास्ते में भी गया। वैसे कफल्टा के जुगराफिया की मालूमात मुझे नहीं है। कफल्टा में जितने लोग मारे गये वह सब बाहर के थे। हम सब वहाँ गये। हम सब लोगों ने वहाँ के कुछ हरिजनों से बात चीत की और एक जगह नहीं, पचीसों जगह बातचीत की।

एक सदस्य—

बागपत के बारे में भी कुछ प्रकाश डालिये।

श्री ब्रह्मदत्त—

बागपत का भी जिक्र करूंगा। अभी सब कुछ बताऊंगा। हमारे माननीय सदस्य जो देवरिया के हैं यहाँ बैठे हैं। मैं उनकी आज भी तारीफ करता हूं।

श्री मोहन सिंह—

जिस डी–वाई० एस० पी० को हमने सस्पेन्ड किया था आपने उसको बहाल कर दिया।

(शेम शेम)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, जब हमको सूचना मिली वहाँ की स्थिति के बारे में, तब हम वहाँ गये। हमारी नेता प्रधान मंत्री वहाँ पहुंचीं और स्व० श्री संजय गाँधी वहाँ गये। और देवरिया के हमारे साथी वहाँ गये। तो जो वहाँ हुआ था, उसे देखा, जाना और उसको एडमिट किया बहुत कोशिश करने के बाद बहुत हंगामा करने पर ऐक्शन हुए।

एक सदस्य—

बागपत के बारे में भी तो कुछ सूचना दीजिए।

श्री ब्रह्म दत्त—

बागपत काण्ड के सिलसिले में जुडिशियल इन्क्वायरी बैठाई जा चुकी है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को बार बार सदन में दोहराया है कि कल या परसों से अथवा 14 तारीख से वहाँ इन्क्वायरी शुरू होने वाली है और उस इन्क्वायरी की जो–जो जरूरतें हैं उनको हम नम्रतापूर्वक पालन करेंगे। किसी को बचाने की चेष्टा हम नहीं करेंगे। बाराबंकी के लिए जो कुछ भी हो सकता है, ऐक्शन लिया जायेगा। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस जगह से हम स्टार्ट कर रहे हैं चाहे कानून की स्थिति हो बिजली, मूल्यों की स्थिति हो, हम निम्न स्तर पर पहुंच गये हैं। उससे फिर उठने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार हुये हैं? उसके लिए वह तमाम लोग जिम्मेदार है जो इधर से उधर पहुंच गये हैं। अपराध बढ़े। उनकी तुलना जब हम देखते हैं तो 1976 से 1977 में, 77 से 78 में. 78 से 79 में ज्यादा हुए। क्यों? क्या पुलिस निकम्मी होती है? हम मानते हैं पुलिस इशारे पर काम करती है। जिन लोगों के हाथ में सत्ता आ गयी थी उसमें से अधिकांश लोग अपराधी मनोवृत्ति के थे। इसका हम सबूत देना चाहते हैं।

(शोर)

एक सदस्य—

यह किस हैसियत से बोल रहे हैं? साधारण विधायक की हैसियत से? उनके मुंह से यह बातें शोभा वही देती हैं।

श्री ब्रह्म दत्त—

सरकार एक कान्टीन्युअस प्रोसेस है।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

कहाँ तक ये अपने पाप छिपायेंगे। वह तो एक न एक दिन सामने आयेंगे ही।

श्री अध्यक्ष—

माननीय बाजपेयी जी, जब तक वह बोल रहे है और बैठते नहीं है आपका बीच में बोलना ठीक नहीं है। आप बीच में न बोलें।

श्री ब्रह्मदत्त—

अपराध की स्थिति तो नीचे पहुंच गई है। कितने क्षेत्रों में अपराध हैं? क्यों? इसके निपटाने की जिम्मेदारी किन लोगों की है? अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त न हो, यह हमारी चेष्टा है। बड़े खेद की बात है, बुरी लगेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी मौजूद है, विमान अपहरण हुआ, हमारे सदन के मेम्बर बने। हमे गौरव है कि वह सदन के मेम्बर बने जिन लोगों ने अहिंसक ढंग से कार्यवाही कर मेम्बर बने, यह हमारे लिए गौरव की बात है.....

[श्री ब्रह्म द]

(शोर एवं शेम शेम की आवाजें)

आप लोग शेम-शेम कहते हैं। देवरिया जाने का मौका मिला हमें। वहाँ एक जगह है, उसका नाम नहीं बताऊंगा। इशारे से आप समझ जायेंगे। वहाँ के एक सब-इन्सपेक्टर ने कान्फीडेन्शल डायरी दिखायी। उसमें था कि सिलसिलाए वजारत लखनऊ रहने लगे हैं जिससे जानवरों की चोरी कम हुई है फिर भी सख्त निगरानी रखी जाए।

मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना नहीं होगी।

मान्यवर, मैं अब कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे राज्यपाल महोदय ने सबसे पहले संकेत दिया है कि हम कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे। कानून व्यवस्था को जब तक ठीक नहीं किया जायेगा लोगों के जान माल को गारन्टी नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई परिवर्तन लाने के पहले दो चीजें जरूरी होती हैं विचार और कल्पना, रीजन एण्ड इमेजिनेशन। हम यह मानते हैं कि हम इस वक्त निम्न स्तर पर हैं उससे हम लोगों को आगे बढ़ना है। इसके बाद हम उस ओर आपका ध्यान खींचना चाहते हैं जिसका जिक्र हुआ। चीनी का जिक्र हुआ। चीनी की परिस्थिति बड़ी भयंकर है। हुआ क्या, 77 का साल आया कि जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई? उस साल हमारे प्रदेश में 6 करोड़ टन गन्ना पैदा हुआ। चीनी की दोहरी नीति खतम कर दी गयी, प्राइस तय नहीं हो सके, गुड़ और खाण्डसारी के बाहर जाने में पावन्दी लगा दी गयी। नतीजा यह हुआ कि 77 में गन्ना 3, 4, 5 और 2 रुपये टन बिकने लगा। लोगों को आग लगानी पड़ी अपने खेतों में। हजारों एकड़ गन्ना जला दिया गया। मेरठ जिले का एक किसान एक नेता के यहाँ गया और कहा कि मेरे यहाँ आपको उद्-घाटन करने चलना है। उन्होंने कहा कि किस चीज का उद्घाटन करना है मेरे पास वक्त बहुत कम है। किसान ने कहा कि बहुत जरूरी काम है। खेत में गन्ना खड़ा है उसमें आग लगानी है। आग लगाने का शुभ काम आपके द्वारा ही होना चाहिये। 77 में 6 करोड़ टन गन्ना पैदा हुआ और साढ़े अठारह लाख टन चीनी। 78 में 5 करोड़ टन गन्ना और साढ़े चौदह लाख टन चीनी पैदा हुई। 79 में 3 करोड़ टन गन्ना और 10 लाख टन चीनी गन्ने का आधा पैदावार चीनी की हुई। एक बात की जानकारी हम लोगों को करना चाहिये। दिसम्बर, 1979 में हमारे स्टेट शुगर कारपोरेशन के पास कितना गन्ना था। ठीक से जाँच भी नहीं हो पाई कि जितनी चीनी थी वह 35 रु0 30 रु0 प्रीमियम पर कुछ लोगों को बेची गयी। हमारा आर्थिक उत्पादन 30 प्रतिशत कम हुआ है। खाद्यान्न का उत्पादन 35 फीसदी कम हुआ है। क्या कारण है 3 साल में बिजली के उत्पादन में लगातार गिरावट होती चली गयी? विद्युत हमारी आवश्यकता है जो खेती में सहायता देती है उद्योग में सहायता देती है, ट्यूबवेल भी चलते हैं, मशीनें भी चलती हैं, कारखाने भी चलते हैं। एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी भी चिन्तित हैं, हम सभी चिन्तित हैं किस तरह से इस स्थिति से निपटा जाये। ओबरा का जो प्लान्ट है उसमें उत्पादन कुल क्षमता का 74–75 में 60 प्रतिशत, 76–77 में 58 प्रतिशत, जनता पार्टी शासन में 51 प्रतिशत, और फिर 44 प्रतिशत हुआ। एक और प्लान्ट में 58 प्रतिशत, 55 प्रतिशत, 42 प्रतिशत और 40 प्रतिशत रहा। पनकी में 75 प्रतिशत से 60 प्रतिशत रह गया। कुल मिलाकर जो क्षमता का उपयोग 58 प्रतिशत करना था वह 38 प्रतिशत रह गया। 20 फीसदी उपयोगिता में कमी आ गयी।

मान्यवर, विद्युत् परिषद् एक स्वायत्त शासी संस्था है, लेकिन इसके काम में निरन्तर हस्तक्षेप किया गया। जब जनता पार्टी का विभाजन हुआ और लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे उस समय बिजली किसको दी जाय यह विधान भवन में तय नहीं होता था बल्कि सात नम्बर के कमरे में तय होता था जहाँ किसी संगठन का दफ्तर था। विद्युत् परिषद् के कामों में लगातार हस्तक्षेप किया गया जिस से गिरावट आती चली गयी। 33 सौ मेगावाट की क्षमता है। इसमें 11 सौ मेगावाट जल विद्युत् और 22

सौ मेगावाट थर्मल पावर की क्षमता है। अगर 60 फीसदी क्षमता का ही उपयोग किया जा सके तो विद्युत् संकट न हो। हम कृत संकल्प हैं विद्युत् परिषद् में गतिशीलता लाने के लिये। मशीनों का रखरखाव करके विद्युत् क्षमता को बढ़ाया जाय। इसके लिये हम कृत संकल्प हैं। इसके लिये राज्यपाल महोदय ने हमें अपने अभिभाषण में जो संकेत दिया है, हम उनके आभारी हैं। एक बात जिसके लिये हम और कृत संकल्प है वह है ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना। ग्रामीण विद्युतीकरण में हमें पिछले वर्ष 4 हजार 9 सौ गाँवों में बिजली लगायी थी लेकिन पिछले वर्ष सिर्फ 2264 गाँवों में बिजली लगी। 50 हजार ट्यूबवेल्स में से केवल 36 हजार ट्यूबवेल्स को बिजली मिली। 3945 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करना था जिसमें से 1505 बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त 1820 राजकीय ट्यूबवेल्स में से 1248 को बिजली दी गयी। इस तरह से ग्रामीण विद्युतीकरण में 54 फीसदी की कमी रही। ट्यूबवेल्स में 28 फीसदी की कमी रही और हरिजन बस्तियों के बारे में 62 फीसदी की कमी रही। राजकीय ट्यूबवेल्स में 31–32 फीसदी की कमी रही। हम लोग कृतसंकल्प हैं कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को ठीक चलायें। जो इसमें कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करें ताकि ग्रामीण जनता को इस स्कीम का फायदा हो सके। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बिजली की कमी की वजह से लगभग 30 फीसदी इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ है। सकल श्रोतों से हमारे प्रदेश की आय 1979–80 में 15–20 फीसदी घटी है। आप कहेंगे कि सूखा पड़ा था, लेकिन आप देखें काँग्रेस के पिछले 30 सालों के शासनकाल में जहाँ-जहाँ नहरें बनी थी, गंडक परियोजना, शारदा परियोजना, उन क्षेत्रों में देखें वहाँ सूखे का प्रभाव कम हुआ है। लेकिन हमारे जो 7 लाख डीजल पम्प सेट्स थे उनको डीजल नहीं मिल पाया। किसलिये नहीं मिला कि तत्कालीन केन्द्रीय सरकार इन्तजाम नहीं कर पायी। इन तीन चार महीनों में केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार ने कोशिश की और डीजल संकट यहाँ हल कर लिया गया है जो थोड़ी बहुत कमी है उसको पूरा कर लिया जायगा।

काम के बदले खाद्यान्न योजना का जिक्र आया। मैं बस्ती, गोरखपुर, देवरिया गया।

एक सदस्य——

आप बस्ती, गोरखपुर, देवरिया ही क्यों जाते रहे ?

श्री ब्रह्मदत्त——

सबसे ज्यादा मैं बस्ती गया था। अगर उत्तर प्रदेश की दुर्दशा देखना है तो यह तीन जिले देखना जरूरी है। मान्यवर, जब मैं पहली दफा गया तो मैंने देखा कि काम के बदले अनाज योजना नहीं चल रही है। जब मैंने तकाजा किया तो चली। मैं अपने माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि काम के बदले अनाज योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ है हम उसको दूर करेंगे। उस दौरान जो काम हुआ है उसको पक्का करने के लिये हम चेष्टाशील हैं। हम चाहते हैं कि इस योजना में जो सड़कें बनी हैं उन पर पुलियाँ बनायी जायं और खड़ंजा लगाया जाय। मान्यवर, एक और बात का मैं संकेत करना चाहता हूं और जिसे ठीक करना है, वह है योजना बनाने के काम की बड़ी भारी उपेक्षा की गयी है। वर्ष 1978–83 की पंचवर्षीय योजना जो बनी वह 7798 करोड़ रुपये की बनी और जिसमें 4600 करोड़ रुपये मंजूर हुये। यह योजना स्वीकृत केन्द्र सरकार ने किया। एनुअल प्लान इस साल 79–80 के लिये 994 करोड़ रूपये बना लेकिन उसमें 850 करोड़ रुपये मंजूर हुये। जो मंजूर हुआ उसमें सब काम नहीं हो सकते थे। इसलिये हमारे मुख्य मंत्री कृतसंकल्प है कि योजना का आकार ठीक मिले जिससे उन तमाम कामों के लिये पैसा मिले।

मान्यवर, औद्योगिक क्षेत्र में चिन्ता की एक बात और यह है कि हमारी तमाम योजनायें उपेक्षित पड़ी हैं, जैसे बुलन्दशहर के माननीय सदस्य बैठे हैं, नेवादा की स्कीम 3 सालों से नेग्लेक्टेड पड़ी है। सुल्तानपुर में 1,600 एकड़ का इण्डस्ट्रियल स्टेट है जो हमारे केन्द्रीय नेताओं के कारण बना लेकिन पिछले 2–3 सालों से वह उपेक्षित पड़ा

[श्री ब्रह्मदत्त.]

है। इसी प्रकार लालकुआं में पेपर मिल लगाने की बात थी लेकिन उसकी भी प्रगति नहीं हुई है। ग्रामीण औद्योगीकरण की योजना थी वह सब बन्द है। इस ओर हमें ध्यान देना है। राज्यपाल महोदय ने ठीक ही संकेत दिया है कि जो काम अधूरे हैं उनको पूरा किया जायेगा और क्षमता का पूरा उपयोग किया जायेगा जिससे प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सके।

मान्यवर, एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा। दमन की बहुत बात की जाती है लेकिन एक घोषणा करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री मौजूद है, कि जो भेदभाव पिछले 3 सालों में हुआ वह कभी नहीं हुआ है, हजारों राजनीतिक विरोधियों के ऊपर झूठे मुकदमे चलाये गये, उनको जेलों में बंद किया और उन पर लाठी चार्ज हुआ। यह सब मेरठ, बुलन्दशहर में किया और 50 हजार अध्यापकों को जेलों में बन्द किया गया। गोरखपुर में जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ वैसा कभी देखने को नहीं मिला। इंजीनियरों को जिस तरह क्रिमिनल कहा गया वैसा कभी देखने को नहीं मिला। छात्र और मजदूरों के साथ पंतनगर में जो हुआ वसा कभी नहीं हुआ। इसलिये हमारे सामने एक जिम्मेदारी आ गयी है कि जो डिमोक्रेसी का स्ट्रक्चर था वह पिछले 3 सालों में समाप्त हो गया जिसको फिर से बहाल करना है। मैं समझता हूं कि सरकार के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है। तमाम टाउन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज, नगरपालिका, महापालिका जो पिछले तीन सालों से भंग पड़ी हैं उनको फिर से बहाल करना है।

श्री मोहन सिंह---

1974 में नगरपालिकायें और महापालिकाएं भंग कर दी गयीं थीं तो उस समय आप किधर थे। मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि यह 1974 से भंग पड़ी हैं।

श्री ब्रह्मदत्त---

1977 से नगरपालिकाएं और महापालिकाएं भंग हैं इसलिये इनको बहाल करना है। स्थानीय स्वायत्तशासन की यह संस्थाएं लोकतंत्र की बुनियाद होती है और हमारी जो लोकतांत्रिक पद्धति है उसमें शासन में नियोजन के जो काम होते हैं वह तब तक नहीं होंगे जब तक कि चुने हुये नुमाइन्दे नहीं होंगे। जनता को इन्वाल्वमेन्ट करने का रास्ता क्या होगा, आगे क्या योजनाएं बनायी जायेंगी जनता के चुने हुये नुमाइन्दों को शामिल करना आवश्यक होता है। इसलिये यथाशीघ्र इन संस्थाओं को बहाल करना है। इसमे हम प्रयत्नशील है।

मान्यवर, एक और दिक्कत रही है कि 1967 में विरोधी पक्ष के लोगों को सत्तारुढ़ होने का मौका मिला लेकिन वह डेढ़ साल में ही टूट गयी। दुबारा 1977 में फिर यह सब इकट्ठे हुये, कसम खाई कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं किन्तु 1980 आया तो फिर यह सब टूट गये। मैं तो अन्त में एक बात कह देना चाहता हूं। यह भी मंजर करता हूं कि चेष्टा शील थे एक अच्छा विकल्प बने। आज भी हम कहते है, चाहते है, कि यहाँ एक अच्छा विरोधी दल हो, सशक्त विरोधी दल हो, सत्तारूढ़ दल के विकल्प के रूप में काम कर सके लेकिन वह नहीं बन सका है। उन्होंने 77 में जो दल बनाया वह कोई विकल्प तो था नहीं, सिद्धान्तों पर आधारित था नहीं, केवल सत्ता प्राप्त करन वाला था। उस दल के बारे में 1978 में किताब लिखी थी और अपने साथियों को दी। 1978 के अगस्त में उस किताब में यह लिखा गया कि जनता पार्टी का टूटना उसके बनने की प्रक्रिया में निहित है और 1980 के शुरू में पहले जनता पार्टी टूटेगी और इसके दो हिस्से हो जायेंगे, 1980 में चुनाव हो जायेंगे, काँग्रेस सत्तारूढ़ हो जायेगी। चुनाव हारने के बाद दो दलों के पाँच दल बन जायेंगें। सन् 77 के बाद मैं समझता था कि आपकी पार्टी में थोड़ा सा परिवर्तन आयेगा, भविष्य की कल्पना करेंगे, रचनात्मक विरोध करेंगे इसलिए कि रचनात्मक विरोध हमारे हित में भी है, लेकिन आप इस रास्ते

में नहीं भटक सके। मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने हमको संकेत दिया है और उसे कार्य रूप में परिणित करने के लिए हम सब लोग दृढ़ संकल्प हैं। मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात को जरूर कहें। जहाँ हमारी गलती हो उसे प्वाइन्ट आउट करें लेकिन साथ ही साथ रास्ते को भी सुलझायें ताकि विकल्प की रास्ता बने। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि तीस साल तक सत्ता से चले जाने बाद ..

श्री मोहन सिंह—

तीन साल में ट्रेन्ड हो गये.....

श्री ब्रह्म दत्त—

इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारी सत्ता को छोड़कर के पुनः उसी सत्ता में आ गये। यह तमाम चीजों को देखा जायेगा। वे गलतियाँ दोहरायी नहीं जायेंगी। कानून और व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो संकेत राज्यपाल महोदय ने दिया है, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो संकेत दिया है, स्थापित क्षमता का उपयोग करने का जो संकेत दिया है, इसमें आप हमारी मदद करेंगे। इसके लिए मैं राज्यपाल महोदय का आभारी हूं और इस काम में, रचनात्मक काम में, प्रदेश की उन्नति के काम में, इस पक्ष से ही नहीं बल्कि विपक्ष से भी सहयोग की कामना करता हूं।

श्री गोरेलाल शाक्य—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विपक्ष के लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। कृपया वे हमारी बातों को सावधानी से सुने और इस सदन में जो हकीकत हो उसी को कहा जाय। मैं आप से कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र के नेताओं ने यहाँ की स्थित को देख कर यहाँ की गरीबी को देख कर, यहाँ के राजनीतिक वातावरण के कुछ सिद्धान्त बनाये। उनमें से एक है जनतांत्रिक समाज का दूसरा धर्म निरपेक्ष का तीसरा है गुट निरपेक्ष का। इसके साथ राष्ट्रीयता भी मिली हुई है। लेकिन लोक दल तथा भारतीय जनता पार्टी कहाँ मानती है, इन सर्वमान्य सिद्धान्तों की। आप तो केवल जनतंत्र की बात करते हैं। फासिस्ट वादी जनतंत्र की, समाजवाद की तो आप बात ही नहीं करते। यहाँ पर न सोशलिज्म की जरूरत है, न केवल जनतंत्र की। यहाँ पर दोनों के मिले जुले रूप की जरूरत है, इस को ही हम चाहते भी हैं क्योंकि यहाँ के गरीबों को इसी की आवश्यकता है। केवल जनतंत्र या केवल समाजवाद की यहाँ आवश्यकता नहीं है, दोनोंके मिले जुले रुप की आवश्यकता है। आप समाजवाद को नहीं चाहते बल्कि गरीबों को रौंदना चाहते हैं। इसी कारण पंचवर्षीय योजना को चौधरी साहब ने खत्म करके उसे वार्षिक रूप दे दिया था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नष्ट कर दिया। वह ऐसा ब्रेक था, जो कीमतें आगे बढ़ती हैं तो वह ब्रेक लगाया जाता था लेकिन जब आपने उस ब्रेक को नष्ट कर दिया तो कहाँ से उसे लगायेंगे। जब आप यहाँ आते हैं तो दूसरी बात और वहाँ जाते है तो दूसरी बात जनतंत्र का मूलभूत सिद्धान्त है किसी के वायदों में विरोधाभास न हो। विरोधाभास का सिद्धान्त आप मानते हैं। विरोध पक्ष में आप होते हैं तो कहते हैं कि डेढ़ सौ रुपया मन गेहूं आप बिकवायेंगे लेकिन जब सत्ता में आते है तो उस बात को बढ़ावा नहीं देते। थूक कर आपको नहीं चाटना चाहिये। आलू के मूल्य को क्या आपने ढाई रूपये कुइंटल करने को कहा था? जब सत्ता में आप आये तो थूक कर चाटा। यह विरोधाभास है जो आपको नहीं करना चाहिये। इस समय माननीय नेता विरोधी दल यहाँ उपस्थित नहीं है, मुझे खुशी होती अगर वह मेरी बातों को सुनने को उपस्थित होते। भारतीय जनसंघ जो यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में बैठा है उस धर्म निरपेक्ष के सिद्धान्त में विश्वास नहीं है, वह तो हिन्दू स्टेट कायम करना चाहता है और वह गुट निरपेक्ष में भी विश्वास नहीं करता, केवल अमेरिका का पिछलग्गू बनना चाहता है। जो सर्वमान्य सिद्धान्त है उनको आप नहीं मानते। आप इस देश को मुसीबत में डालना चाहते तो ईश्वर ने अच्छा ही किया कि ढाई वर्ष में आप नीचे आ गये (व्यवधान) मेरा।

[श्री गोरेलाल शाक्य]

चैलेंज है आपको, आप मेरी बातों का उत्तर बात से दें न कि गुलगपाड़ा करके। इसी तरह से बागपत काँड की बात उठाई गयी। अगर यह शर्मनाक घटना हुई है तो मैं उसका समर्थन नहीं करता, वरन इसकी निन्दा करता हूं। लेकिन यह आपको बतला दूं कि जब चौधरी साहब मुख्य मंत्री थे तो अखबारों में यह छाया हुआ था जब विरोध पक्ष ने बलात्कार की घटना को उठाया था तो चौधरी साहब ने उत्तर दिया था कि बलात्कार तो होते ही रहते हैं, सदन का समय क्यों बरबाद किया जाता है ? (व्यवधान) जब चौधरी साहब मुख्य मंत्री थे तो बलात्कार पर उनका आप रिकार्डिड बयान देख लें। मैं तो यह देखता हूं कि लोक दल और जनता पार्टी जो आज विरोधपक्ष में बैठे हैं उनको न इन्क्वायरी चाहिये, न जुडीशियल इन्क्वायरी चाहिये, न कानून चाहिये। यह तो लट्ठबाजी तथा बन्दूकबाजी जानते हैं और उसी के बल पर काम करते हैं (थपथपाहट) इसी कारण से ये जुडीशियल इन्क्वायरी को पसन्द नहीं कर रहे हैं। मैं प्रेक्टिसिंग लायर हूं। किसी नतीजे पर पहुंचने के लिये, कानूनी रूप देने के लिये आप क्या चाहते हैं, धारा 376 का जुर्म है तो सीधे लाठीमार दी जाय क्या यही आप चाहते हैं ? माननीय नेता विरोधी दल ने इटावा को अपने भाषण में छुआ तक नहीं है। मैं इटावा का रहने वाला हूं। और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इटावा के मंत्री इस चुनाव में हार चुके हैं। अगर वे जीत गये होते तो माननीय विरोधी दल के नेता वहाँ पर न बैठते। मान्यवर, मैं तो बागपत काँड की निन्दा करता हूं। अगर ऐसा हुआ है तो यह बड़ी शर्मनाक घटना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इटावा में 7 लड़कियाँ भूतपूर्व सहकारिता मंत्री मुलायम सिंह जी के यहाँ से भगाई गयीं और उसमें सीधे-सीधे स्वयं मुलायम सिंह जी के कार्यकर्त्ताओं और उनके रिश्तेदारों का हाथ है.....

(व्यवधान) [अपराह्न 5 बजकर 1 मिनट]

एक सदस्य—

मुलायम सिंह जी इस सदन के सदस्य इस समय नहीं हैं.....

श्री गोरेलाल शाक्य—

कई कत्ल हुये। एक के बारे में भी कुछ नहीं हुआ। एक कत्ल और हुआ जिसके सम्बन्ध में मैंने माँग की थी कि पुलिस छापा मार कर बन्दूक अपने पास ले ले, लेकिन वह बन्दूक नहीं ले सकी वह मुलायम सिंह जी के रिश्तेदार के यहाँ रह गई।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

एक सदस्य—

जो सदन के सदस्य नहीं हैं उनके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री गोरेलाल शाक्य—

एक दर्शन सिंह यादव है जो 3–4 भट्ठों के मालिक हैं उन्होंने अपने यहाँ गरीब हरिजनों को मजदूर रखा है, वे काम करते हैं। उस पर उन्होंने 30 मुकदमें 392 के और 395 के कर रक्खे हैं.....

(व्यवधान)

केवल उसको दिया गया पैसा वसूल करने के लिए।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय गोरेलाल जी ने बहुत से ऐसे लोगों का नाम लिया है जो इस सदन के सदस्य नहीं है। यह नियमानुसार गलत है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहाँ-जहाँ उन्होंने ऐसे व्यक्तियों का प्रयोग किया हो, उनको आप कार्यवाही से निकाल दें।

एक सदस्य—

सदन के सदस्य नहीं है तो लट्ठ दल के सदस्य तो हैं।

श्री अध्यक्ष—

गोरेलालजी ने भूतपूर्व सहकारिता मंत्री का नाम लिया है। वह उन्होंने उस समय की सरकार के मंत्री होने के नाते उत्तर में कहा है। इसलिये इससे वह बात पैदा नहीं होती। इसके अलावा यदि कोई और नाम उन्होंने लिया होगा तो मैं उसको देख लूंगा।

श्री गोरेलाल शाक्य—

श्रीमन्, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। मैं कह दूं कि आप क्या कहते हैं और मैं क्या कहता हूं? 20 सूत्री प्रोग्राम को अगर देश में ठीक से लागू किया जाय तो मेरा दावा है कि 60 करोड़ लोगों में से 50 करोड़ लोगों के लिये यह देश स्वर्ग हो जायेगा। बच्चों की सस्ते मूल्य की किताबों और कापियों को ही ले लें तो केवल इसी मद में सारे देश के विद्यार्थियों को अरबों रुपये का लाभ हो।

कन्ट्रोल को आपने सारे के सारे पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। चाहे स्कूटर हो या दूसरी चीजें हों उनको मनमाने दामों पर बेचा। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन में आप यकीन नहीं करते हैं आप तो पूंजीपतियों के समर्थक हैं, समय मिलने पर आपको दलाल भी साबित कर सकता हूं।

अध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री गोरेलाल शाक्य—

आपका जो अन्त्योदय कार्यक्रम था, जिसको हमने ठीक समझा कि उससे हिन्दुस्तान का भला हो सकता है, उसको हमने स्वीकार किया है। हम आपकी अच्छाई को ग्रहण करते हैं लेकिन एक आप हैं कि आप बुराई ही ग्रहण करते हैं। जनतांत्रिक सिद्धान्तों की बात आपने कही। आप अगर जनतांत्रिक थे तो जो जनतांत्रिक संस्थाएं थीं उनको कायम करते, उनके चुनाव कराते, लेकिन आप तो आपस में ही लड़ते रहे। कम से कम इतना तो आप कर सकते थे कि नगरपालिकाओं और पंचायत समितियों का चुनाव करा देते यदि आप जनतंत्र के हामी थे। तो आप जनतंत्र के हामी कैसे हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

गोरेलाल जी आप समाप्त करें।

श्री गोरेलाल शाक्य—

एक मिनट में खत्म करता हूं। आपको खुशी मनानी चाहिये कि आपकी जो सिद्धान्तहीन सरकार थी, वह चली गयी और सैद्धांतिक सरकार कायम हुई है, इसकी खुशी आपको मनानी चाहिये। इससे देश का भला होगा। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, उसका समर्थन करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं इनमें से 6 को मैंने अस्वीकार किया है और दो सूचनायें जो एक ही विषय में हैं उनको स्वीकार किया है। एक श्री मुख्तार अनीस, श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ तथा दूसरी श्री मोहन सिंह एवं श्री पंचानन राय ने दी है दोनों एक ही विषय पर हैं जिसको उन्होंने प्रातःकाल उठाया 7 जुलाई, 1980 को बागपत में सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में। माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर आप कब वक्तव्य देंगे?

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का कर्त्तव्य है कि सदन के अन्दर कोई बात आये तो जितनी जानकारी हो ईमानदारी के साथ खुले दिल से इस सदन के पटल पर रखें और माननीय सदस्यगण जो हैं उनकी जानकारी के लिए कोई चीज छिपा कर न रखी जाय। बागपत के विषय में एस0 एस0 पी0 और डी0 एम0 का एक टेलेक्स मिला था कि लगभग तीन सौ लोग गिरफ्तार हुए और उसमें कोई लाठी चार्ज का जिक्र नहीं था। आज जैसे ही सदन में इसकी चर्चा आई कि लाठी चार्ज हुआ है तो पहले एस0 एस0 पी0 से इसका पता लगाया गया। उन्होंने कहा कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ लेकिन चूंकि सदन में यह बात आई थी टेलीफून से आज दिन भर में सम्पर्क किया गया, वहाँ जो डी0 आई0 जी0 हैं, मेरठ में उनसे और उनसे बात होने पर सूचना जो अभी तक मिली है, वह इस प्रकार ह। वहाँ की घटना के सम्बन्ध में मेरठ में पुलिस उप महानिरीक्षक से स्थिति को चेक किया गया। उन्होंने सूचित किया कि कल बागपत की घटना के संबंध में प्रदर्शन-कारियों पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है और न ही कोई गिरफ्तार व्यक्ति को चोट आने की कोई इन्द्राज जेल रिकार्ड में है। श्री महकसिंह नाम का एक व्यक्ति जो गिरफ्तार करने के समय घूम रहा था, लोगों को उकसा रहा था। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार करना चाहा तो छीना-झपटी हुई बताई जाती है। उस व्यक्ति को भी कोई चोट आने की सूचना जेल रिकार्ड में नहीं है। अब तक की यह सूचना है। जब और कोई सूचना देंगे तो जैसी जानकारी आएगी और जैसा समय देंगे, दी जाएगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं श्रीमन्, इस पर एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैंने यह सूचना दी कि जो लाठी चार्ज किया, उस लाठी चार्ज को करने के जिम्मेदार वहाँ के जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरठ के डी0 आई0 जी0 से जो जानकारी की, उस के आधार पर वक्तव्य दे रहे हैं। वह बागपत गये नहीं, मेरठ में रहकर वहीं से वहाँ की जानकारी भेज दी। तो यह वास्तविक तथ्यों पर आधारित सूचना नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अगला वक्तव्य जो हो उसके संबंध में मुख्य मंत्री जी किसी वरिष्ठ अधिकारी को बागपत भेजकर जानकारी प्राप्त करके यहाँ देने की कृपा करें। (व्यवधान) मान्यवर, इसका जबाव तो दिलवा दें।

श्री पंचानन राय—

श्रीमन्, मैं अपनी नोटिस के संबंध में आपसे जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी मुख्य मंत्री ने वक्तव्य दिया, जो सूचनाएं उपलब्ध की जा सकती थीं, आज के इस प्रश्न के बाद वह सब प्रयास उपलब्ध कराने को उन्होंने किया और जो सूचनाएं उपलब्ध थीं, उन्हें सदन में रखा। अब यदि आप पूरा वक्तव्य चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जब मुख्य मंत्री जी पूर्ण वक्तव्य देंगे, तो सब तथ्य इकट्ठा करके दे देंगे, तो उसके लिए वह समय सूचित कर दें।

श्री मुख्तार अनीस—

मुख्य मंत्री जी ने.....

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, 11 तारीख को बागपत के बारे में एक वक्तव्य देने का आपका आदेश हुआ है। मैं समझता हूं कि सदन के समय का उपयोग भी अच्छा रहेगा, यदि यह भी उसमें जुड़ जाए यानी दोनों वक्तव्य उस दिन साथ हो जाएं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, 11 तारीख को दोनों के वक्तव्य हो जाएंगे।

एक सदस्य—

जल्दी नहीं हुआ तो हो सकता है कि सत्याग्रहियों पर और लाठी चार्ज हो जाए।

श्री पंचानन—

नियम 51 में मेरी भी सूचना को आपने स्वीकार किया है। उसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि लोकदल के लोग अराजक तत्वों से मिलकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अराजकता पैदा करना चाहते हैं उस पर मुख्य मंत्री जी ने कुछ नहीं किया और कहा। इस पर आप उनसे वक्तव्य दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही थी वह अब स्थगित की जाती है। इसके बाद विधायी कार्य लेंगे।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980†

[5 बजकर 15 मिनट पर]

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है केवल अवधि को हम बढ़ा रहे हैं। इसकी अवधि 21 अप्रैल, 1980 को समाप्त हो रही थी। इसलिए 18 अप्रैल, 1980 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। अगर अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी तो जो काम हो रहा है वह रुक जायगा। इसमें और कोई खास बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, वैसे तो देखने में इस संशोधन विधेयक में कोई खास बात नहीं है जैसा कि माननीय मत्री जी ने कहा कि वह केवल अवधि को बढ़ाने के लिए लाया गया है जिससे कि जो विकास प्राधिकरण को काम सौंपा गया है वह रुके नहीं। लेकिन मान्यवर, बात बड़ी गभीर है आलोचना के भाव से मैं नहीं कह रहा हूं। काम अधूरे पड़े हुए है। महानगरियों में जो गन्दी बस्तियाँ हैं उनके सुधार के लिए काम हो रहा हैं। 1977 में भी यही अधिकार दिया गया था। 1973 में कानून बना लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। जो बड़े लोग हैं जिनकी जमीनें हैं वह इसमें बाधा डालते हैं और समय आप उनको देते जा रहे हैं। 15 दिन का समय बहुत होता है। उसकी प्रक्रिया पर विचार हो जाना चाहिए। इसीलिए मैंने प्रस्ताव किया है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। मंत्री जी मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

स्वायत्त शासन मंत्री जी क्या आपको स्वीकार है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार नहीं है। माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इसे वापस ले लें।

---

†दिनांक 9 जुलाई, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र कुमार जी क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं वापस नहीं लेता ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[खंड 2, 3, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक]

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रसर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

(2) यह 31 दिसम्बर, 1979 को प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 1973 की धारा 59 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 59 में, उपधारा (14) में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1979" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 1980

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृतकार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, खंड 1, प्रस्तावना एव शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम सिंह खन्ना—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
8 जुलाई, 1980।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—एल० 130 वि० सभा (246)—1981—835।